

प्रथम FIRST

पूरक अनुदान मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2024-2025

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसरण में संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) (क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसंबर, December, 2024

परिचायक टिप्पणी

विषय : पूरक अनुदान मांगों 2024-2025 का प्रथम बैच

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 83 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। ₹87,762.56 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद से अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल मिलाकर ₹44,142.87 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या वर्धित प्राप्तियों/वसूलियों से मिलान करके सकल अतिरिक्त व्यय कुल मिलाकर ₹43,618.43 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए लिखतों से जुड़े मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन को सक्षम बनाने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये के हिसाब से ₹126 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

हेतु।

हेतु

(ख) 'कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि' में अंतरण

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2024-2025.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2024-25 includes 83 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹87,762.56 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹44,142.87 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹43,618.43 crore. Besides, token provision of ₹126 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़	रुपए में Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture and Farmers Welfare			
(क) 1. (i) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)' (₹3132 करोड़) (ii) 'पीएम-किसान' की अनुसूचित जाति उप-योजना (₹196 करोड़) (iii) 'पीएम-किसान' की जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹172 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान 2. सैटेलाइट पट्टे के लिए 'महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र' के अंतर्गत 'अन्य के लिए किराया' (₹71 करोड़) 3. 'किसान उत्पादक संगठन योजना के गठन और संवर्धन' (10 हजार एफपीओ) के अंतर्गत 'विज्ञापन और प्रचार' (₹2.52 करोड़) 4. 'कृषि अवसंरचना निधि' के अंतर्गत 'सब्सिडी' (₹106.29 करोड़) 5. 'चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान' के अंतर्गत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹12 करोड़) 6. 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ)' में अंतरण (₹4000 करोड़) 7. 'एआईडीएफ' में अंतर लेखा अंतरण (पीएम-किसान के लिए ₹3500 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	(a) For meeting additional expenditure towards 1. 'Grants-in-Aid-General' under (i) 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)' (₹3132 crore) (ii) Schedule Caste Sub Plan of 'PM-KISAN' (₹196 crore) (iii) Tribal Area Sub Plan of 'PM-KISAN' (₹172 crore) 2. Rent for Others' under 'Mahalanobis National Crop Forecasting Centre' for Satellite lease (₹71 crore) 3. 'Advertising and Publicity' under 'Formation and Promotion of Farmers Producers Organization Scheme' (10k FPO) (₹2.52 crore) 4. 'Subsidy' under 'Agriculture Infrastructure Fund' (₹106.29 crore) 5. 'Grants for Creation of Capital Assets' under 'Choudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing' (₹12 crore) 6. Transfer to 'Agriculture			

Infrastructure and Development Fund

Account Transfer to 'AIDF' (₹3500

Infrastructure and Development Fund'

7. Inter

'Agriculture

7,691.81

2,000.00

7,691.81

2,000.00

(AIDF)' (₹4000 crore)

crore for PM-KISAN).

(b) For transfer

अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2	Department of Agricultural Research and Education			
	(क) (i) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना का सुदृढ़करण' के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹88.85 करोड़) और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹106.37 करोड़) (ii) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना का सुदृढ़करण' के तहत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹2.68 करोड़) और (iii) 'कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन िनदेशालय सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन' के तहत 'वेतन सहायता अनुदान' (₹139.83 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		(a) For meeting expenditure towards (i) 'Grants-in-aid General' (₹88.85 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹106.37 crore) under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (ii) 'Grants for Creation of Capital Assets' under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (₹2.68 crore) and (iii) 'Grants-in-aid Salaries' under 'I.C.A.R Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication In Agriculture, Intellectual Property Rights			
	(ख) (i) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना का सुदृढ़करण' के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹18.04 करोड़) और (ii) 'कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़करण योजना' के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.47 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेतु।		Management' (₹139.83 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Grants for creation of Capital Assets' under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (₹18.04 crore) and (ii) 'Grants for creation of Capital Assets' under 'Strengthening of Krishi Vigyan Kendras Scheme' (₹3.47 crore).	195.22	-	195.22 18.04
रसार	पन एवं उर्वरक मंत्रालय	M	INISTRY OF CHEMICALS AND			
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग "पेट्रोरसायन की नई योजनाएं" योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत संवर्धन हेतु।	5	Petrochemicals For augmentation under Grant for Creation of Capital Assets in the Scheme "New	2.00		2.00
6	उर्वरक विभाग पीएंडके उर्वरक सब्सिडी योजना के अंतर्गत ₹ 7310 करोड़ की सब्सिडी हेतु।	6	Schemes of Petrochemicals" Department of Fertilisers For subsidies of ₹7310 crore under P&K Fertilizers Subsidy Scheme.	2.88 6,593.73	-	2.886,593.73
नाग	र विमानन मंत्रालय	M	INISTRY OF CIVIL AVIATION			
8	नागर विमानन मंत्रालय 1. क्षेत्रीय संपर्क योजना में आरसीएस-उड़ान के लिए 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹231.05 करोड़) 2. एएआई को सीमा शुल्क लागत संबंधित वसूली प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' (i) टियर II/III शहरों में स्थित हवाई अड्डों के लिए योजना - सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभार हेतु (₹107.67 करोड़) और (ii) टियर II/III शहरों में स्थित	8	Ministry of Civil Aviation For meeting expenditure towards 1. 'Grants for Creation of Capital Assets' for RCS-UDAN in Regional Connectivity Scheme (₹231.05 crore) 2. 'Grants-in-aid General' for reimbursement of Custom Cost Recovery Charges to AAI (i) for tier II/III cities' airports in the scheme- Custom Cost Recovery Charges (₹107.67 crore) and			

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** हवाई अड्डों के लिए योजना - सीमा शुल्क लागत (ii) Cargo Logistics & Allied Services Ltd. वसुली प्रभार से संबंधित कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड (AAICLAS) for tier II/III cities airports in एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) the scheme-Custom Cost Recovery Charges हेतू (₹16.50 करोड़)। (₹16.50 crore). 231.05 231.05 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND **INDUSTRY** 10 वाणिज्य विभाग 10 Department of Commerce ब्याज समीकरण योजना के तहत सब्सिडी For meeting expenditure towards Subsidies (₹620.69 करोड़) पर व्यय को पूरा करने हेत्। (₹620.69 crore) under Interest Equalisation Scheme. 609.94 609.94 11 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade (क) (i) परिवहन सब्सिडी योजना (₹1.28 करोड़) (a) For meeting expenditure towards के तहत सब्सिडियों के व्यय को पुरा करने Subsidies under (i) Transport Subsidy हेतु और (ii) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, Scheme (₹1.28 crore) हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर (ii) Budgetary Support under Goods राज्यों में स्थित इकाइयों को माल और सेवा and Service Tax Regime to the units कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता located in State of Jammu & Kashmir, (₹555.92 करोड़)। Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim (₹555.92 crore). 555.92 555.92 (ख) 1. (i) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल (b) For meeting expenditure towards प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वीत्तर राज्यों में 1. Subsidies under (i) Budgetary स्थित इकाइयों को माल और सेवा कर Support under Goods and Service Tax व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता के अंतर्गत Regime to the units located in State of सब्सिडी (₹108.18 करोड़) (ii) परिवहन Jammu & Kashmir, Uttarakhand, सब्सिडी योजना (₹0.01 करोड़) और (iii) Himachal Pradesh and North Eastern माल ढ्लाई सब्सिडी योजना (₹0.01 करोड़) States including Sikkim (₹108.18 crore) के व्यय को पूरा करने हेत् और 2. राष्ट्रीय (ii) Transport Subsidy Scheme (₹0.01 औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन crore) and (iii) Freight Subsidy Scheme न्यास के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹0.01 crore) and 2. Grants for Creation हेतु अनुदान (₹1000 करोड़)। of Capital Assets (₹1000 crore) under National Industrial Corridors Development and Implementation Trust. 1,000.00 1,000.00 संचार मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS 13 दूरसंचार विभाग **Department of Telecommunications** (क) अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों के स्थापना (a) For meeting additional expenditure for व्यय हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्। establishment expenditure for subordinate and attached offices. 273.58 273.58 (ख) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान (b) For meeting additional expenditure हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। towards payment of pensions and other retirement benefits. 1,801.00 1,801.00

(c) For meeting additional expenditure for

Universal Service Obligation Fund

(ग) अंतर लेखा अंतरण के तहत सार्वभौमिक

सेवा दायित्व निधि के लिए अतिरिक्त व्यय

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
को पूरा करने हेतु (₹9,500 करोड़), वेतन, मंहगाई भता, आईटी परियोजनाओं आदि में सामान्य वृद्धि के बदले अंतर लेखा अंतरण के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (₹15 करोड़), 100 5जी यूज केस प्रयोगशालाओं, आईपी विंग आदि के टीईपीसी से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन भुगतान के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹21.37 करोड़), विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के बदले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) क्षेत्र कार्यालय में भारतीय अंशदान पर भुगतान और आईटीयू क्षेत्र कार्यालय में भारतीय अंशदान पर भुगतान और आईटीयू क्षेत्र कार्यालय के लिए सी-डॉट को किराया (₹51.80 करोड़), विभिन्न स्थापना शीर्षों के अंतर्गत प्रशिक्षण (₹40.50 करोड़), और दूरसंचार विवाद निपटान अपीलों या अधिकरण स्थापना व्यय (₹8.01 करोड़)।		under Inter account transfers (₹9,500 crore), Telecom Regulatory Authority of India under Inter account transfer in lieu of normal increase in Salary, DA, IT Projects etc. (₹15 crore), Other Revenue Expenditure for Technology Development & Investment Promotion payments concerning 100 5G Use Case labs, TEPC of IP wing etc. (₹21.37 crore), International Cooperation in lieu of World Telecommunication Standardization Assembly, Payment on Indian Contribution to International Telecommunication Union (ITU) area office and rent to C-DoT for ITU area office (₹51.80 crore), Training under various establishment heads (₹40.50 crore) and Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal Establishment Expenditure (₹8.01 crore).	29.38	-	29.38
रक्षा मंत्रालय 20 रक्षा सेवाएँ (राजस्व) (क) सेना के संबंध में न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले भुगतानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹1500 करोड़), मंडार (₹500 करोड़) तथा सेना के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹48.62 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (इसमें भारत की आकरिमकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए	20 Def (a)	TRY OF DEFENCE fence Services (Revenue) For meeting additional expenditure towards payments arising out of Court Orders in respect of Army. For meeting additional expenditure towards Ex-Servicemen contributory Health Scheme (₹1500 crore), Stores (₹500 crore), and National Cadet Corps (₹48.62 crore) for Army (this includes ₹1000 crore for recoupment of advance	4.00	-	4.00
₹1000 करोड़ शामिल हैं) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ग) नौसेना के संबंध में न्यायालय के आदेशों से	(c)	sanctioned from Contingency Fund of India). For meeting additional expenditure	2,048.62	-	2,048.62
उत्पन्न होने वाले भुगतानों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (घ) नौसेना के लिए परिवहन (₹300 करोड़), भंडार (₹1500 करोड़), संयुक्त कर्मचारी (₹120 करोड़),रंगरूटों के लिए वेतन और भृत्ते (₹227.42 करोड़) और अन्य व्यय	(d)	towards payments arising out of Court Orders in respect of Navy. For meeting additional Expenditure towards Transportation (₹300 crore), Stores (₹1500 crore), Jt. Staff (₹120 crore), Pay & Allowances for recruits	5.00	-	5.00
(₹200 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ड) वायु सेना के लिए परिवहन (₹100 करोड़), भंडार (₹3000 करोड़), विशेष परियोजनाएं (₹14 करोड़) और अन्य व्यय (₹506 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e)	(₹227.42 crore) and other expenditure (₹200 crore) for Navy. For meeting additional expenditure towards Transportation (₹100 crore), Stores (₹3000 crore), Special Projects (₹14 crore) and Other expenditure	2,347.42	-	2,347.42
(च) आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(f)	(₹506 crore) for Air Force. For meeting additional expenditure towards Directorate of Ordnance	3,620.00	-	3,620.00

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 29 विदेश मंत्रालय 29 Ministry of External Affairs (क) (i) नासिक प्रिंटिंग प्रेस को भूगतान के लिए (a) For meeting expenditure towards मुद्रण और प्रकाशन (₹750 करोड़) और पासपोर्ट (i) Printing and Publications (₹750 और उत्प्रवासन के तहत पासपोर्ट सेवा परियोजना crore) for payment to Nasik Printing के भुगतान के लिए कार्यालय व्यय (₹140 करोड़) Press and Office Expenses (₹140 crore) (ii) विशेष राजनयिक व्यय के तहत अन्य राजस्व for payment to Passport Seva Project व्यय (₹241 करोड़) (iii) संयुक्त राष्ट्र संगठन under Passport & Emigration (ii) Other को अंशदान (₹335 करोड़) और (iv) प्रशिक्षण Revenue Expenditure (₹241 crore) के तहत डिजिटल उपकरण (एफएसआई) (₹1.30 under Special Diplomatic Expenditure करोड़), दुतावासों और मिशनों (₹2 करोड़) और (iii) Contributions to United Nation प्रवासियों के महासंरक्षक (₹10 करोड़), (v) दक्षिण Organisation (₹335 crore) and (iv) एशियाई विश्वविद्यालय- अंशदान (₹19.08 करोड़) Digital Equipment under Training (FSI) के लिए व्यय को पुरा करने हेतू। (₹1.30 crore), Embassies & Missions (₹2 crore) and Protector General of Emigrants (₹10 crore), (v) South Asian University - Contributions (₹19.08 1,485.08 crore). 1,485.08 (ख) (i) भूटान को सहायता - अन्य परियोजना (b) For meeting expenditure towards (₹594.92 करोड़), मॉरीशस को सहायता (₹206 Contributions (i) under Aid to Bhutan -करोड़), मालदीव को सहायता (₹70 करोड़), Other Project (₹594.92 crore), Aid to लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता (₹30 करोड़), Mauritius (₹206 crore), Aid to Maldives म्यांमार को सहायता (₹150 करोड़), श्रीलंका -(₹70 crore), Aid to Latin American अन्य सहायता कार्यक्रम (₹55 करोड़) और आपदा Countries (₹30 crore), Aid to Myanmar राहत सहायता (₹50 करोड़) के योगदान के लिए (₹150 crore), Sri Lanka - other Aid व्यय को पूरा करने हेत् और (ii) निवेश संवर्धन Programme (₹55 crore) and Aid to और प्रचार कार्यक्रम (₹461.53 करोड़) के तहत Disaster Relief (₹50 crore) and (ii) for एक्जिम बैंक को ब्याज समीकरण सहायता, Interest Equalisation Support to Exim आईटीईसी कार्यक्रम (₹20 करोड़)। Bank under Investment Promotion & Publicity Programme (₹461.53 crore), ITEC Programme (₹20 crore). 1,637.45 1,637.45 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE 32 वित्तीय सेवाएं विभाग 32 Department of Financial Services (क) विशेष न्यायालय, मुंबई के लिए ₹3.14 करोड़ (a) For additional amount of ₹3.14 crore की अतिरिक्त राशि हेतू। for Special Court, Mumbai. 1.78 1.78

(ख) ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के (b) For additional amount of ₹4.96 crore लिए ₹4.96 करोड़ की अतिरिक्त राशि हेत् for Debt Recovery Tribunals (DRTs) 2.37 2.37 (ग) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) (c) For additional amount of ₹84.44 crore के अंतर्गत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए to reimburse subsidy under Pradhan ₹84.44 करोड़ की अतिरिक्त राशि हेत् Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) 30.30 30.30 (घ) रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-(d) For additional amount of ₹559 crore युपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) को for "Incentive Scheme for Promotion of बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना हेत् RuPay Debit Cards and Low-Value ₹559 करोड की अतिरिक्त राशि। Bhim- UPI Transactions (Person to Merchant). 559.00 559.00

अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
33 34	लोक उद्यम विभाग वेतन एवं भत्ते पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	33 34	Department of Public Enterprises For meeting additional expenditure towards Salaries and Allowances. Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)	0.12	-	0.12
	कानूनी सेवाओं, सलाहकारों के लिए शुल्क और व्यवसायिक सेवाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु।		For meeting expenditure towards expenses on legal services, fees of consultants and professional services.	20.69	-	20.69
36	प्रत्यक्ष कर विभिन्न वस्तु शीर्षों के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	36	Direct Taxes For establishment related expenditure under various object heads.	176.93	-	176.93
38	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (क) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु।	38	Indian Audit and Accounts Department (a) For meeting additional establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.	7.47	_	7.47
	(ख) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु।		(b) For meeting additional establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.	269.78	-	269.78
स्वा	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹89.91 करोड़) और एचईपीआर न्यास (₹1 करोड़) के लिए सामान्य अनुदान सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	47		89.91	-	89.91

गृह मंत्रालय

51 पुलिस

भत्ते के अंतर्गत ₹6334.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, ₹0.01 करोड़ का प्रावधान निम्नलिखित नए वस्तु शीर्षों को खोलने के लिए उपयोग किया जाएगाः अन्य के लिए किराया (आप्रवासन ब्यूरो), अन्य के लिए किराया (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो), ईनाम और पुरस्कार (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो), गुप्त सेवा व्यय (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो), प्रशिक्षण व्यय (विधि विज्ञान निदेशालय), मुद्रण और प्रकाशन (विधि विज्ञान निदेशालय), गुप्त सेवा व्यय (आई4सी), कार्यालय व्यय (सशस्त्र सीमा बल-एसएपी), अन्य राजस्व व्यय (वीवीपी), सामान्य अनुदान (जम्मू और कश्मीर पुलिस), अन्य के लिए किराया (विधि विज्ञान निदेशालय), प्रशिक्षण व्यय (सीसीपीडब्ल्यूसी), विज्ञापन और प्रचार (सीसीपीडब्ल्यूसी), व्यावसायिक सेवाएं (सीसीपीडब्ल्यूसी), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (एनसीबी), और, अतिरिक्त व्यय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

51 Police

For meeting additional expenditure of ₹6334.13 crore under Allowances, provision of ₹0.01 crore would be utilized for opening of the following new object heads: Rent for others(Bureau of Immigration), Rent for others(Bureau of Police Research & Development), Awards and Prizes(Bureau of Police Research & Development), Secret Service Expenditure(Bureau of Police Research & Development), Training Expenses(Directorate of Forensic Science), Printing and Publication(Directorate of Forensic Science), Secret Service Expenditure (I4C), Office Expenses (Sashastra Seema Bal-SAP),Other Revenue Expenditure(VVP), Grants-in-aid-General(Jammu and Kashmir Police), Rent for others (Directorate of Forensic Science),

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
को पूरा करने के लिए भी विज्ञापन एवं प्रचार के अंतर्गत - ₹15.71 करोड़, शस्त्र एवं गोला-बारूद - ₹128.54 करोड़, डिजिटल उपकरण - ₹19.03 करोड़, पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - ₹141.15 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान - ₹298.16 करोड़, वेतन सहायता अनुदान - ₹10.00 करोड़, मुद्रण एवं प्रकाशन - ₹17.77 करोड़, व्यावसायिक सेवाएं - ₹1006.49 करोड़, अन्य के लिए किराया - ₹82.93 करोड़, गुप्त सेवा व्यय - ₹400.00 करोड़, छात्रवृत्ति - ₹0.09 करोड़।	Training Expenses(CCPWC), Advertisis and Publicity(CCPWC), Profession Services(CCPWC), Grants for creation Capital Assets (NCB), and, also for meeting additional expenditure under Advertising Publicity - ₹15.71 crore, Arms Ammunition - ₹128.54 crore, Digit Equipment - ₹19.03 crore, Grants of Capital Assets - ₹141.15 crows Grants-in-aid-General - ₹298.16 crows Grants-in-aid-Salaries - ₹10.00 crows Printing and Publication - ₹17.77 crows Professional Services - ₹1006.49 crows Rent for others - ₹82.93 crore, Secsioned Service Expenditure - ₹400.00 crows Grants-in-aid-General - ₹400.00 crows Rent for Expenditure - ₹400.00 crows Rent for Expenditure - ₹400.00 crows Professional Service - ₹400.00 crows Rent Facility Rent Faci	nal of ng s& tal for re, re, re, re, re,		
	Scholarships - ₹0.09 crore.	4,840.85	-	4,840.85
उं चंडीगढ़ (क) संपर्क परियोजना के लेनदेन शुल्क में वृद्धि और राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत आईटी पेशेवरों की नियुक्ति के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	 Chandigarh (a) For meeting additional expenditure of to increase in transaction charges Sampark Project and appointment of Professionals under State Wide And Project and Project And State Wide An	of IT rea		• • • •
(ख) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों एवं उनके कर्मचारियों के भत्ते के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	Network Project. (b) For meeting additional expenditure payment of allowances for the Hon'l Judges and their staff of Punjab ar	ole nd	-	2.00
हेतु। (ग) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों एवं उनके कर्मचारियों के भत्ते के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	Haryana High Court (c) For meeting additional expenditure payment of allowances for the Hon'l Judges and their staff of Punjab a Haryana High Court	ole	- -	7.58 3.00
(घ) चंडीगढ़ पुलिस विभाग में पुलिस कार्मिकों के विभिन्न भत्तों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure the payment of various allowances the Police Personnel in Chandiga Police Department	for to		45.82
(ड) स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त	(e) For meeting additional expenditure:		_	73.02
व्यय को पूरा करने हेतु। (च) (i) शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ में नव भर्ती जेबीटी, टीजीटी कर्मचारियों को भत्ते (₹10 करोड़) और (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित बकाए, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के नव भर्ती कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि (₹1.64 करोड़) के भुगतान के लिए वेतन सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	maintenance of Street lights. (f) For meeting additional expenditutowards Grants-in-aid Salaries for the payment of (i) allowances to the new recruited JBT, TGT Staff in Education Department, Chandigarh (₹10 cross and (ii) pending arrears of retiremenhancement in the pay of new recruited staff of Government aid	5.00 are the vly on re) es, vly led	-	5.00
(छ) (i) स्वास्थ्य विभाग को भुगतान (₹2 करोड़) (ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं,	colleges (₹1.64 crore). (g) For meeting additional expenditure: (i) payment to Health Departme (₹2 crore) (ii) purchase of essential l	ent	-	11.64

पूरा करना।

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore)

			(करोड़ रुपए में Rupees in Cro			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and descri	राजस्व iption of items Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
————————————————————————————————————	savings drugs, delivery surgical items etc.					
व्यय को पूरा करने हेतु (iii) विभिन्न श्रेणिर	_					
के नव भर्ती कर्मचारियों को वेतन का भुगता	Medical College an crore) (iii) payment					
(₹2.33 करोड़) (iv) आयुष्मान भारत योज	newly recruited st					
के तहत संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) प्रशासन व	•					
क तहत सब राज्य क्षत्र (यू.टा.) प्रशासन व हिस्से के स्वास्थ्य विभाग को भुगतान (₹2.5	categories (₹2.33					
करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा कर	payment of sha Administration unde					
,						
हेतु।	Bharat Scheme to He			16 02		
(-) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(₹2.50 crore).	16.83	-	16.83		
(ज) विभिन्न आवासीय भवनों के रखरखाव ए	(h) For meeting additiona	_				
देखरेख हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा कर	maintenance and upk			2.00		
हेतु।	residential buildings.		-	3.00		
(झ) स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के लि	(i) For meeting additiona	_				
राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चंडीगढ़ को वित्ती	extending financial					
सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्य	Agricultural Mar	_				
को पूरा करने हेतु।	Chandigarh for imp			1.00		
() 00	Swachh Bharat Missi		-	1.00		
(ञ) विभिन्न उपकरणों और सबस्टेशनों के प्रचाल	(j) For meeting additiona					
और रखरखाव तथा विद्युत आपूर्ति की निरंतरर	operation and mainte					
के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्	equipment and sub					
() 0 0 10 10 10	continuity of power s		-	2.00		
(ट) परिवहन विभाग, चंडीगढ़ के लिए लंबी रू	(k) For meeting additiona					
की बसों के बेड़े को बढ़ाने के लिए अतिरित्त	enhancement of fleet of	-				
व्यय को पूरा करने हेतु।	for Transport Departr	ment, Chandigarh. 3.00	-	3.00		
56 लक्षद्वीप	56 Lakshadweep					
जहाजों के संचालन एवं रखरखाव पर अतिरित्त	For meeting additional exp					
व्यय को पूरा करने हेतु (₹218.90 करोड़)।	running and maintenance	_				
	crore).	118.06	-	118.06		
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORM BROADCASTING	MATION AND				
61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Infor Broadcasting	rmation and				
(i) एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग औ	For meeting expendture to	owards (i) Grants				
कॉमिक्स - विस्तारित वास्तविकता (एनसीओ	for creation of Capital Ass	sets for setting up				
एवीजीसी-एक्सआर) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टत	of National Centre of	Excellence for				
केंद्र की स्थापना के लिए पूंजीगत आस्तियों वे	Animation, Visual Effect	cts, Gaming and				
सृजन हेतु अनुदान (₹391.15 करोड़) (i	Comics - Extended Realit	y (NCoE AVGC-				
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर के लि	XR) (₹391.15 crore) (i	ii) Professional				
व्यावसायिक सेवाएं (₹7.84 करोड़) ताकि वि	Services (₹7.84 crore) for	Electronic Media				
वर्ष 2024-25 के दौरान शामिल होने वाले मौजू	Monitoring Centre to m	ake payment to				
और नए कर्मचारियों को भुगतान किया जा सरे	existing as well as new st	= :				
और (iii) भारत में डिजाइनिंग और प्रिंटिंग वे	FY 2024-25 and (iii)					
लिए भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के तह	Publications (₹0.03 cro	=				
, मुद्रण और प्रकाशन (₹0.03 करोड़) के व्यय व	Registrar General of India					
ਸਹਾ ਨਰਜ।	printing in India	262.00	,	262 00		

printing in India.

263.99

263.99

1,180.71

- 1,180.71

				(करोड़ रुपए में Rupees in Cror		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
विधि एवं न्याय मंत्रालय 65 विधि और न्याय (क) भारतीय विधि संस्थान को अतिरिक्त वेतन् सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹1.8: करोड़)। (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुनान् संबंधी व्यय के लिए व्यावसायिक सेवा वे अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (₹991.32 करोड़)। 66 निर्वाचन आयोग	65	NISTRY OF LAW AND JUSTICE Law and Justice (a) For providing additional Grants-in-aid Salaries to the Indian Law Institute (₹1.82 crore). (b) For meeting additional expenditure under Professional Service for election related expenses incurred by State Governments/UTs (₹991.32 crore).	0.17 712.44	-	0.17 712.44	
66 निर्वाचन आयोग कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूर करने हेतु (₹41.27 करोड़)। 67 भारत का सर्वोच्च न्यायालय वेतन (₹6.25 करोड़), रिवार्ड (₹0.25 करोड़) चिकित्सा उपचार (₹4.30 करोड़), भत्ते (₹18.0 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹0.20 करोड़), विदेश्यात्रा व्यय (₹1 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹0.24 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹3.12 करोड़) और ईंघन और स्नेहक (₹0.52 करोड़ के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	67	For meeting additional expenditure under Office Expenses (₹41.27 crore). Supreme Court of India For meeting additional expenditure under Salaries (₹6.25 crore.), Rewards (₹0.25 crore), Medical Treatment (₹4.30 crore), Allowances (₹18.04 crore), Training Expenses (₹0.20 crore), Foreign Travel Expenses (₹1 crore), Printing and Publication (₹0.24 crore), Digital Equipment (₹3.12 crore) and Fuels and Lubricants (₹0.52 crore).	21.79	-	21.79	
खान मंत्रालय (क) खान मंत्रालय (क) खान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना वे तहत पेशेवर सेवाओं (₹9.09 करोड़), घरेद यात्रा व्यय (₹0.20 करोड़), कार्यालय व्यः (₹0.60 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.70 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.20 करोड़) अन्य के लिए किराया (₹0.20 करोड़) लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) (i) मरम्मत और रखरखाव (₹110.92 करोड़) मजदूरी (₹3.00 करोड़), व्यावसायिक सेवार (₹0.25 करोड़), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षय	69	Ministry of Mines (a) For meeting additional expenditure towards Professional Services (₹9.09 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.20 crore), Office Expenses (₹0.60 crore), Advertising and Publicity (₹0.70 crore), Digital Equipment (₹0.20 crore), Rent for Others (₹0.20 crore) under Establishment of Secretariat Proper of Ministry of Mines. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Repair and Maintenance (₹110.92 crore), Wages (₹3.00 crore),	10.99	-	10.99	
(जीएसआई) के तहत अन्य राजस्व व्यव् (र्₹0.23 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के तहत ईनाम और पुरस्कार (₹0.30 करोड़ (iii) भारत की समेकित निधि (सीएफआई से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी के सार्वजनिक कोष में धन अंतरण के लिए अंतर खाता अंतरण (₹1066.00 करोड़) औ (iv) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन वे तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹0.005 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.005 करोड़)	i i	Professional Services(₹0.25 crore), Other Revenue Expenditure (₹0.23 crore) under Geological Survey of India(GSI) (ii) Awards and Prizes (₹0.30 crore) under National Mineral Awards (iii) Inter Account Transfer (₹1066.00 crore) for transfer of funds from Consolidated Fund of India(CFI) to public fund of National Mineral Exploration Trust (NMET) and (iv) Professional Services (₹0.005 crore), Grants-In-Aid General (₹0.005 crore) crores under National Critical Mineral				

Mission.

को पुरा करने हेतू।

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (क) (i) भूमि और भवन के लिए किराया, दरें (a) For meeting additional expenditure और कर (₹9 करोड़) और (ii) पेंशन और towards (i) Rent, rates and Taxes (₹9 पेंशनभोगी कल्याण विभाग (₹15 करोड़) crore) for Land & Buildings and (ii) तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत General Grants-in-aid under विभाग के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान Department of Pension & Pensioners' (₹0.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को Welfare (₹15 crore) and D/o पुरा करने हेतू। Administrative Reforms and Public 24.00 Grievances respectively (₹0.30 crore). 24.00 (ख) कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत व्यावसायिक (b) For meeting additional expenditure सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने towards Professional Services under हेतु। Staff Selection Commission. 163.78 163.78 (ग) सीबीआई के तहत डीटीई (₹6.82 करोड़), (c) For meeting additional expenditure भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और towards DTE (₹6.82 crore), Rent, Rates कर (₹9.45 करोड़) और भत्ते (₹10.93 and Taxes for Land and Buildings करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को परा करने (₹9.45 crore) and Allowances (₹10.93 हेतू। 6.82 crore) under CBI. 6.82 (घ) लोकपाल के अंतर्गत भूमि एवं भवनों के (d) For meeting additional expenditure लिए किराया, दरें एवं कर (₹3 करोड़), towards Rent, Rates and Taxes for Land वेतन (₹1.50 करोड़), भत्ते (₹1.08 करोड़), and Buildings (₹3 crore), Salaries अवकाश यात्रा रियायत (₹0.10 करोड़) तथा (₹1.50 crore), Allowances (₹1.08 मरम्मत एवं रखरखाव (₹0.15 करोड़) पर crore), Leave Travel Concession (₹0.10 अतिरिक्त व्यय को पुरा करने हेतु। crore) and Repair & Maintenance 3.00 (₹0.15 crore) under Lokpal. 3.00 (ङ) राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण (e) For World Bank Assistance for National कार्यक्रम - जीआईए सामान्य (₹8.96 करोड़), Programme for Civil Services & विशेष प्रयोजन वाहन - राष्ट्रीय सिविल सेवा Capacity Building - GIA General (₹8.96 एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम - जीआईए crore), Special Purpose Vehicle-सामान्य (₹12.53 करोड़), विशेष प्रयोजन National Programme for Civil Services वाहन - राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता & Capacity Building- GIA General निर्माण कार्यक्रम - जीआईए वेतन (₹2.75 (₹12.53 crore), Special Purpose करोड़)। Vehicle- National Programme for Civil Services & Capacity Building - GIA Salaries (₹2.75 crore). 21.49 21.49 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 76 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के अंतर्गत For meeting additional expenditure towards सब्सिडी (₹1225.55 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय subsidy (₹1225.55 crore) under

Connection to Poor Households.

437.44

437.44

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 77 योजना मंत्रालय 77 Ministry of Planning (i) राज्य सहायता मिशन योजना के अंतर्गत For meeting additional expenditure towards विकसित भारत रणनीति कक्ष (वीबीएसआर) की (i) Grants-in-aid -General for installation of स्थापना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 Viksit Bharat Strategy Room (VBSR) under करोड़) (ii) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और the Scheme State Support Mission विकास संस्थान परिसर के विकास और रखरखाव (₹5 crore) (ii) Grants for creation of Capital के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए Assets for development and maintenance of अनुदान (₹6.50 करोड़) और (iii) प्रशिक्षण व्यय National Institute of Labour Economics (₹20 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹10 करोड़), Research and Development campus (₹6.50 विदेश यात्रा व्यय (₹2 करोड़), कार्यालय व्यय crore) and (iii) Training expenses (₹15 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹2 करोड़), (₹20 crore), Domestic Travel Expenses विज्ञापन और प्रचार (₹3 करोड़), व्यावसायिक (₹10 crore), Foreign Travel Expenses सेवाएं (₹10 करोड़) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (₹2 crore), Office Expenses (₹15 crore), योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹350 Printing and Publication (₹2 crore), करोड़)। Advertising and Publicity (₹3 crore), Professional services (₹10 crore) and Grants-in Aid General (₹350 crore) under 163.76 the Scheme Aspirational Blocks Programme. 163.76 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS 78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways (क) सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता (a) For meeting expenditure towards के अंतर्गत सब्सिडी पर व्यय को पुरा करने Subsidies under Financial assistance to all Indian Shipyards. 50.00 50.00 (ख) (i) सागरमाला के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (b) For meeting expenditure towards (i) (₹9 करोड़) और (ii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी Professional Services under Sagarmala पत्तन, कोलकाता द्वारा हिन्दिया चैनल में (₹9 crore) and (ii) Subsidies under रखरखाव और तलकर्षण (ड्रेजिंग) के अंतर्गत Maintenance & Dredging in Haldia सब्सिडी (₹27.47 करोड़) तथा श्यामा प्रसाद Channel by Syama Prasad Mookerjee मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता और हल्दिया चैनल Port, Kolkata (₹27.47 crore) and for द्वारा हगली नदी और हल्दिया चैनल की River Dredging & Maintenance of river नदी तलकर्षण (ड्रेजिंग) और रखरखाव Hooghly and Haldia Channel by Syama (₹117.53 करोड़) के व्यय को पूरा करने Prasad Mookerjee Port, Kolkata and हेत्। Haldia Channel (₹117.53 crore). 154.00 154.00 (ग) (i) भारतीय पोत निगम (₹12.59 करोड़) (c) For meeting expenditure towards और (ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (₹1 Grants-in-aid General under (i) करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान Shipping Corporation of India (₹12.59 के व्यय को पूरा करने हेतू। crore) and (ii) Indian Maritime University (₹1 crore). 12.59 12.59 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION का सचिवालय PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 83 उपराष्ट्रपति सचिवालय 83 Secretariat of the Vice-President कार्यालय व्यय (₹1 करोड़), ईंधन और स्नेहक For meeting additional expenditure under (₹0.13 करोड़) और मरम्मत और रखरखाव Office Expenses (₹1 crore), Fuel and

127.90

			(कराड़	रुपए म Rupee:	s in Crore)
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
84	(₹0.25 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। संघ लोक सेवा आयोग अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु।	Lubricants (₹0.13 crore) and Repair and Maintenance (₹0.25 crore). 84 Union Public Service Commission For meeting additional administrative	1.38	-	1.38
		expenditure.	1.91	-	1.91
सड़	क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
	(क) सिचवालय के अंतर्गत भत्ते पर अतिस्किव्यय को पूरा करने हेतु। (ख) (i) रखरखाव के तहत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सड़क विंग द्वारा मरम्मत और रखरखाव (₹2160 करोड़) (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित, राजमार्ग अनुसंधान के तहत गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण के लिए अन्य राजस्व व्यय - (₹40	 (a) For meeting additional e xpenditure towards Allowances under Secretariat. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Repair and Maintenance for Maintenance by Roads Wing financed from Central Road and Infrastructure Fund under Maintenance (₹2160 crore) (ii) Other Revenue Expenditure for Quality Assurance, Research, 	1.09	-	1.09
	करोड़) और (iii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान के तहत अंतर खाता अंतरण (₹2150 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	Development and Training under Highway Research – funding from Central Road and Infrastructure Fund (₹40 crore) and (iii) Inter Account Transfers under Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹2150 crore)	2,150.00	_	2,150.00
	(ग) (i) "सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार" के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्गों से संबंधित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹127.90 करोड़) और (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान के तहत अंतर खाता अंतरण (₹127.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure towards(i) Other Revenue Expenditure for Supervision of National Highways Works under Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund for "Cashless Treatment to Victims of Road Accidents" (₹127.90 crore) and (ii) Inter Account Transfer under Block Grant for Transfer to Central Road	,		,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(क) 1. (i) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) तथा औद्योगिक एवं उद्यमशीलता विकास (आई एंड ईडी) के लिए सहायता (₹83.50 करोड़) और (ii) जैव विनिर्माण और बॉयो फाउंड्री के लिए सहायता (₹11.50 करोड़) (एनईआर) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 2. (एनईआर) के अंतर्गत सूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और औद्योगिक एवं उद्यमशीलता

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

and Infrastructure Fund (₹127.90 crore). 127.90

90 Department of Biotechnology

(a) For 1. Grants-in-aid General under (NER) (i) Assistance to Biotechnology Research and Development (R&D) and Industrial and Entrepreneurship Development (I&ED) (₹83.50 crore) and (ii) Assistance to Biomanufacturing and Biofoundry (₹11.50 crore) 2. Grants for Creation of capital Assets under (NER) Assistance to

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विकास (आई एंड ईडी) के लिए सहायता (₹30 करोड़) और (ii) जैव विनिर्माण और बॉयो फाउंड्री के लिए सहायता (₹8.50 करोड़) (एनईआर) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	Biotechnology Research and Development (R&D) and Industrial and Entrepreneurship Development (I&ED) (₹30 crore) and (ii) Assistance to Biomanufacturing and Biofoundry	16 10		16.10
(ख) (i) स्वायत्त संस्थाओं के लिए प्रतिबद्धता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹40.86 करोड़) (ii) स्वायत्त संस्थाओं के लिए प्रतिबद्धता हे तु वे तन सहायता अनुदान (₹14.72 करोड़) (iii) कार्यालय व्यय (₹2.50 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹0.60 करोड़), जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) तथा औद्योगिक एवं उद्यमशीलता विकास (आई एंड ईडी) को सहायता के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹230 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹90 करोड़) (iv) जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री को सहायता के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹115 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹65 करोड़) (v) बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹35 करोड़)।	(₹8.50 crore). (b) For (i) Grants-in-Aid General for commitment for Autonomous Institutions (₹40.86 crore) (ii) Grants-in-Aid Salaries for commitment for Autonomous Institutions (₹14.72 crore) (iii) Office Expenses (₹2.50 crore), Advertising and Publicity (₹0.50 crore), Professional Services (₹0.60 crore), Grants-in- aid General (₹230 crore) and Grants for Creation of capital Assets) (₹90 crore) under Assistance to Biotechnology Research and Development (R&D) and Industrial and Entrepreneurship Development (I&ED) (iv) Grants-in- aid General (₹115 crore) and Grants for Creation of capital Assets (₹65 crore) under Assistance to Biomanufacturing and Biofoundry (v) Grants - in - aid General under	16.10		16.10
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	Biopharma Mission (₹35 crore). 91 Department of Scientific and Industrial Research	168.33	-	168.33
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Grants-in- aid Salaries to National Labs.	27.13	-	27.13
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	44,142.87	- 44	4,142.87

3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹43,618.43 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदान/ विनियोजन के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका मिलान मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या संगत बचतों से किया जाता है। मदें इस प्रकार हैं:

अनुदान की तकनीकी पूरक मांगें

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

1. (i) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)' (₹3132 करोड़) (ii) 'पीएम-किसान' की अनुसूचित जाति उप-योजना (₹196 करोड़) (iii) 'पीएम-किसान' की जनजातीय क्षेत्र उप-

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹43,618.43 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

Technical Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

1 Department of Agriculture and Farmers Welfare

For meeting additional expenditure towards 1. 'Grants-in-Aid-General' under (i) 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)' (₹3132 crore) (ii) Schedule Caste

अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	योजना के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान' के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹172 करोड़) 2. 'महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र' के अंतर्गत सैटेलाइट पट्टे के लिए 'अन्य के लिए किराया' (₹71 करोड़) 3. 'किसान उत्पादक संगठन योजना के गठन और संवर्धन' (10 हजार एफपीओ) के अंतर्गत 'विज्ञापन और प्रचार' (₹2.52 करोड़) 4. 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत 'सब्सिडी' (₹106.29 करोड़) 5. 'चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान' के अंतर्गत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹12 करोड़) 6. 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ)' में अंतरण (₹4000 करोड़) 7. 'एआईडीएफ' में अंतर खाता अंतरण (पीएम-किसान हेतु ₹3500 करोड़)।		Sub Plan of 'PM-KISAN' (₹196 crore) (iii) Tribal Area Sub Plan of 'PM-KISAN' (₹172 crore) 2. Rent for Others' under 'Mahalanobis National Crop Forecasting Centre' for Satellite lease (₹71 crore) 3. 'Advertising and Publicity' under 'Formation and Promotion of Farmers Producers Organization Scheme' (10k FPO) (₹2.52 crore) 4. 'Subsidy' under 'Agriculture Infrastructure Fund' (₹106.29 crore) 5. 'Grants for Creation of Capital Assets' under 'Choudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing' (₹12 crore) 6. Transfer to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund (AIDF)' (₹4000 crore) 7. Inter Account Transfer to 'AIDF' (₹3500 crore for PM-KISAN).	3,500.00	_	3,500.00
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (i) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹88.85 करोड़) और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹106.37 करोड़) (ii) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹2.68 करोड़) और (iii) 'कृषि में सूचना और प्रकाशन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन निदेशालय, सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन' के अंतर्गत 'वेतन सहायता अनुदान' (₹139.83 करोड़)।	2	Department of Agricultural Research and Education For meeting expenditure towards (i) 'Grants-in-aid General' (₹88.85 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹106.37 crore) under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (ii) 'Grants for Creation of Capital Assets' under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (₹2.68 crore) and (iii) 'Grants-in-aid Salaries' under 'I.C.A.R Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication In Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹139.83 crore).	2.68	-	2.68
परम	ाणु ऊर्जा विभाग	DE	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3	परमाणु ऊर्जा (क) न्यायालय डिक्री से संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) भारी पानी बोर्ड और न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड, मुम्बई के लिए प्रचालन और रखरखाव पर व्यय को पूरा करने और यूसीआईएल को एमडीयू शुल्कों का भुगतान और न्यूक्लियर	3	 Atomic Energy (a) For meeting expenditure related to Court Decree. (b) For meeting expenditure towards Operational & Maintenance for Heavy Water Board and Nuclear Recycle Board, Mumbai and payment of MDU 	4.22	-	4.22
	प्रा एमडायू सुरक्षा का मुनातान आर प्यूपलवर प्रयूल साईकल, हैदराबाद के लिए यूरेनियम ओर कांसंट्रेट के आयात हेतु। (ग) वेतन सहायता-अनुदान (₹247.12 करोड़),		charges to UCIL and import of Uranium Ore Concentrate to Nuclear Fuel Cycle, Hyderabad. (c) For meeting additional expenditure	620.44	-	620.44

towards Grants-in-aid Salaries (₹247.12

सामान्य सहायता अनुदान (₹14.64 करोड़)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
महिला एवं बाल कल्याण (₹5 करोड़) सहायता प्राप्त संस्थाओं के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (घ) (i) भारी पानी बोर्ड के लिए (₹127.49 करोड़) और (ii) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के समायोजन के लिए (₹259.10 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेतु।	crore), Grants-in-aid General (₹14.64 crore) Women and Child Welfare (₹5 crore) to Aided Institutions. (d) For meeting expenditure (i) for Heavy Water Board (₹127.49 crore) and (ii) towards adjustment of Bonus Shares issued by Indian Rare Earth Limited (₹259.10 crore).	266.76	127.49	266.76
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND			
6 उर्वरक विभाग 'उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर एवं दूरसंचार का प्रावधान करने हेतु।	FERTILIZERS 6 Department of Fertilisers For making provision Information, Computers & Telecommunications under 'Direct Benefit Transfers in Fertilizer Subsidy'.		11.75	11.75
7 औषध विभाग इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के ऋण और अग्रिम हेतु।	7 Department of Pharmaceuticals For Loans and Advances of Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	-	39.00	39.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग (क) माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (₹1.33 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने	 10 Department of Commerce (a) For meeting expenditure towards Other Revenue Expenditure (₹1.33 crore) under O/o Directorate General of Foreign Trade as per order of Hon'ble 	1 22		1 22
हेतु। (ख) ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹620.69 करोड़) पर व्यय को पूरा करने हेतु।	High Court Gujarat. (b) For meeting expenditure towards Subsidies (₹620.69 crore) under Interest Equalisation Scheme.	1.33	-	1.33

संचार मंत्रालय

13 दूरसंचार विभाग

(ग) अंतर खाता हस्तांतरण के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹9,500 करोड़), वेतन, मंहगाई भत्ता, आईटी परियोजनाओं आदि में सामान्य वृद्धि के बदले अंतर खाता अंतरण के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (₹15 करोड़), 100 5 जी यूज केस प्रयोगशालाओं, आईपी विंग टीईपीसी आदि के संबंधित प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन भुगतान के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹21.37 करोड़), विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के बदले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सभा (आईटीयू) क्षेत्र कार्यालय में भारतीय योगदान पर भुगतान

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

13 Department of Telecommunications

(c) For meeting additional expenditure for Universal Service Obligation Fund under Inter account transfers (₹9,500 crore), Telecom Regulatory Authority of India under Inter account transfer in lieu of normal increase in Salary, DA, IT Projects etc. (₹15 crore), Other Revenue Expenditure for Technology Development & Investment Promotion payments concerning 100 5G Use Case labs, TEPC of IP wing etc. (₹21.37 crore), International Cooperation in lieu of World Telecommunication Standardization Assembly, Payment on

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और आईटीयू क्षेत्र कार्यालय के लिए सी- डॉट को किराया (₹51.80 करोड़), विभिन्न स्थापना शीर्षों के तहत प्रशिक्षण (₹40.50 करोड़) और दूरसंचार विवाद समाधान अपील प्राधिकरण स्थापना व्यय व्यय (₹8.01 करोड़)।	Indian Contribution to International Telecommunication Union (ITU) area office and rent to C-DoT for ITU area office (₹51.80 crore), Training under various establishment heads (₹40.50 crore) and Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal Establishment			
(ख) सरकारी गारंटी के तहत एमटीएनएल को ऋण प्रदान करने हेतु आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित ऋण और अग्रिम राशि की पूर्ति गारंटी मोचन निधि से की जाएगी।	Expenditure (₹8.01 crore). (b) For Loans and Advances required to recoup contingency fund advance taken to extend loan to MTNL on invocation of Government Guarantee to be met from Guarantee Redemption Fund.	9,555.50	759.10	9,555.50 759.10
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
 उपभोक्ता मामले विभाग (क) 'राष्ट्रीय परीक्षण शाला' योजना के अंतर्गत मशीनरी और उपकरणों पर व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) 'राष्ट्रीय परीक्षण शाला' योजना के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (₹1.71 करोड़) तथा भवन एवं संरचना (₹1.00 करोड़) पर व्यय को पूरा करने हेतु। 	 Department Of Consumer Affairs (a) For meeting expenditure towards Machinery & Equipment under the Scheme 'National Test House'. (b) For meeting expenditure towards Machinery & Equipment (₹1.71 crore) and for Building & Structure (₹1.00 crore) under the Scheme 'National Test House'. 	-	0.31 2.71	0.31
(क) भंडारण और गोदाम योजना के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	 15 Department of Food and Public Distribution (a) For meeting expenditure towards Investment under Scheme Storage & Godowns. 	-	5.30	5.30
(ख) भंडारण और गोदाम योजना के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Investment under Scheme Storage & Godowns.	-	59.52	59.52

सहकारिता मंत्रालय

16 सहकारिता मंत्रालय

(i) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय (₹0.08 करोड़) और (ii) सहकारी लोकपाल कार्यालय (₹0.01 करोड़) के लिए मोटर वाहन
 (i) सहकारी चुनाव प्राधिकरण कार्यालय (₹0.01 करोड़) और (ii) सहकारी लोकपाल कार्यालय (₹0.02 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण
 (i) सहकारिता मंत्रालय (₹0.40 करोड़) (ii) कंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय

MINISTRY OF COOPERATION

16 Ministry of Cooperation

For meeting expenditure towards 1. Motor Vehicles for (i) O/o Cooperative Election Authority (₹0.08 crore) and (ii) O/o Cooperative Ombudsman (₹0.01 crore) 2. Machinery and Equipment for (i) O/o Cooperative Election Authority (₹0.01 crore) and (ii) O/o Cooperative Ombudsman (₹0.02 crore) 3. Information, Computer,

अनुदान र	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
का लोव कंप मंत्र प्राप्ति लोव फर्न प्राप्ति सह	0.25 करोड़) (iii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण र्यालय (₹0.25 करोड़) और (iv) सहकारी कपाल कार्यालय (₹0.30 करोड़) के लिए सूचना, यूटर दूरसंचार उपकरण 4. (i) सहकारिता आलय (₹0.50 करोड़) सहकारी निर्वाचन धेकरण (₹0.02 करोड़) और (ii) सहकारी कपाल कार्यालय (₹0.01 करोड़) के लिए विचर और फिक्स्चर 5. (i) सहकारी निर्वाचन धेकरण कार्यालय (₹0.01 करोड़) और (ii) सहकारी निर्वाचन धेकरण कार्यालय (₹0.01 करोड़) और (ii) स्कारी लोकपाल कार्यालय (₹0.01 करोड़) केए अन्य अचल आस्तियों के व्यय को पूरा करने	Telecommunications Equipment' for (i) Ministry of Cooperation (₹0.40 crore) (ii) O/o Central Registrar of Co-operative Societies (₹0.25 crore) (iii) O/o Cooperative Election Authority (₹0.25 crore) and (iv) O/o Cooperative Ombudsman (₹0.30 crore) 4. Furniture & Fixtures for (i) Ministry of Cooperation (₹0.50 crore) (ii) O/o Cooperative Election Authority (₹0.02 crore) and (iii) O/o Cooperative Ombudsman (₹0.01 crore) 5. Other Fixed Assets for (i) O/o Cooperative Election Authority (₹0.01 crore) and (ii) O/o Cooperative Ombudsman (₹0.01 crore) and (ii) O/o Cooperative Ombudsman (₹0.01 crore).	_	1.87	1.87
रक्षा मंत्र	ालय	MINISTRY OF DEFENCE			
	ा मंत्रालय (सिविल)) स्थापना शीर्षों के अंतर्गत आवश्यकताओं के लिए रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹16 करोड़) तथा 'सामान्य सहायता अनुदान' के अंतर्गत रक्षा संपदा संगठन के लिए (₹80	 Ministry of Defence (Civil) (a) For meeting additional expenditure for Defence Accounts Department (DAD) for requirements under establishment Heads (₹16 crore) and for Defence Estates Organization under 			
(ख	करोड़) ह) विभिन्न स्थापना शीर्षों के अंतर्गत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के लिए अतिरिक्त व्यय	'Grant-in-aid – General' (₹80 crore) (b) For meeting additional expenditure for Armed Force T ribunal under various	96.00	-	96.00
(ग)	को पूरा करने हेतु।) 'अन्य राजस्व व्यय' के अंतर्गत कैंटीन स्टोर्स विभाग के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	establishment heads. (c) For meeting additional expenditure for Canteen Stores Department under	3.44	-	3.44
(ਬ)	हेतु।) केंटीन स्टोर्स विभाग के लिए 'सामग्री एवं आपूर्ति' (₹4,000 करोड़) और 'अन्य के लिए किराया' (₹1 करोड़) के अंतर्गत	'Other Revenue Expenditure'. (d) For meeting additional expenditure for Canteen Stores Department under 'Material & Supplies' (₹4,000 crore)	0.01	-	0.01
न्या लिप	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। ा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ायालय के आदेश से उत्पन्न होने वाले व्यय के ए रक्षा सेवाओं हेतु 'भूमि' हेतु अतिरिक्त व्यय	and 'Rent for others' (₹1 crore). 21 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure for 'Land' for Defence Services towards	4,001.00	-	4,001.00
का	पूरा करने हेतु।	expenditure arising out of court order.	-	62.00	62.00
24 पृथ्व (i) लिए हाई के	ज्ञान मंत्रालय वी विज्ञान मंत्रालय मशीनरी और उपकरण (₹567.20 करोड़) के ए व्यय की पूर्ति हेतु, जो नव निर्मित परियोजना- ई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग सिस्टम के कार्यान्वयन कारण नई एचपीसी की खरीद के कारण है, से पीआईबी की सिफारिशों के अनुसार	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 24 Ministry of Earth Sciences For meeting expenditure towards (i) Machinery and Equipment (₹567.20 Crore) due to procurement of new HPC owing to implementation of newly created project-High Performance Computing System which has been separated from			

System which has been separated from

ACROSS as per PIB recommendations

एसीआरओएसएस से अलग कर दिया गया है,

(ii) मिशन मौसम योजना के तहत मोटर वाहन

अनुद	तन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	(₹0.60 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹215.40 करोड़), सदस्यता (₹0.40 करोड़), फर्नीचर और फिक्सचर (₹1.50 करोड़) और अन्य अचल अस्तियों (₹0.10 करोड़) और (iii) हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग सिस्टम योजना के तहत मशीनरी और उपकरण (₹188.80 करोड़) जिसे एसीआरओएसएस से अलग कर दिया गया है।		(ii) Motor Vehicles (₹0.60 crore), Machinery and Equipment (₹215.40 crore), Subscription (₹0.40 crore), Furniture and Fixtures (₹1.50 crore) and Other Fixed Assets (₹0.10 crore) under the scheme Mission Mausam and (iii) Machinery and Equipment (₹188.80 Crore) under the scheme High Performance Computing System which has been separated from ACROSS.	-	615.32	615.32
वित्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
30	आर्थिक कार्य विभाग		Department of Economic Affairs			
	(क) अवसंरचना के विकास के लिए सहायता - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (₹1196.44 करोड़)।		(a) For assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding (₹1196.44 crore).	1,104.19	_	1,104.19
	(ख) स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 हेतु।		(b) For Gold Monetization Scheme 2015.	1,104.17	363.50	363.50
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	32	Department of Financial Services			
	(क) डीआरटी/डीआरएटी में ई-ऋण वसूली न्यायाधिकरण 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन और डीएफएस में सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण के लिए ₹36.60 करोड़ की अतिरिक्त राशि।		(a) For additional amount of ₹36.60 crore for implementation of e-Debt Recovery Tibunal 2.0 project in the DRTs/DRATs and for Information, Computers, Telecommunications equipment in			
	SHURKER CHEFT		DFS.	-	36.29	36.29
	(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए ₹499.99 करोड़ की अतिरिक्त राशि हेतु।		(b) For additional amount of ₹499.99 crore for "Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India.		449.92	449.92
34	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	34	Department of Investment and Public	-	449.92	449.92
04	(डीआईपीएएम)	٠.	Asset Management (DIPAM)			
	महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की		For meeting expenditure for procurement of			
	खरीद तथा मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत		women sanitary pad vending machine and			
	लंबित बिलों के भुगतान के लिए व्यय को पूरा		payment of pending bills under Machinery			
	करने हेतु।		and Equipment.	-	0.05	0.05
36	प्रत्यक्ष कर	36	Direct Taxes			
	सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार और भूमि खरीद के लिए स्थापना संबंधित व्यय हेतु।		For establishment related expenditure for Information, Computers, Telecommunica-			
	ारार् प्यान ॥ रायावरा व्यय रुपु		tions and purchase of land.	_	1,055.86	1,055.86
37	अप्रत्यक्ष कर	37	_		1,000.00	1,000.00
	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार शीर्ष के अंतर्गत स्थापना		For meeting additional requirement of funds			
	संबंधी व्यय के लिए ₹250 करोड़ की अतिरिक्त		of ₹250 crores for establishment related			
	निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु।		expenditure under Information, Computers,			
		20	Telecommunications Head.	-	133.77	133.77
38	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अतिरिक्त	38	Indian Audit and Accounts Department			
	स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु।		For meeting additional establishment expenditure of Indian Audit and Accounts			
	र । । । । न्यान नार हुस नर्सा छसु।		Department.	26.06	_	26.06
			- r	_0.00		_0.00

				(करोड़	रुपए में Rupee	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
खाह 45	प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹0.45 करोड़) और फर्नीचर और फिक्सचर हेतु		NISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries For Information, Computer, Telecommunications equipment (₹0.45 crore) and for 'Furniture & Fixture' (₹0.56 crore) under Capital outlay on Other General Economic Services.	-	1.01	1.01
	श्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सचिवालय व्यय के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार		NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health Research For meeting additional expenditure for			
	उपकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		Information, Computer, Telecommunication equipment of Secretariat Expenditure	-	0.43	0.43
	उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय उपभोक्ता उद्योग (एचपीसीएल) न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।		MISTRY OF HEAVY INDUSTRIES Ministry of Heavy Industries For meeting expenditure towards Other Revenue Expenditure under Support to Central Public Sector Enterprises in compliance with Consumer Industries (HPCL) Court order.	0.06	-	0.06
	मंत्रालय मंत्रिमंडल (क) विशेष अतिस्कि उड़ान सत्र-वीवीआईपी उड़ान संचालन के लिए अन्य पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) (i) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय (₹12.85 करोड़), मोटर वाहन (₹0.09 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (₹2.75 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.50 करोड़) (ii) साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय (₹104.33 करोड़) और अनुसंधान (₹4666.77 करोड़) और (iii) प्रधान मंत्री कार्यालय-सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार -(₹0.15 करोड़) व्यय को पूरा करने हेतु।		Cabinet (a) For meeting expenditure towards Other Capital Expenditure for Special Extra Flight Session-VVIP Flight Operation. (b) For meeting expenditure towards (i) Other Capital Expenditure (₹12.85 crore), Motor Vehicle (₹0.09 crore), Information, Computers, Telecommunications (₹2.75 crore) and Furniture and Fixtures (₹0.50 crore) under National Security Council Secretariat (ii) Other Capital Expenditure under Cyber Security Research and Development (₹104.33 crore) and Research (₹4666.77 crore) and (iii) Prime Minister Office - Information, Computers,	-	124.00	124.00
51	पुलिस (क) भत्ते के अंतर्गत ₹6334.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु, ₹0.01 करोड़ का प्रावधान निम्नलिखित नए वस्तु शीर्षों को खोलने के लिए उपयोग किया जाएगाः अन्य के लिए किराया (आप्रवासन ब्यूरो), अन्य के	51	Telecommunications – (₹0.15 crore). Police (a) For meeting additional expenditure of ₹6334.13 crore under Allowances, provision of ₹0.01 crore would be utilized for opening of the following new object heads: Rent for	-	4,787.44	4,787.44

			(करोड़	रुपए में Rupee.	s in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
	लिए किराया (पुलिस अनुसंधान एवं विकास	others(Bureau of Immigration), Rent for			
	ब्यूरो), ईनाम और पुरस्कार (पुलिस अनुसंधान	others(Bureau of Police Research &			
	एवं विकास ब्यूरो), गुप्त सेवा व्यय (पुलिस	Development), Awards and			
	अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो), प्रशिक्षण व्यय	Prizes(Bureau of Police Research &			
	(विधि विज्ञान निदेशालय), मुद्रण और प्रकाशन	Development), Secret Service			
	(विधि विज्ञान निदेशालय), गुप्त सेवा व्यय	Expenditure(Bureau of Police Research			
	(आई 4 सी), कार्यालय व्यय (सशस्त्र सीमा	& Development), Training			
	बल-एसएपी), अन्य राजस्व व्यय (वीवीपी),	Expenses(Directorate of Forensic			
	सामान्य सहायता अनुदान (जम्मू और कश्मीर	Science), Printing and			
	पुलिस), अन्य के लिए किराया (विधि विज्ञान	Publication(Directorate of Forensic			
	निदेशालय), प्रशिक्षण व्यय (सीसीपीडब्ल्यूसी),	Science), Secret Service Expenditure			
	विज्ञापन और प्रचार (सीसीपीडब्ल्यूसी),	(I4C), Office Expenses (Sashastra			
	व्यावसायिक सेवाएं (सीसीपीडब्ल्यूसी), पूंजीगत	Seema Bal-SAP),Other Revenue			
	आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	Expenditure(VVP), Grants-in-aid-			
	(एनसीबी), और, अतिरिक्त व्यय को पूरा	General(Jammu and Kashmir Police),			
	करने के लिए भी विज्ञापन एवं प्रचार के	Rent for others (Directorate of Forensic			
	अंतर्गत - ₹15.71 करोड़, हथियार एवं गोला-	Science), Training Expenses(CCPWC),			
	बारूद - ₹128.54 करोड़, डिजिटल उपकरण	Advertising and Publicity(CCPWC),			
	- ₹19.03 करोड़, पूंजीगत आस्तियों के	Professional Services(CCPWC),			
	सृजन के लिए अनुदान - ₹141.15 करोड़,	Grants for creation of Capital Assets			
	सामान्य सहायता अनुदान - ₹298.16 करोड़,	(NCB), and, also for meeting additional			
	वेतन सहायता अनुदान - ₹10.00 करोड़,	expenditure under Advertising &			
	मुद्रण एवं प्रकाशन - ₹17.77 करोड़, पेशेवर	Publicity - ₹15.71 crore, Arms &			
	सेवाएं - ₹1006.49 करोड़, अन्य के लिए	Ammunition - ₹128.54 crore, Digital			
	किराया - ₹82.93 करोड़, गुप्त सेवा व्यय -	Equipment - ₹19.03 crore, Grants for			
	₹400.00 करोड़, छात्रवृत्ति - ₹0.09 करोड़।	creation of Capital Assets - ₹141.15			
		crore, Grants-in-aid-General - ₹298.16			
		crore, Grants-in-aid-Salaries - ₹10.00			
		crore, Printing and Publication - ₹17.77			
		crore, Professional Services - ₹1006.49			
		crore, Rent for others - ₹82.93 crore,			
		Secret Service Expenditure - ₹400.00			
		crore, Scholarships - ₹0.09 crore.	1,493.29	-	1,493.29
	(ख) भवन एवं संरचना (₹13.89 करोड़), मोटर	(b) For meeting additional expenditure			
	वाहन- (₹1.86 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त	under Building and Structures (₹13.89			
	व्यय को पूरा करने हेतु।	crore), Motor Vehicles- (₹1.86 crore).	-	15.75	15.75
52	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands			
	आपूर्ति एवं सामग्री के अंतर्गत विद्युत गृहों के	For meeting additional requirement towards			
	संचालन हेतु एचएसडी तेल की खरीद हेतु अतिरिक्त	procurement of HSD oil for running of			
	आवश्यकता को पूरा करने हेतु।	Power Houses under Supplies & Materials	60.53	-	60.53
56	लक्षद्वीप	56 Lakshadweep			
	जहाजों के संचालन एवं रखरखाव पर अतिरिक्त	For meeting additional expenditure towards			
	व्यय को पूरा करने हेतु (₹218.90 करोड़)।	running and maintenance of Ships (₹ 218.90			
	0.00	crore).	100.84	-	100.84
57	दिल्ली हेतु अंतरण	57 Transfers to Delhi			
	जेआईसीए के लिए ऋण और अग्रिम पर अतिरिक्त	For meeting additional expenditure towards		0.5.5.5	0.5
	व्यय को पूरा करने हेतु।	Loans and Advances for JICA.	-	80.00	80.00

				(कराड़	өчү ч кирее	
अस	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
_			-	Revenue	Capitai	Total
आव	पासन और शहरी कार्य मंत्रालय	Ml	INISTRY OF HOUSING AND URBAN			
			AFFAIRS			
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60	Ministry of Housing and Urban Affairs			
			(a) For meeting expenditure towards			
	(क) राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद और राष्ट्रपति		Medical Treatment (₹0.05 crore),			
	निवास, मशोबरा से संबंधित राष्ट्रपति		Office Expenses (₹0.54 crore), Rent,			
	सचिवालय के तहत चिकित्सा उपचार (₹0.05		Rate and taxes for Land and Buildings			
	करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.54 करोड़),		(₹11 crore), Rent for Others (₹0.05			
	भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और		crore), Material and Supplies (₹0.21			
	कर (₹11 करोड़), अन्य के लिए किराया		crore), Minor Civil and Electric Works			
	(₹0.05 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹0.21		(₹16.70 crore), Repair and Maintenance			
	करोड़), लघु सिविल और विद्युत कार्य		(₹1.10 crore) under President's			
	(₹16.70 करोड़), मरम्मत और रखरखाव		Secretariat pertaining to Rashtrapati			
	(₹1.10 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने		Nilayam, Hyderabad and Rashtrapati			
	हेतु ।		Niwas, Mashobra.	29.65	_	29.65
	(ख) मेट्रो परियोजनाओं के तहत निवेश		(b) For meeting expenditure towards			
	र्(₹2,201.92 करोड़) और विभिन्न मेट्रो		Investments (₹2,201.92 crore) under			
	परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ग्रीन फंड में		Metro Projects and Inter Account			
	अंतर लेखा अंतरण (₹2,201.92 करोड़) के		Transfer of (₹2,201.92 crore) to			
	लिए व्यय को पूरा करने हेतु ।		Sovereign Green Fund for various			
			Metro Projects.	_	4,403.84	4 403 84
	(ग) मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹563.57 करोड़		(c) For 'Loans and Advances' of ₹563.57		4,405.04	7,703.07
	और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम		crore for Metro Projects and ₹108 crore			
	के लिए ₹ 108 करोड़ के 'ऋण और अग्रिम'		for National Capital Region Transport			
					671.57	671.57
	हेतु ।		Corporaton.	-	0/1.3/	0/1.3/
सूच	ना एवं प्रसारण मंत्रालय	M	INISTRY OF INFORMATION AND			
			BROADCASTING			
61	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61	Ministry of Information and			
			Broadcasting			
	(i) सचिवालय के तहत मोटर वाहन (₹0.05		For meeting expendture towards (i) Motor			
	करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹0.17 करोड़),		Vehicles (₹0.05 crore), Machinery and			
	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹2 करोड़),		Equipment (₹0.17 crore), Information,			
	भवन और संरचना (₹15 करोड़) और फर्नीचर		Computer, Telecommunication Equipment			
	और फिक्स्चर (₹0.38 करोड़ रुपये) (ii) प्रेस		(₹2 crore), Buildings and Structures (₹15			
	सूचना ब्यूरो के तहत मोटर वाहन (₹0.30 करोड़),		crore) and Furniture & Fixtures (₹0.38			
	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹2 करोड़)		crore) under Secretariat (ii) Motor Vehicles			
	और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.33 करोड़) (iii)		(₹0.30 crore), Information, Computer,			
	(10.00 4.49) (III)		T.1. (72)			

Telecommunication Equipment (₹2 crore)

and Furniture & Fixtures (₹0.33 crore) under

Press Information Bureau (iii) Furniture &

Fixtures (₹0.07 crore) and Other Fixed

Assets (₹0.01 crore) under Publications

Division (iv) Information, Computer

Telecommunication (ICT) Equipment

(₹0.03 crore) and 'Furniture & Fixtures'

(₹0.06 crore) under Central Board of Film

Certification (v) Furniture & Fixtures (₹0.50

सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹2 करोड़), भवन और संरचना (₹15 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.38 करोड़ रुपये) (ii) प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत मोटर वाहन (₹0.30 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹2 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.33 करोड़) (iii) प्रकाशन विभाग के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.07 करोड़) तथा अन्य नियत आस्तियां (₹0.01 करोड़) (iv) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.03 करोड़) तथा फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.06 करोड़), (v) केन्द्रीय सूचना ब्यूरो के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.50 करोड़) (vi) भारत के प्रेस महापंजीयक के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹0.25 करोड़) तथा (vii) एनीमेशन, विजुअल इफेक्टस , गेमिंग

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और कॉमिक्स एक्स्टेंडेड रियलिटी (एनसीओई एवीजीसी-एक्सआर) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के तहत निवेश(2.40 करोड़ रुपये)।	crore) under Central Bureau of Communication (vi) Information, Computer, Telecommunication Equipment (₹0.25 crore) under Press Registrar General of India and (vii) Investments (₹2.40 crore) under National Centre of Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming and Comics - Extended Reality (NCoE AVGC-XR).	_	23.03	23.03
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
64 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देश के अनुसार लंबित देनदारियों को जारी करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु ।	64 Ministry of Labour and Employment For meeting expenditure towards Grants-in-	0.68	-	0.68
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
 विधि और न्याय मंत्रालय राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए निर्वाचन संबंधी व्यय के लिए व्यावसायिक सेवा के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹991.32 करोड़)। निर्वाचन आयोग भवन और संरचनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को 	 65 Law and Justice For meeting additional expenditure under Professional Service for election related expenses incurred by State Governments/ UTs (₹991.32 crore). 66 Election Commission 	73.20	-	73.20
पूरा करने के लिए।	Building and Structures.	-	12.08	12.08
विधि और न्याय मंत्रालय 67 भारत का उच्चतम न्यायालय मोटर वाहन (₹2.25 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹0.42 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹4.03 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए तथा विरासत आस्तियों और एन. ई.सी. के उन्नयन/खरीद के तहत भारत के आकस्मिक निधि से लिए गए ₹22.44 करोड़ की अग्रिम राशि को फिर से जुटाने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹22.44 करोड़)।	and Equipment (₹0.42 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹4.03 crore) and to re-coup the advance of ₹22.44 crore drawn from the Contingency Fund of India to meet		29.14	29.14
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MEDIUM ENTERPRISES 68 Ministry of Micro, Small and Medium			
अवसंरचना स्थापना डीसी (एमएसएमई) के तहत भवन और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		-	0.99	0.99

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES 69 खान मंत्रालय 69 Ministry of Mines सचिवालय के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार For meeting additional expenditure towards उपकरण (₹0.14 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर Information, Computer Telecommunication (₹0.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा equipment (₹0.14 crore), Furniture and करने हेतू । 0.24 Fixtures (₹0.10 crore) under Secretariat. 0.24 संसदीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF PARLIAMENTARY **AFFAIRS** 73 संसदीय कार्य मंत्रालय 73 Ministry of Parliamentary Affairs डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान For meeting additional expenditure under एप्लिकेशन (एनईवीए) की मेजबानी के लिए सूचना, Information, Computers, कंप्यूटर, दुरसंचार उपकरण के तहत अतिरिक्त Telecommunications Equipment for hosting व्यय को पूरा करने हेतू। National eVidhan Application (NeVA) for Digital Legislatures. 2.06 2.06 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC **GRIEVANCES AND PENSIONS** 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (क) भूमि और भवनों के लिए (i) किराया, दरें (a) For meeting additional expenditure और कर (₹9 करोड़) और (ii) पेंशन और towards (i) Rent, rates and Taxes (₹9 पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तहत सामान्य crore) for Land & Buildings and सहायता अनुदान (₹15 करोड़) और ए. आर. (ii) Grants-in-aid General under D/o पी. जी. विभाग के तहत अनुदान (₹0.30 Pension & Pensioners' Welfare (₹15 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पुरा करने crore) and D/o ARPG respectively के लिए। (₹0.30 crore). 0.30 0.30 (ख) सीबीआई के तहत डीटीई (₹6.82 करोड़), (b) For meeting additional expenditure भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और towards DTE (₹6.82 crore), Rent, Rates कर (₹9.45 करोड़) और भत्ते (₹10.93 and Taxes for Land and Buildings करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (₹9.45 crore) and Allowances (₹10.93 crore) under CBI. 20.38 20.38 (ग) भूमि और भवनों के लिए किराए, दरों और (c) For meeting additional expenditure करों (₹3 करोड़), वेतन (₹1.50 करोड़), towards Rent, Rates and Taxes for Land भत्ते (₹1.08 करोड़), छुट्टी यात्रा रियायत and Buildings (₹3 crore), Salaries (₹0.10 करोड़) और लोकपाल के अंतर्गत (₹1.50 crore), Allowances (₹1.08 मरम्मत और रखरखाव (₹0.15 करोड़) के crore), Leave Travel Concession (₹0.10 लिए अतिरिक्त व्यय को पुरा करने हेतू। crore) and Repair & Maintenance 2.83 2.83 (₹0.15 crore) under Lokpal. (घ) सिविल सेवा और क्षमता निर्माण के लिए (d) For World Bank Assistance for National राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की Programme for Civil Servcies & सामान्य सहायता अनुदान (₹8.96 करोड़), Capacity Building-GIA General (₹8.96 विशेष प्रयोजन तंत्र-सिविल सेवा और क्षमता crore), Special Purpose Vehicle-निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-जीआईए National Programme for Civil Services जनरल (₹12.53 करोड़), विशेष प्रयोजन & Capacity Building- GIA General तंत्र-सिविल सेवा और क्षमता निर्माण के (₹12.53 crore), Special Purpose लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-जीआईए वेतन (₹2.75 Vehicle- National Programme for Civil करोड़)। Services & Capacity Building-GIA Salaries (₹2.75 crore). 2.75 2.75 (e) For Acquisition of land & construction (ड) भूमि अधिग्रहण और लोकपाल के लिए भवन के निर्माण हेत्। of building for Lokpal. 28.50 28.50

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND **NATURAL GAS** 76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas (क) गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के (a) For meeting additional expenditure तहत सब्सिडी (₹1225.55 करोड़) के लिए towards subsidy (₹1225.55 crore) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् । LPG Connection to Poor under Households. 788.11 788.11 (ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा (b) For meeting additional expenditure भारत सरकार के पक्ष में बोनस शेयरों के पूर्व towards adjustment of prior period issue अवधि के निर्गम के समायोजन हेत् अतिरिक्त of bonus shares in favour of व्यय को पुरा करने हेत्। Government of India by Bharat Petroleum Corporation Ltd. 807.91 807.91 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS 78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत (a) For meeting expenditure towards भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के Investment for Inland Waterways लिए निवेश हेत् व्यय को पूरा करने हेत्। Authority of India under Capital Outlay on North Eastern Areas. 86.00 86.00 (ख) नौवहन महानिदेशालय के तहत अवसंरचनात्मक (b) For meeting expenditure towards आस्तियों के व्यय को पूरा करने हेतू। Infrastructural Assets under Directorate General of Shipping. 14.13 14.13 (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के (c) For meeting expenditure towards तहत निवेश के व्यय को पूरा करने हेतू। Investment under Inland Waterways (घ) पत्तनों और लाइट हाउसों के लिए चेन्नई 17.61 Authority of India. 17.61 पतन/बंदरगाह प्राधिकरण के तहत ऋण और (d) For meeting expenditure towards Loans अग्रिमों के लिए व्यय को पूरा करने हेत्। and Advances under Chennai Port Authority for Ports and Light Houses. 146.72 146.72 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 79 विद्युत मंत्रालय 79 Ministry of Power (i) भारत सरकार के पक्ष में बोनस शेयर जारी For meeting additional expenditure for (i) करने के लिए पूर्व अवधि के समायोजन के लिए Power Finance Corporation Ltd. (₹369.58 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) पावर फाइनेंस crore) and Power Grid Corporation of India कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए (₹369.58 करोड़) Ltd. (₹1148.72 crore) for adjustment of prior तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड period for issue of bonus shares (for FY (₹1148.72 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा 2023-24) in favour of Government of India करने के लिए (ii) सचिवालय व्यय के तहत अन्य and (ii) other capital expenditure under पुंजीगत व्यय हेत् (₹4.25 करोड़) । Secretariat Expenditure (₹4.25 crore). 1,518.30 1,518.30 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION का सचिवालय PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 80 राष्ट्रपति के कर्मचारी, घरेलू और भत्ते 80 Staff, Household and Allowances of the **President** कार्यालय व्यय (₹4.66 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन For meeting additional expenditure under (₹0.05 करोड़), व्यवसायिक सेवाओं (₹1.94 Office Expenses (₹4.66 crore), Printing &

o. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
cation (₹0.05 cr.), Professional res (₹1.94 crore), Digital Equipment cal Treatment (₹0.05 crore), respectively. The content (₹0.05 crore), respectively. Materials & respectively. The content (₹0.10 crore) and Other Revenue			
aditure (₹0.95 crore). abha eeting additional expenditure under rances (₹3 crore), Office Expenses ore) and Repair and Maintenance ore).	10.21	-	10.21
ore).	10.00	-	10.00
Y OF RAILWAYS			
try of Railways			
or meeting additional expenditure for ayment towards Court Decrees. or meeting additional expenditure for	118.00	-	118.00
ayments towards Court Decrees. or meeting additional expenditure owards payment arising out of Court	1.51	-	1.51
or meeting additional expenditure owards (i) adjustment of Bonus Shares sued by M/s. Rail India Technical and conomic Services (RITES)(₹100 rore in 2016-17, 43.70 crore in 2019-0 and ₹173.50 crore in 2024-25) and 1/s. Container Corporation of India imited (CONCOR) (₹26.71 crore in 2017-18 and ₹33.39 crore in 2018-19) i) Infrastructure up-gradation of diesel oco shed for homing 250 Nospecomotives (₹129.43 crore) and (iii) rocurement of Standard Gauge rainsets- 2 Nos. of 8 coaches each		642.92 377.30	642.92 377.30
rai	_	insets- 2 Nos. of 8 coaches each	insets- 2 Nos. of 8 coaches each

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(क) (i) रखरखाव (₹2160 करोड़) के तहत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सड़क शाखा द्वारा रखरखाव के लिए मरम्मत और रखरखाव (ii) राजमार्ग अनुसंधान के तहत गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण के लिए अन्य राजस्व व्यय-केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष से वित्त पोषण (₹40 करोड़) और (iii) केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान के तहत अंतर लेखा

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

86 Ministry of Road Transport and Highways

(a) For meeting additional expenditure towards (i) Repair and Maintenance for Maintenance by Roads Wing financed from Central Road and Infrastructure Fund under Maintenance (₹2160 crore) (ii) Other Revenue Expenditure for Quality Assurance, Research, Development and Training under Highway Research – funding from Central Road and Infrastructure Fund

अनु	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	अंतरण (₹2,150 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय से पूरा करने हेतु। (ख) (i) राष्ट्रीय राजमार्गों के पर्यवेक्षण के लिए अन्य राजस्व व्यय सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस ट्रीटमेंट हेतु केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाओं के तहत कार्य (₹127.90 करोड़) और (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंचरना निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान के तहत अंतर खाता अंतरण (₹127.90 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(₹40 crore) and (iii) Inter Account Transfers under Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹2150 crore) (b) For meeting additional expenditure towards(i) Other Revenue Expenditure for Supervision of National Highways Works under Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund for "Cashless Treatment to Victims of Road Accidents" (₹127.90 crore) and (ii) Inter Account Transfer under Block Grant for Transfer to Central Road and	2,150.00	-	2,150.00
	(ग) रोड विंग/राज्य पीडब्ल्यूडी/एनएचआई डीसीएल/बीआरओ के तहत भारतमाला परियोजना-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-कार्यों के तहत अवसंरचना आस्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	 Infrastructure Fund (₹127.90 crore). (c) For meeting additional expenditure towards Infrastructural Assets under Bharatmala Priyojana – Tribal Area Sub Plan – works under Road Wing/ State PWDs/ NHIDCL/BRO. 	127.90	239.81	127.90 239.81
तिਵ	ान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
89	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत के सर्वेक्षण के तहत मशीनरी और उपकरण (8.50 करोड़ रुपये) और फर्नीचर और फिक्स्चर (0.36 करोड़ रुपये) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु ।	TECHNOLOGY 89 Department of Science and Technology For meeting expenditure towards Machinery and Equipment (₹8.50 crore) and Furniture and Fixture (₹0.36 crore) under Survey of India.	-	8.86	8.86
	इस्पात मंत्रालय (क) ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए खाता समायोजन के लिए हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच. एस. सी. एल.) के संबंध में निवेश (₹0.01 करोड़) , (ii) राष्ट्री य इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में इक्विटी निवेश के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से लिए गए अग्रिम की भरपाई के लिए निवेश (₹500.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) सामान्य सेवाओं के तहत मशीनरी और उपकरण (0.13 करोड़ रुपये), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (0.35 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.15 करोड़ रुपये), अवसंरचनतामक आस्तियों (4.25	MINISTRY OF STEEL 97 Ministry of Steel (a) For meeting additional expenditure towards (i) Investment (₹0.01 crore) for making book adjustment for converting loan to equity w.r.t. Hindustan Steel Works Construction Limited (HSCL) and (ii) Investment (₹500.00 crore) to recoup the advance taken from Contingency Fund of India for equity infusion in Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL). (b) For meeting additional expenditure towards Machinery and Equipment (₹0.13 crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.35 crore), Furniture and Fixtures	-	500.01	500.01
	करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(₹0.15 crore), Infrastructural Assets (₹4. 25 crore) under General Services.	-	4.88	4.88

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** (ग) आर. आई. एन. एल. को कार्यशील पूंजी (c) For Loans and Advances (₹1140.00 ऋण प्रदान करने के लिए आकस्मिकता crore) required to recoup Contingency निधि अग्रिम (₹1140 करोड़) की वसूली के Fund Advance(₹1140 crore) taken for लिए आवश्यक ऋणों और अग्रिमों providing Working Capital Loan to (₹1140.00 करोड़) के लिए। RINL. 1,140.00 1,140.00 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 98 वस्त्र मंत्रालय 98 Ministry of Textiles माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुपालन For meeting additional expenditure towards में भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि Grants-in-Aid General under Support to से लिए गए अग्रिम की भरपाई के लिए पीएसयू PSU to recoup the advance taken from को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान Contingency Fund of India towards payment के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् । in compliance of Hon'ble High Court of Allahabad. 16.00 16.00 पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM 99 पर्यटन मंत्रालय 99 Ministry of Tourism (i) मशीनरी और उपकरण (₹0.10 करोड़ रुपये), For meeting an additional expenditure (ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण (₹3.30 towards (i) Machinery & Equipments (₹0.10 करोड़ रुपये) और (iii) फर्नीचर और फिक्स्चर crore), (ii)Information, Computers, (₹0.10 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को Telecommunications Equipments (₹3.30 पुरा करने के लिए। crore) and (iii) Furnitures & Fixtures (₹0.10 crore). 3.50 3.50 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100 जनजातीय कार्य मंत्रालय 100 Ministry of Tribal Affairs (क) गैर-योजना 'सचिवालय' के तहत 'चिकित्सा (a) For meeting additional expenditure उपचार' (₹0.40 करोड़), 'भत्ते' (₹1.20 towards 'Medical Treatment' (₹0.40 करोड़), 'कार्यालय व्यय' (₹1.00 करोड़), crore), 'Allowances' (₹1.20 crore), 'भूमि और भवन के लिए किराया, दर और 'Office Expenses' (₹1.00 crore), 'Rent, कर' (₹0.64 करोड़), 'डिजिटल उपकरण' Rates and Taxes for Land and Building' (₹0.35 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को (₹0.64 crore), 'Digital Equipment' पुरा करने हेतू। (₹0.35 crore) under the Non- scheme 'Secretariat'. 3.59 3.59 (ख) (i) गैर-योजना 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति (b) For meeting additional expenditure आयोग' के तहत 'वेतन' (₹0.23 करोड़) towards (i) 'Salaries' (₹0.23 crore) और (ii) "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष under the Non-Scheme 'National अभियान" के तहत सामान्य सहायता अनुदान Commission for Scheduled Tribes' and (₹0.10 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन (ii) Grant-in-Aid General (₹0.10 crore), के लिए अनुदान (₹2 करोड़), 'कार्यालय Grants for Creation of Capital Assets व्यय' (₹0.50 करोड़), 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹2 crore), 'Office Expenses' (₹0.50 (₹0.10 करोड़), 'अन्य राजस्व व्यय' (₹9.40 crore), 'Professional Services' (₹0.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने crore), 'Other Revenue Expenses' के लिए। (₹9.40 crore) under the scheme 'Dharti

Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan'.

0.23

0.23

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development			
सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹4 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.20 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting the additional expenditure under Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment (₹4 crore) and Furniture and Fixtures (₹0.20			
,	crore).	-	4.20	4.20
कुल तकनीकी	Total Technical	24,202.44	19,415.99 4	3,618.43

जिसके लिए इंगित व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजीगत भाग के भीतर बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, प्रांसगिक अनुदान संबंधी जैसा भी मामला हो।

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक को 1 4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of लाख रुपये का पूरक अनुदान लेने का भी प्रस्ताव है, items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनु	दान के लिए सांकेतिक पूरक मांगें	Tol	ken Supplementary Demands for grants			
कृषि	ो एवं किसान कल्याण मंत्रालय	Ml	NISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1	Department of Agriculture and Farmers Welfare			
	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas	1,247.30	-	1,247.30
	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601-Grants-in-aid to State Governments	75.00	-	75.00
आर्	पुष मंत्रालय	MI	NISTRY OF AYUSH			
4	आयुष मंत्रालय	4	Ministry of AYUSH			
	2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		2210-Medical and Public Health	0.70	-	0.70
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	Ml	NISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7	औषध विभाग	7	Department of Pharmaceuticals			
	2852-उद्योग		2852-Industries	234.00	-	234.00
वापि	गज्य और उद्योग मंत्रालय	Ml	NISTRY OF COMMERCE AND			
			INDUSTRY			
10	वाणिज्य विभाग	10	Department of Commerce			
	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत		5475-Capital Outlay on Other General			
	परिव्यय		Economic Services	-	0.01	0.01
11	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11	ı			
			and Internal Trade			
	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451 - Secretariat-Economic Services	6.00	-	6.00
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		2070 - Other Administrative Services	2.40	-	2.40
	2852-उद्योग		2852 - Industries	60.13	-	60.13
	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ		3475 - Other General Economic Services	23.50	-	23.50

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** संचार मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS 13 दूरसंचार विभाग 13 Department of Telecommunications 5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 5275-Capital Outlay on Other Communication 9,141.02 9,141.02 Services उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS. FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 14 उपभोक्ता मामले विभाग 14 Department Of Consumer Affairs 3456-सिविल आपूर्ति 0.01 3456 - Civil Supplies 0.01 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 15 Department of Food and Public **Distribution** 2408 खाद्य भंडारण और माल गोदाम (*प्रभारित*) 2408 - Food Storage and (स्वीकृत) Warehousing (Charged) 1.35 1.35 567.12 567.12 (Voted) सहकारिता मंत्रालय MINISTRY OF COOPERATION 16 सहकारिता मंत्रालय 16 Ministry of Cooperation 2425- सहकारिता 2425 - Co-operation 2.74 2.74 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451 - Secretariat-Economic Services 4.60 4.60 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 17 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 17 Ministry of Corporate Affairs 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451 - Secretariat-Economic Services 5.08 5.08 संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE 18 संस्कृति मंत्रालय 18 Ministry of Culture 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ 2251-Secretariat-Social Services 4 71 471 2205 कला और संस्कृति 17.02 2205-Art and Culture 17.02 MINISTRY OF DEFENCE रक्षा मंत्रालय 21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 21 Capital Outlay on Defence Services 4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4076 - Capital Outlay on Defence Services 1,712.93 1,712.93 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION 23 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय 23 Ministry of Development of North **Eastern Region** 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ 2052 - Secretariat-General Services 0.10 0.10 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES 24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 24 Ministry of Earth Sciences 3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3403 - Oceanographic Research 770.37 770.37 3455-मौसम विज्ञान 3455 - Meteorology 247.30 247.30 5403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय 5403 - Capital Outlay on Oceanographic Research 0.60 0.60 शिक्षा मंत्रालय MINISTRY OF EDUCATION 25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 25 Department of School Education and Literacy 2202-सामान्य शिक्षा 471.08 2202 - General Education 471.08 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 68.02 68.02 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601 - Grants-in-aid to State Governments 286.97 286.97

				(47(19	vas a Kupe	
अनुव	व्चन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	26	Department of Higher Education			
	2202-सामान्य शिक्षा		2202 - General Education	2.50	-	2.50
इले	म्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ml	INISTRY OF ELECTRONICS AND			
			INFORMATION TECHNOLOGY			
27	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27	Ministry of Electronics and Information			
			Technology			
	2852-उद्योग		2852 - Industries	185.50	-	185.50
पर्या	वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	Ml	INISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28	Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451 - Secretariat-Economic Services	11.09	_	11.09
	2406 वानिकी और वन्यजीव		2406-Forestry and Wild Life	2.14	_	2.14
	3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण		3435-Ecology and Environment	1.38	_	1.38
	4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय		4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Lif		0.99	0.99
	5425 अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान		5425 - Capital Outlay on Other Scientific			
	पर पूंजीगत परिव्यय		and Environment Research	_	3.79	3.79
	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत		5475 - Capital Outlay on Other General			
	परिव्यय		Economic Services	-	3.01	3.01
विदे	श मंत्रालय	MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29	विदेश मंत्रालय	29	Ministry of External Affairs			
	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		4059-Capital Outlay on Public Works	-	214.89	214.89
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4070 - Capital Outlay on Other Administrativ	ve .		
			Services	-	0.07	0.07
	4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4075 - Capital Outlay on Miscellaneous		0.06	0.06
			General Services	-	0.06	0.06
	मंत्रालय		NISTRY OF FINANCE			
30		30	Department of Economic Affairs			
	5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश		5465-Investments in General Financial and		560.00	560.00
			Trading Institutions	-	560.00	560.00
	5466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश		5466-Investments in International Financial Institutions		132.72	132.72
	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत		5475-Capital Outlay on Other General	-	132.72	132.72
	परिव्यय		Economic Services	_	3.89	3.89
31	0	31	Department of Expenditure		3.07	5.07
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		2070 - Other Administrative Services	2.58	_	2.58
35	राजस्व विभाग	35	Department of Revenue			
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4070-Capital Outlay on Other Administrative	;		
			Services	-	65.83	65.83
37	अप्रत्यक्ष कर	37	Indirect Taxes			
	2037-सीमा शुल्क		2037-Customs	1,784.08	-	1,784.08
42	राज्यों को अंतरण	42	Transfers to States			
	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601-Grants-in-aid to State Governments	3,620.78	-	3,620.78

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** मत्स्य पालन, पश् पालन और डेयरी मंत्रालय MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL **HUSBANDRY AND DAIRYING** 43 मत्स्य पालन विभाग 43 Department of Fisheries 2405-मत्स्य पालन 2405 - Fisheries 80.00 80.00 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय 4405-Capital Outlay on Fisheries 3.10 3.10 44 पशुपालन और डेयरी विभाग 44 Department of Animal Husbandry and 2403-पशुपालन 2403 - Animal Husbandry 262.08 262.08 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING **INDUSTRIES** 45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 45 Ministry of Food Processing Industries 2408-खाद्य भंडार और भंडारण 42.33 42.33 2408 - Food Storage and Warehousing स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 46 Department of Health and Family Welfare 2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 547.68 547.68 2211-परिवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.10 0.10 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 126.91 126.91 2552-North Eastern Areas 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 166.02 166.02 3601-Grants-in-aid to State Governments 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.20 0.20 भारी उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES 48 भारी उद्योग मंत्रालय 48 Ministry of Heavy Industries 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451 - Secretariat-Economic Services 0.66 0.66 2852-उद्योग 2852-Industries 1,944.61 1,944.61 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS 49 गृह मंत्रालय 49 Ministry of Home Affairs 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ 2052-Secretariat-General Services 2.14 2.14 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070 - Other Administrative Services 1.52 1.52 2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 5.00 2245 - Relief on account of Natural Calamities 5.00 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative 0.40 0.40 Services 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4250-Capital Outlay on other Social Services 0.05 0.05 51 पुलिस 51 Police 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601 - Grants-in-aid to State Governments 47.97 47.97 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 4055 - Capital Outlay on Police 2,669.70 2,669.70 52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 52 Andaman and Nicobar Islands 2014-न्याय प्रशासन 2014-Administration of Justice 0.01 0.01 2029-भूमि राजस्व 0.20 0.20 2029-Land Revenue 2044-संघ राज्य क्षेत्र हेत् माल एवं सेवा कर के 2044-Collection Charges under Union तहत संग्रह शुल्क 0.18 0.18 Territory Goods and Services Tax 2053-जिला प्रशासन 2053-District Administration 0.58 0.58 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.02 0.02 2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 0.50 2235-Social Security and Welfare 0.50

			राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण ————————————————————————————————————	Gr	ant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत		2245-Relief on account of Natural Calamities	0.30	-	0.30
2401-फसल कृषि व्यवस्था		2401-Crop Husbandry	0.01	-	0.01
2403-पशुपालन		2403-Animal Husbandry	0.15	-	0.15
2506 भूमि सुधार		2506-Land Reforms	0.95	-	0.95
3055-सड़क परिवहन		3055-Road Transport	0.15	-	0.15
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव	यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative			
		Services	-	0.11	0.11
4401-फसल कृषि व्यवस्था पर पूंजीगत परिव	यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	-	0.01	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.02	0.02
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		5055-Capital Outlay on Road Transport	-	0.13	0.13
53 चंडीगढ़	53	Chandigarh			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी	गत	4210 - Capital Outlay on Medical and			
परिव्यय		Public Health	-	28.00	28.00
54 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	54	Dadra and Nagar Haveli and Daman and			
•		Diu			
2217-शहरी विकास		2217-Urban Development	150.00	_	150.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		2515-Other Rural Development Programmes	3.00	_	3.00
2852-उद्योग		2852-Industries	10.00	_	10.00
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		4055-Capital Outlay on Police	-	15.00	15.00
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		4059-Capital Outlay on Public Works	_	55.00	55.00
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी	गत	4210-Capital Outlay on Medical and Public		22.00	22.00
परिव्यय	131	Health	_	60.00	60.00
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	रारा	4215-Capital Outlay on Water Supply and		00.00	00.00
	99	Sanitation	_	49.00	49.00
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव	गरा	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Lit	- -	25.00	25.00
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	~~	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	_	50.00	50.00
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय		5452-Capital Outlay on Tourism	-	14.00	14.00
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN			
		AFFAIRS			
60 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	60	Ministry of Housing and Urban Affairs			
2217 - शहरी विकास		2217 - Urban Development	366.44	-	366.44
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (इसमें भारत की आकस्मिक	न्ता	2552 - North Eastern Areas			
निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति		(this includes Rs. 18 crore for recoupment			
18 करोड़ रुपये शामिल हैं)।	Ü	of advance sanctioned from Contingency			
		Fund of India).	18.00	-	18.00
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (इर	समें	3475 - Other General Economic Services			
भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अ		(this includes Rs. 70.27 crore for			
राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 70.27 करोड़ रुपये शाग्वि		recoupment of advance sanctioned from			
हैं)		Contingency Fund of India).	70.27	_	70.27
-> 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुव	ान -	3601 - Grants-in-aid to State Governments			
(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीवृ		(this includes Rs. 91.73 crore for			
अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 91.73 करोड़ रु	_	recoupment of advance sanctioned from			
शामिल हैं)	• •	Contingency Fund of India).	91.73	_	91.73
4216- आवासन पर पूंजीगत परिव्यय		4216-Capital Outlay on Housing	-	151.11	151.11
7210 Mark 1 17 7 Milk 11044		1210 Suprial Sunay on Housing	-	1,111	1.111

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND **BROADCASTING** 61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 61 Ministry of Information **Broadcasting** 2205 - कला एवं संस्कृति 2205 - Art and Culture 0.40 0.40 जल शक्ति मंत्रालय MINISTRY OF JAL SHAKTI 62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण 62 Department of Water Resources, River विभाग **Development and Ganga Rejuvenation** 2701 - प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई 2701 - Major and Medium Irrigation 135.99 135.99 3435 - पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 3435 - Ecology and Environment 500.00 500.00 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601 - Grants-in-aid to State Governments (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत (this includes Rs. 2807.69 crore for अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 2807.69 करोड़ recoupment of advance sanctioned from रुपये शामिल हैं)। Contingency Fund of India). 7,479.52 7,479.52 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 68 स्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 68 Ministry of Micro, Small and Medium **Enterprises** 2851- ग्राम एवं लघु उद्योग 2851-Village and Small Industries 664.85 664.85 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE **ENERGY** 71 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 71 Ministry of New and Renewable Energy 2810- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा(इसमें भारत 2810-New and Renewable Energy की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि (this includes Rs. 100 crore for की प्रतिपूर्ति हेतु 100 करोड़ रुपये शामिल हैं)। recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India). 135.00 135.00 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC **GRIEVANCES AND PENSIONS** 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 4059 - सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 45.56 45.56 4059-Capital Outlay on Public Works पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 76 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पुंजीगत 5475 - Capital Outlay on Other General परिव्यय **Economic Services** 7.89 7.89 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 77 योजना मंत्रालय 77 Ministry of Planning 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 16.06 16.06 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 79 विद्युत मंत्रालय 79 Ministry of Power 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 0.83 0.83

2801 - Power

4.22

4.22

2801 - विद्युत

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND **HIGHWAYS** 86 सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 86 Ministry of Road Transport and **Highways** 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय 4552 - Capital Outlay on North 2,575.00 2,575.00 Eastern Areas ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87 ग्रामीण विकास विभाग 87 Department of Rural Development 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 2501- Special Programme for Rural Development 0.10 0.10 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2515 - Other Rural Development 5.00 5.00 **Programmes** 3054 - सड़कें एवं पुल 3054 - Roads and Bridges 16,000.00 - 16,000.00 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय **MINISTRY SCIENCE** OF AND **TECHNOLOGY** 89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 89 Department of Science and Technology 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3425 - Other Scientific Research 868.84 868.84 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 92 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 92 Ministry of Skill Development and **Entrepreneurship** 2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास 2230 - Labour, Employment and Skill 30.00 30.00 Development सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & **EMPOWERMENT** 93 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 93 Department of Social Justice and **Empowerment** 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 53.23 53.23 94 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 94 Department of Empowerment of Persons With Disabilities 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235 - Social Security and Welfare 1.00 1.00 95 अंतरिक्ष विभाग 95 Department of Space 3402- अंतरिक्ष अनुसंधान 12.72 12.72 3402-Space Research 5402 - Capital Outlay of Space Research 5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय 5.50 5.50 इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL 97 इस्पात मंत्रालय 97 Ministry of Steel 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 3.20 3.20 MINISTRY OF TEXTILES वस्त्र मंत्रालय 98 वस्त्र मंत्रालय 98 Ministry of Textiles 2851 - ग्राम एवं लघ् उद्योग 2851 - Village and Small Industries 1.30 1.30 2852 - उद्योग 2852 - Industries 114.40 114.40

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue Total पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM 99 पर्यटन मंत्रालय 99 Ministry of Tourism 3452- पर्यटन 3452-Tourism 30.00 30.00 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100 जनजातीय कार्य मंत्रालय 100 Ministry of Tribal Affairs 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 36.22 36.22 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 441.46 441.46 3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान 3602-Grants-in-aid to Union Territory 10.22 10.22 Governments महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD **DEVELOPMENT** 101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 101 Ministry of Women and Child **Development** 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235 - Social Security and Welfare 0.01 0.01 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 0.01 0.01 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601 - Grants-in-aid to State Governments 30.00 30.00 3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता 3602 - Grants-in-aid to Union Territory अनुदान Governments 0.01 0.01 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND **SPORTS** 102 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 102 Ministry of Youth Affairs and Sports 2204 - खेल और युवा सेवाएं 2204 - Sports and Youth Services 1.00 1.00 कुल सांकेतिक **Total Token** 0.90 0.36 1.26 कुल योग **GRAND TOTAL** 68,346.21 19,416.35 87,762.56 निवल नकद व्यय **Net Cash Outgo** 44,142.87 44,142.87

Technical Supplementary

Token Supplementary

24,202.44

0.90

19,415.99

0.36

43,618,43

1.26

तकनीकी पुरक

सांकेतिक पुरक

विषय सूची CONTENTS

						(₹ ₹	करोड़ in ₹	crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि एवं कृषक		MI	NISTRY OF AGRICULTURE &					
कल्याण मंत्रालय			FARMERS WELFARE					
1. कृषि एवं कृषक		1.	Department of Agriculture and					
कल्याण विभाग	स्वीकृत		Farmers Welfare	Voted	13191.83		13191.83	1-2
2. कृषि अनुसंधान तथा	c	2.	Department Of Agricultural					
ृ शिक्षा विभाग	स्वीकृत		Research and Education	Voted	215.94		215.94	3
परमाणु ऊर्जा विभाग	c	DEI	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	भारित	3.	Atomic Energy	Charged	4.22	•••	4.22	4-5
3	स्वीकृत			Voted	887.20	127.49	1014.69	
आयुष मंत्रालय	c	MI	NISTRY OF AYUSH					
4. आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4.	Ministry of AYUSH	Voted	0.01		0.01	6
रसायन और उर्वरक	c		NISTRY OF CHEMICALS					
मंत्रालय			AND FERTILIZERS					
5 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग		5.	Department of Chemicals and					
3	स्वीकृत	٥.	Petrochemicals	Voted	2.88	•••	2.88	7
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6.	Department of Fertilizers	Voted	6593.73	11.75	6605.48	8
7. औषध विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	39.00	39.01	9
नागर विमानन मंत्रालय	रवाष्ट्ररा		NISTRY OF CIVIL AVIATION	Voicu	0.01	37.00	37.01	
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8.	Ministry of Civil Aviation	Voted	231.05		231.05	10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	۱۹۱۹۲۱۱		NISTRY OF COMMERCE	Voica	231.03	•••	231.03	10
and one daily visited		IVIII	AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	भारित	10	Department of Commerce	Charged	1.33	•••	1.33	11
	 स्वीकृत	10.	Department of Commerce	Voted	620.69	0.01	620.70	
11. उद्योग संवर्धन और	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	11	Department for Promotion of	voteu	020.09	0.01	020.70	
आंतरिक व्यापार विभाग	स्वीकृत	11.	Industry and Internal Trade	Voted	1555.96		1555.96	12-13
संचार मंत्रालय	(41.5.41	MIN	NISTRY OF COMMUNICATIONS	Voicu	1333.70	•••	1555.70	12 13
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत		Department of Telecommunications	Voted	11659.46	759.11	12418.57	14-15
उपभोक्ता मामले, खाद्य और	· · · · · c · ·		NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,	, 0,00	1100>1.0	,0,,11	12.10.07	1.10
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		1,111	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)N				
14. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14	Department of Consumer Affairs	Voted	0.01	3.02	3.03	16
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण	113-11-1		Department of Food and Public	Voica	0.01	3.02	3.03	10
विभाग	भारित	13.	Distribution	Charged	0.01		0.01	17
194114	स्वीकृत		Distribution	Voted	0.01	64.82	64.83	17
सहकारिता मंत्रालय	रवावट्टरा	MIN	NISTRY OF COOPERATION	Voicu	0.01	04.02	04.03	
16. सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Cooperation	Voted	0.02	1.87	1.89	18-19
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	113-11-1		NISTRY OF CORPORATE AFFAIRS		0.02	1.07	1.07	10 17
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय			Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01		0.01	20
संस्कृति मंत्रालय			NISTRY OF CULTURE	Voica	0.01	•••	0.01	20
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Culture	Voted	0.02		0.02	21
रक्षा मंत्रालय	रवावट्टरा		NISTRY OF DEFENCE	Voicu	0.02	•••	0.02	21
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	भारित		Ministry of Defence (Civil)	Charged	3.45		3.45	22
19. Qui fixiera (raidei)	स्वीकृत	19.	Willistry of Defence (Civil)	Voted	4097.00	•••	4097.00	22
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वायृहरा <i>भारित</i>	20	Defence Services (Bevenus)			•••		22
20. प्या सपाइ (राजस्प)	मारत स्वीकृत	۷0.	Defence Services (Revenue)	Charged	9.00	•••	9.00 8035.93	23
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वाकृत <i>भारित</i>	21	Capital Outlay on Dafance Samiles	Voted	8035.93	62.00		
८ ।. रहा। त्तपाला पर पूजा पारव्यय	<i>मारित</i> स्वीकृत	∠1.	Capital Outlay on Defence Services	Charged	•••	62.00	62.00	24
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्पाप्रृत	N/TV	MCTDY OF DEVIET ODMENUT OF	Voted		0.01	0.01	24
उत्तर-पूर्वा क्रिया विकास मित्रालय		IVIII	NISTRY OF DEVELOPMENT OF					
२२ जन्म गर्नी केट निकास संस्थान		22	NORTH EASTERN REGION					
23 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		23.	Ministry of Development of	\$ 7-4- 1	0.01		0.01	25
	स्वीकृत		North Eastern Region	Voted	0.01	•••	0.01	25

				(₹ ₹	_{फरोड़} in ₹	crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	Revenue	Capital	Total	Page
			210 (021020	оприи	10001	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	MINISTRY OF EARTH SCIENCES	0.02	615.22	615.25	26.27
24. पृथ्वा विज्ञान मत्रालय शिक्षा मंत्रालय	स्वाकृत	24. Ministry of Earth Sciences Voted MINISTRY OF EDUCATION	0.02	615.33	615.35	26-27
25. स्कूल शिक्षा और साक्षरता		25. Department of School Education				
विभाग	स्वीकृत	and Literacy Voted	0.03		0.03	28
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education Voted	0.01		0.01	29
इलेक्ट्रानिकी और सूचना	c	MINISTRY OF ELECTRONICS AND				
प्रौद्योगिकी मंत्रालय		INFORMATION TECHNOLOGY				
27. इलेक्ट्रानिकी और सूचना		27. Ministry of Electronics and				
प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	Information Technology Voted	0.01		0.01	30
पर्यावरण, वन और जलवायु		MINISTRY OF ENVIRONMENT,				
परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE				
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिव		28. Ministry of Environment,				
मंत्रालय	स्वीकृत	Forests and Climate Change Voted	0.03	0.03	0.06	31-32
विदेश मंत्रालय	0	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS				
29. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs Voted	3122.53	0.03	3122.56	33-34
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE				
30. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs Voted	1104.19	363.53	1467.72	35-36
31. व्यय विभाग 32. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Expenditure Voted	0.01		0.01	37
,	स्वीकृत	32. Department of Financial Services Voted	593.45	486.21	1079.66	38-39
0) 1 0:0:	स्वीकृत	33. Department of Public Enterprises Voted	0.12	•••	0.12	40
34 निवेश और लोक परिसपित प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	¹ स्वीकृत	34. Department of Investment and Public	20.60	0.05	20.74	41
35. राजस्व विभाग	स्वाकृत स्वीकृत	Asset Management (DIPAM) Voted 35. Department of Revenue Voted	20.69	0.05 0.01	0.01	41 42
36. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Department of Revenue Voted36. Direct Taxes Voted	 176.93	1055.86	1232.79	42
37. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	37. Indirect Taxes Voted	0.01	133.77	133.78	44
38. भारतीय लेखा परीक्षा	भारित	38. Indian Audit and Accounts Department Charged			7.47	45
और लेखा विभाग	स्वीकृत	Voted	295.84		295.84	73
42. राज्यों को अंतरण	भारित	42. Transfers to States Charged			0.01	46
मत्स्यपालन, पशुपालन और		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL	0.01		0.01	, ,
डेयरी मंत्रालय		HUSBANDRY AND DAIRYING				
43. मत्स्यपालन विभाग	स्वीकृत	43. Department of Fisheries Voted	0.01	0.01	0.02	47
44. पशु पालन और डेयरी	c	44. Department of Animal Husbandry				
विभाग विभाग	स्वीकृत	and Dairying Voted	0.01		0.01	48
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Č	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES				
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries Voted	0.01	1.01	1.02	49
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		MINISTRY OF HEALTH AND				
मंत्रालय		FAMILY WELFARE				
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare Voted	0.04	0.01	0.05	50-51
47. स्वास्थ्य अनुसंघान विभाग	स्वीकृत	47. Department of Health Research Voted	89.91	0.43	90.34	52
भारी उद्योग मंत्रालय	0	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES				
48. भारी उद्योग मंत्रालय	भारित	48. Ministry of Heavy Industries Charged		•••	0.06	
	स्वीकृत	Voted	0.02	•••	0.02	53
गृह मंत्रालय	-	MINISTRY OF HOME AFFAIRS	0.02	0.02	0.05	~ 4
49. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	49. Ministry of Home Affairs Voted	0.03	0.02	0.05	54
50. मंत्रिमंडल 51. पुलिस	स्वीकृत <i>भारित</i>	50. Cabinet Voted 51. Police Charged	•••	4911.44 <i>15.75</i>	4911.44 <i>15.75</i>	55 56 57
ા. યુણા	<i>मारित</i> स्वीकृत	51. Police Charged Voted	6334.15	0.01	6334.16	56-57
52. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वाकृत स्वीकृत	52. Andaman and Nicobar Islands Voted	60.64	0.01	60.68	58-59
53. चंडीगढ़	खापृता <i>भारित</i>	53. Chandigarh Charged		0.04	7.58	60-61
55. 151.1 _T	स्वीकृत	Voted	93.29	0.01	93.30	00 01
54. दादरा और नगर हवेली	٤	54. Dadra and Nagar Haveli and	, 5.47	0.01	75.50	
तथा दमन एवं दीव	स्वीकृत	Daman and Diu Voted	0.03	0.07	0.10	62-63
56. लक्ष्यद्वीप	स्वीकृत	56. Lakshadweep Voted	218.90		218.90	64
	-					

						(₹ व	ज्लोड़ in ₹	crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
57. दिल्ली को अंतरण		57.	Transfers to Delhi	Voted		80.00	80.00	65
आवासन और शहरी कार्य		MI	NISTRY OF HOUSING AND					
मंत्रालय	0		URBAN AFFAIRS					
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	<i>भारित</i> स्वीकृत	60.	Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged Voted	29.65 0.04	 5075.42	29.65 5075.46	66-67
सूचना तथा प्रसारण		MI	NISTRY OF INFORMATION					
मंत्रालय	0		AND BROADCASTING					
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Information and Broadcasting	Voted	264.00	23.03	287.03	68-69
62. जल संसाधन, नदी विकास			NISTRY OF JAL SHAKTI					
और गंगा संरक्षण		02.	Department of Water Resources, River Development and					
विभाग	स्वीकृत		Ganga Rejuvenation	Voted	0.03	•••	0.03	70
श्रम और रोजगार मंत्रालय	C	MI	NISTRY OF LABOUR	, 0,000	0.02		0.02	, 0
			AND EMPLOYMENT					
64. श्रम और रोजगार मंत्रालय	भारित	64.	Ministry of Labour and Employment	Charged	0.68		0.68	71
विधि और न्याय मंत्रालय		MI	NISTRY OF LAW AND JUSTICE					
65. विधि और न्याय	स्वीकृत	65.	Law and Justice	Voted	785.81		785.81	72
66. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत		Election Commission	Voted	21.79	12.08	33.87	73
67. उच्चतम न्यायलय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	भारित		Supreme Court of India	Charged	33.92	29.14	63.06	74
सूक्म, लेवु आर मध्यम उद्यम मंत्रालय		MI.	NISTRY OF MICRO, SMALL AND					
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		60	MEDIUM ENTERPRISES Ministry of Mioro Small and					
मंत्रालय	स्वीकृत	00.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01	0.99	1.00	75
खान मंत्रालय		MI	NISTRY OF MINES	voicu	0.01	0.99	1.00	73
69. खान मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Mines	Voted	1191.70	0.24	1191.94	76
नवीन तथा नवीकरणीय			NISTRY OF NEW AND					
ऊर्जा मंत्रालय			RENEWABLE ENERGY					
71 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र	लय	71.	Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01		0.01	77
संसदीय कार्य मंत्रालय		MI	NISTRY OF PARLIAMENTARY					
	-0		AFFAIRS					
73. संसदीय कार्य मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत	स्वीकृत		Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	•••	2.06	2.06	78
एवं पेंशन मंत्रालय		MII	NISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
74. कार्मिक, लोक शिकायत		74	GRIEVANCES AND PENSIONS Ministry of Personnel Public					
एवं पेंशन मंत्रालय	भारित	/4.	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	5.83	28.50	34.33	79-80
,	स्वीकृत		Grievances and rensions	Voted	239.52	0.01	239.53	77-00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	Č	MI	NISTRY OF PETROLEUM AND					
मंत्रालय			NATURAL GAS					
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक		76.	Ministry of Petroleum and					
गैस मंत्रालय	स्वीकृत		Natural Gas	Voted	1225.55	807.92	2033.47	81
योजना मंत्रालय			NISTRY OF PLANNING					
77 योजना मंत्रालय			Ministry of Planning	Voted	163.77		163.77	82
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय		MI	NISTRY OF PORTS, SHIPPING					
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग		70	AND WATERWAYS					
मंत्रालय	स्वीकृत	/8.	Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Voted	216.59	264.46	481.05	83-84
विद्युत मंत्रालय		MI	NISTRY OF POWER	voicu	210.39	204.40	461.03	03-04
79. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Power	Voted	0.02	1518.30	1518.32	85
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा	-		E PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION					
आयोग और			PUBLIC SERVICE COMMISSION AN					
उपराष्ट्रपति का			THE SECRETARIAT OF					
सचिवालय			THE VICE PRESIDENT					
80. राष्ट्रपति के स्टाफ, गृह-प्रबंधन और भत्ते	277	80.	*	ar :				
आर गत	भारित		the President	Charged	10.21		10.21	86

(₹ करोड़ in ₹crore) राजस्व पुंजी जोड पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total Page** लोक सभा स्वीकृत 81. Lok Sabha Voted 10.00 10.00 87 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय स्वीकृत 83 83. Secretariat of the Vice-President Voted 1.38 1.38 88 ... संघ लोक सेवा आयोग भारित 84 84. Union Public Service Commission Charged 191 1.91 89 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS 85. रेल मंत्रालय भारित 85. Ministry of Railways Charged 119.51 642.92 762.43 90-91 स्वीकृत 377.30 Voted 377.30 सडक परिवहन और राजमार्ग MINISTRY OF ROAD TRANSPORT मंत्रालय AND HIGHWAYS 86. सड़क परिवहन और 86. Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत and Highways Voted 4556.89 239.82 4796.71 92-93 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत 87. Department of Rural Development Voted 0.03 0.03 94 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकत Department of Science and Technology Voted 0.01 8.86 8.87 95 स्वीकृत 90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग 90. Department of Biotechnology Voted 184.43 184.43 96 91. वैज्ञानिक और औद्योगिक 91. Department of Scientific & अनुसंधान विभाग स्वीकृत Industrial Research Voted 27.13 27.13 97 कौशल विकास और उद्यमशीलता MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT मंत्रालग AND ENTREPRENEURSHIP 92. कौशल विकाग और उद्यमशीलता 92. Ministry of Skill Development and मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.01 0.01 98 सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 93. सामाजिक न्याय और 93. Department of Social Justice and अधिकारिता मंत्रालय स्वीकृत Voted 0.01 0.01 99 Empowerment दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 94. Department of Empowerment of स्वीकृत Persons With Disabilities Voted 0.01 0.01 100 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 95. अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत 95. Department of Space Voted 0.01 0.01 0.02 101 इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL 97. इस्पात मंत्रालय 1644.90 97. Ministry of Steel Voted 0.01 1644.89 102 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 98. वस्त्र मंत्रालय भारित 98. Ministry of Textiles Charged 16.00 16.00 103 ... स्वीकृत Voted 0.02 0.02 ... पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM पर्यटन मंत्रालय 99. Ministry of Tourism Voted 0.01 3.50 3.51 104 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारित 100. Ministry of Tribal Affairs 0.02 0.02 Charged स्वीकृत Voted 3.83 3.83 105-106 ... महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 101. महिला और बाल 101. Ministry of Women and विकास मंत्रालय स्वीकृत Child Development 0.04 4.24 107-108 Voted 4.20 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्वीकृत 102. Ministry Of Youth Affairs And Sports Voted 0.01 0.01 109 ... कुल जोड GRAND TOTAL 68346.21 19416.35 87762.56 भारित 250.86 778.31 1029.17 Charged स्वीकृत 86733.39 Voted 68095.35 18638.04 अनुबंध Annexures 113-160

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भागित जॊड़ Charaed Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 227186.13 227186.13 Revenue पूंजी 95.64 Capital 95.64 जोड 227281.77 Total 227281.77 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now पूरक अनुमान: required: राजस्व 13191.83 13191.83 Revenue पुंजी Capital जोड़ Total 13191.83 13191.83 ... जोड़ (मूल और पूरक) 240473.60 240473.60 Total (Original plus Supplementary) राजस्व Revenue 240377.96 240377.96 पूंजी 95.64 Capital 95.64 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत भारित जॊड Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 11191.81 (कa) 11191.81 2416-कृषि वितीय संस्थान (खb) 2416-Agricultural Financial Institutions 2000.00 2000.00 2552-पूर्वीतर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गc) 0.01 3601-राज्य सरकारों को 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 13191.83 13191.83 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. REVENUE SECTION राजस्व भाग 2401-कृषि कार्य (-)3500.00 2401-Crop Husbandry (-)3500.00

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3132 करोड़), (ii) 'पीएम-किसान' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3132 करोड़), (iii) 'पीएम-किसान' के अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹196 करोड़), (iii) पीएम-किसान के जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹172 करोड़), (iv) सैटेलाइट लीज के लिए महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के अंतर्गत दूसरों के लिए किराए हेतु (₹71 करोड़), (v) कृषक उत्पादक संगठन योजना के अंतर्गत गठन एवं संवर्धन हेतु विज्ञापन एवं प्रचार के लिए (10 हजार एफपीओ) (₹2.52 करोड़), (vi) कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत 'सब्सिडी' हेतु (₹106.29 करोड़), (vii) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12.00 करोड़), (viii) कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) के अंतरण हेतु (₹4000 करोड़), (ix) 'एआईडीएफ' को अंतर लेखा अंतरण हेतु (पीएम-किसान के लिए ₹3500 करोड़),

₹3500 करोड़ की वसूली को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में ₹7691.81 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ख) 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' को अंतरण हेत् (₹2000 करोड़),

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) 'Grants-in-Aid-General' under 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)' (₹ 3132 crore), (ii) 'Grants-in-Aid-General' under Schedule Caste Sub Plan of 'PM-KISAN' (₹ 196 crore), (iii) 'Grants-in-Aid-General' under Tribal Area Sub Plan of 'PM-KISAN' (₹ 172 crore) (iv) 'Rent for Others' under 'Mahalanobis National Crop Forecasting Centre' for Satellite lease (₹ 71 crore), (v) 'Advertising and Publicity' under 'Formation and Promotion of Farmers Producers Organization Scheme' (10k FPO) (₹ 2.52 crore), (vi) 'Subsidy' under 'Agriculture Infrastructure Fund' (₹ 106.29 crore), (vii) 'Grants for Creation of Capital Assets' under 'Choudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing' (₹ 12 crore), (viii) Transfer to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund (AIDF)' (₹ 4000 crore), (ix) Inter Account Transfer to 'AIDF' (₹ 3500 crore for PM-KISAN).

Taking into account recoveries of ₹ 3500 crore, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 7691.81 crore.

Transfer to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund'

The above expenditure will entail a cash outgo.

(c)

(d)

(ग) (i) 'पीएम -िकसान' के अंतर्गत सामान्य-सहायता-अनुदान (₹170.80 करोड़),
(ii) 'पीएम -िकसान' के अंतर्गत अनुस्चित जाति हेतु विशेष घटक योजना
हेतु सामान्य-सहायता-अनुदान (₹631.90 करोड़), (iii) 'पीएम -िकसान' के
अंतर्गत जनजातिय क्षेत्र उप-योजना के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान
(₹269.60 करोड़), (iv) 'कृषि उन्नित योजना' स्कीम के द्वारा 'धरती आबा
जनजातिय ग्राम उत्कर्ष 'अभियान' के अंतर्गत' जनजातिय क्षेत्र उप-योजना
के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹75 करोड़),
(v) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' स्कीम के द्वारा 'धरती आबा जनजातिय ग्राम उत्कर्ष 'अभियान' के अंतर्गत' जनजातिय क्षेत्र उप-योजना के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹100 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक परक की मांग की जाती है।

(घ) (i) कृषि उन्नित योजना' स्कीम के द्वारा 'धरती आबा जनजातिय ग्राम उत्कर्ष 'अभियान' के अंतर्गत' टीएसपी के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹25 करोड़), (ii) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' स्कीम के माध्यम से 'धरती आबा जनजातिय ग्राम उत्कर्ष 'अभियान' के अंतर्गत' टीएसपी के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है। (i) 'Grants-in-aid General' under 'PM-KISAN' (₹ 170.80 crore), (ii) 'Grants-in-aid General' for Special Component Plan for Scheduled Castes under 'PM-KISAN' (₹ 631.90 crore), (iii) 'Grants-in-aid General' for Tribal Area Sub Plan under 'PM-KISAN' (₹ 269.60 crore), (iv) 'Grants-in-aid General' for Tribal Area Sub Plan under 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan through 'Krishonnati Yojna' Scheme (₹ 75 crore), (v) 'Grants-in-aid General' for Tribal Area Sub Plan under 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan through 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna Scheme (₹ 100 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) 'Grants-in-aid General' for TSP under 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan through 'Krishonnati Yojna' Scheme (₹ 25 crore), (ii) 'Grants-in-aid General' for TSP under 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan through 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' Scheme (₹ 50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

Revenue

Capital

Revenue

Revenue

Capital

Capital

Total

Total

I. ORIGINAL GRANT:

Total (Original plus Supplementary)

2415-Agricultural Research and Education

REVENUE SECTION MAJOR HEAD

2552-North Eastern Areas

Total (Revenue Section)

स्वीकृत Voted Total 9934.59 9934.59 6.50 6.50 9941.09 9941.09 215.94 215.94 215.94 215.94 10157.03 10157.03 10150.53 10150.53

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

जॊड़

6.50

18.04

215.94

II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

(b)

Supplementary Estimate of the amount now required:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित जॉड़ स्वीकृत Charged Voted Total 197.90 197.90 (कa)

18.04

215.94

(खb)

6.50

2552-पूर्वीतर क्षेत्र जोड़ (राजस्व भाग)

2415-कृषि अन्संधान और शिक्षा

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

।. मूल अनुदान: राजस्व

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

(क)

(ख)

पूंजी

जोड

राजस्व

पुंजी

जोड़

राजस्व

पूंजी

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना के स्दढ़ीकरण' के तहत 'सामान्य सहायता अन्दान' (₹88.85 करोड़) और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹106.37 करोड़). (ii) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना के स्ट्ढ़ीकरण' के तहत (₹2.68 करोड़)'पूंजीगत आस्तियों के सूजन हेतु अनुदान' (iii) 'कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन' सहित 'आई.सी.ए.आर मुख्यालय प्रशासन के तहत' वेतन सहायता अनुदान (₹139.83 करोड़)'।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी अनुभाग के अंतर्गत बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में ₹195.22 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(i) 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना के सुदृढ़ीकरण' के तहत पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान(₹18.0368 करोड़) (ii) 'कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) योजना के स्टढ़ीकरण' के तहत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान' (₹3.47 करोड़)।

अनदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, इसमें ₹18.04 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

भागित

Charged

...

...

...

(i) 'Grants-in-aid General' (₹ 88.85 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹ 106.37 crore) under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' . (ii) 'Grants for Creation of Capital Assets' under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (₹ 2.68 crore). (iii) 'Grants-in-aid Salaries' under 'I.C.A.R Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication In Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹ 139.83 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 195.22 crore.

(i) Grants for creation of Capital Assets' under 'Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences Scheme' (₹ 18.0368 crore). (ii) 'Grants for creation of Capital Assets' under 'Strengthening of Krishi Vigyan Kendras (KVKs) Scheme' (₹ 3.47 crore).

After utilising savings within same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 18.04 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	3.91	20247.23		20251.14
पूंजी	Capital		15908.79		15908.79
जोड़	Total	3.91	36156.02		36159.93
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:	required:				
राजस्व ं २	Revenue	4.22	887.20		891.42
पूंजी - 	Capital		127.49		127.49
जोड़	Total	4.22	1014.69		1018.91
जोड़ (मूल और पूरक) राजस्व	Total (Original plus Supplementary)	8.13 8.13	37170.71 21134.43		37178.84 21142.56
	Revenue	0.13			
पूंजी	Capital		16036.28		16036.28
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों		following Major Ho	- da.	
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will	be accounted for under the		ads:	ਗੋਤ
		Charged	स्वीकृत Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	Voled		lotai
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक	3451-Secretariat-Economic Services	<i>4.22</i> (कa)		4.22
सेवाएं		(,		
2852-उद्योग	2852-Industries		620.44	(खb)	620.44
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research		266.76	(गc)	266.76
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	4.22	887.20		891.42
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर	4861-Capital Outlay on Atomic Energy		127.49	(घd)	127.49
पूंजीगत परिव्यय	Industries				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	4.22	1014.69		1018.91
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुम घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirem				
A	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2852-उद्योग	2852-Industries		(-)21.26		(-)21.26
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research		(-)2.00		(-)2.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)23.26		(-)23.26
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर	4861-Capital Outlay on Atomic Energy	***	(-)381.50		(-)381.50
पूंजीगत परिव्यय	Industries				
	Total (Supplementary)		-404.76		-404.76

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) न्यायालय की डिक्री से संबंधित को व्यय को पूरा करने हेतु ₹4.22 करोड़। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध वसूलियों और बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(ख) भारी जल बोर्ड और परमाणु पुनर्चक्रण बोर्ड, मुंबई के संचालन और रखरखाव के व्यय को पूरा करने और यूसीआईएल को एमडीयू शुल्क का भुगतान और परमाणु ईंधन चक्र, हैदराबाद में यूरेनियम अयस्क सांद्रता के आयात हेतु (रै620.44 करोड़) के व्यय को पूरा करना। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting expenditure of ₹ 4.22 crore related to Court Decree.
 Taking into account the recoveries and surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

 (b) meeting expenditure towards Operational & Maintenance for the country of the c
- b) meeting expenditure towards Operational & Maintenance for Heavy Water Board and Nuclear Recycle Board, Mumbai and payment of MDU charges to UCIL and import of Uranium Ore Concentrate to Nuclear Fuel Cycle, Hyderabad (₹ 620.44 crore).

अनुदान के पूँजीगत भाग में उपलब्ध वसूलियों और बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) सहायता प्राप्त संस्थानों को वेतन सहायता अनुदान (₹247.12 (c) करोड़),सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.64 करोड़) महिला और बाल कल्याण (₹5 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वसूलियों और पूंजीगत भाग को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (घ) (i) भारी जल बोर्ड (₹127.49करोड़) और (ii) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (ट्रांस जारी बोनस शेयरों के समायोजन के लिए (₹ 259.10 करोड़) के व्यय को पूरा करना ।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध वस्तियों और उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;

Taking into account the recoveries and surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries (\mathfrak{T} 247.12 crore), Grants-in-aid General (\mathfrak{T} 14.64 crore) Women and Child Welfare (\mathfrak{T} 5 crore) to Aided Institutions.

Taking into account the recoveries available in the same section and capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting expenditure (i) for Heavy Water Board (\mathfrak{T} 127.49crore) and (ii) towards adjustment of Bonus Shares issued by Indian Rare Earth Limited (\mathfrak{T} 259.10 crore).

Taking into account the recoveries and savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

स्वीकृत Voted 3703.74 8.75 3712.49	লাঁড় Total 3703.74 8.75 3712.49
3703.74 8.75	3703.74 8.75
8.75	8.75
8.75	8.75
3712.49	3712.49
0.01	0.01
0.01	0.01
3712.50	3712.50
3703.75	3703.75
8.75	8.75
lead:	
स्वीकृत	जॊड़
Voted	Total
0.01	0.01
	0.01 3712.50 3703.75 8.75 ead: स्वीकृत Voted

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मुद्रण और प्रकाशन (₹ 0.60 करोड़) और अन्य हेतु किराया (₹ 0.10 करोड़) राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड (एनएमपीबी) हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting the additional expenditure for National Medicinal Plants Board (NMPB) - 'Printing and Publication' (0.60 crore) and 'Rent for others' (0.10 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

	•	,	(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	136.82	136.82
पूंजी	Capital	***	122.29	122.29
जोड़	Total	***	259.11	259.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		2.88	2.88
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		2.88	2.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		261.99	261.99
राजस्व	Revenue		139.70	139.70
पूंजी	Capital		122.29	122.29
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	der the following Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		2.88	2.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(a) "पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना" स्कीम में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु
 ₹8.50 करोड़ के अतिरिक्त व्ययी को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹8.50 crore under Grant for Creation of Capital Assets in the Scheme "New Schemes of Petrochemicals".

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत जॊड़ भारित Charged Total Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 168127.20 168127.20 पूंजी Capital 3.61 3.61 जोड 168130.81 168130.81 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 6593.73 6593.73 Revenue पुंजी Capital 11.75 11.75 जोड़ Total 6605.48 6605.48 ... जोड़ (मूल और पूरक) 174736.29 Total (Original plus Supplementary) 174736.29 राजस्व 174720.93 174720.93 Revenue ... पूंजी 15.36 15.36 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड भारित Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 6593.73 (**क**a) 6593.73 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 5475-Capital Outlay on Other General Economic 11.75 (खb) 11.75 पूंजीगत परिव्यय 6605.48 6605.48 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary)

(b)

यह पूरक अनु	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	पीएंडके ्रवंरक सब्सिडी योजना के तहत ₹7310.00 करोड़ की सब्सिडी हेतु
	व्यय को पूरा करना ।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹716.27 करोड़ की बचत को ध्यान में
	रखते हुए उपरोक्त व्यय में ₹6593.73 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।
(ख)	'उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी' के तहत आईसीटी हेतु ₹11.75 करोड़ के
	अतिरिक्त व्यय पूरा करना ।
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते
	हुएँ, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा ।

The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards subsidies of ₹7310.00 crore under P&K Fertilizers Subsidy Scheme.

Taking into account savings of ₹716.27 crore available under the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹6593.73 crore.

meeting additional expenditure of ₹11.75 crore towards ICT under 'DBT in Fertilizer Subsidy'.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant of Department of Economic Affairs, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 7

औषध विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(٢	97(15)	(III & Crores)	′
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	4088.69		4088.69	
पूंजी	Capital	***	1.26		1.26	
जोड़	Total	***	4089.95		4089.95	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	0.01		0.01	
पूंजी	Capital	***	39.00		39.00	
जोड़	Total		39.01		39.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4128.96		4128.96	
राजस्व	Revenue	•••	4088.70		4088.70	
पूंजी	Capital		40.26		40.26	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		r Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2852-3द्योग	2852-Industries		0.01	(क a)	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3 6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical		39.00	(खb)	39.00	
ऋण	Industries					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		39.01		39.01	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्निलिखित हेतु व्यय को पूरा करना। 1. फार्म मेड टेक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने (पीआरआईपी) हेतु -₹ 68.00 करोड़-पूंजीगत आस्त्तियों के सृजन हेतु अनुदान; 2. नई व्यापक योजना "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (i) चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना (व्यावसायिक सेवाएं-₹2 करोड़, सामान्य-सहायता-अनुदान ₹98 करोड़), (ii) चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास (व्यावसायिक सेवाएं-₹3 करोड़, सामान्य-सहायता-अनुदान ₹2 करोड़), (iii) चिकित्सा उपकरण समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं (व्यावसायिक सेवाएं-₹3 करोड़, सामान्य-सहायता-अनुदान ₹27 करोड़), (iv) आयात निर्भरता को कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना (व्यावसायिक सेवाएं-₹5 करोड़, सब्सिडी ₹15 करोड़) (v) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक परक की मांग की जाती है।

योजना (व्यावसायिक सेवाएं-₹3 करोड़, सामान्य- सहायता-अन्दान ₹7

करोड़), (vi) चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना (व्यावसायिक सेवाएं-₹0.05

करोड़, सामान्य -सहायता -अनुदान ₹0.95 करोड़) के व्यय को पुरा करना।

(ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड-ऋण और अग्रिम-₹39.00 करोड़।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure under 1. Promotion of Research and Innovation in Pharm Med Tech (PRIP) - ₹68.00 crore - Grants for Creation of Capital Assets; 2. New Umbrella Scheme "Strengthening of Medical Device Industry" (i) Promotion of Medical Device Parks (Professional Services - ₹2.00 crore, Grants -In-Aid-General - ₹98.00 crore), (ii) Capacity Building and Skill Development for Medical Devices (Professional Services - ₹3.00 crore. Grants -In-Aid-General ₹2.00 crore). (iii) Common Facilities for Medical Devices Clusters (Professional Services - ₹3.00 crore, Grants -In-Aid-General -₹27.00 crore), (iv) Marginal Investment Scheme for Reducing Import Dependence (Professional Services - ₹5.00 crore, Subsidies ₹15.00 crore), (v) Medical Device Clinical Studies Support Scheme (Professional Services - ₹3.00 crore, Grants -In-Aid-General - ₹7.00 crore), (vi) Medical Device Promotion Scheme (Professional Services - ₹0.05 crore, Grants -In-Aid-General - ₹0.95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. - Loans and Advances - ₹39.00 crore.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करौड़	ਭ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2257.79	2257.79
पूंजी	Capital	***	99.35	99.35
जोड़	Total		2357.14	2357.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		231.05	231.05
पूंजी जोड़	Capital			
	Total	***	231.05	231.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2588.19	2588.19
राजस्व	Revenue		2488.84	2488.84
पूंजी	Capital		99.35	99.35
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und		lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	•••	231.05	231.05

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

क्षेत्रीय संपर्क योजना में आरसीएस-उड़ान के लिए 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹231.05 करोड़). ii) सीमा शुल्क वसूली शुल्क (सीसीआरसी) योजना के तहत टियर ॥/॥ शहरों के हवाई अंड्डों के लिए एएआई कोप्रतिपूर्ति के लिए 'सामान्य अन्दान सहायता '-सीमा श्ल्क वस्ती श्ल्क (₹107.67 करोड़). (iii) कस्टम कॉस्ट रिकवरी चार्जेज योजना में टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) को सीमा शुल्क वसुली शुल्क (सीसीआरसी) की प्रतिपूर्ति के लिए 'सामान्य अनुदान सहायता' (₹16.50 करोड़)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹231.05 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

crore.

(i) 'Grants for Creation of Capital Assets' for RCS-UDAN in Regional Connectivity Scheme (₹ 231.05 crore). ii) 'Grants-inaid General' for reimbursement of Custom Cost Recovery Charges (CCRC) to AAI for tier II/III cities' airports in the scheme- Custom Cost Recovery Charges (₹ 107.67 crore). (iii)'Grants-in-aid General' for reimbursement of Custom Cost Recovery Charges (CCRC) to AAI Cargo Logistics & Allied Services Ltd. (AAICLAS) for tier II/III cities airports in the scheme- Custom Cost Recovery Charges (₹ 16.50 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 231.05

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर

पूंजीगत परिव्यय जोड़ (पूरक)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड़ Charged Total Voted I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.50 4954.34 4954.84 पूंजी Capital 59.22 59.22 जोड Total 0.50 5013.56 5014.06 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 620.69 622.02 1.33 Revenue पुंजी Capital 0.01 0.01 जोड़ Total 1.33 620.70 622.03 जोड़ (मूल और पूरक) 5636.09 Total (Original plus Supplementary) 1.83 5634.26 राजस्व 1.83 5575.03 5576.86 Revenue पूंजी Capital 59.23 59.23 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: स्वीकृत जॊड भारित Voted Total Charged REVENUE SECTION राजस्व भाग MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन 3453-Foreign Trade and Export Promotion 1.33 (**क**a) 620.69 (खb) 622.02 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD

यह पूरक अनु	दाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supple	ementary Grants/Appropriations are required for:
(क)	एशियाई खाद्य उद्योगों के पक्ष में एलपीए 665/2021 के संबंध में माननीय	(a)	Other Revenue Expenditure (₹ 1.33 crore) under O/o DGFT
	उच्च न्यायालय गुजरात के आदेश के अनुसार डीजीएफटी के कार्यालय के		as per order of Hon'ble High Court Gujarat in respect of LPA
	तहत अन्य राजस्व व्यय (₹1.33 करोड़)।		665/2021 in favour of Asian Food Industries.
	अनुदान के स्वीकृत राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में		Taking into account the surrender of savings available in the
	रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;		Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure
			will not entail any additional cash outgo;
(ख)	ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी (₹ 620.69 करोड़)	(b)	Subsidies (₹ 620.69 crore) under Interest Equalisation
			Scheme
	बचत का उपयोग करने के बाद अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध		Taking into account the savings amounting to ₹ 10.75 crore
	₹10.75 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में निवल नकद		available in the Capital Section of the Grant after utilizing the
	व्यय (₹609.94 करोड़) शामिल होगा।		savings the above expenditure will entail a net cash outgo
			(₹ 609.94 crore)
(ग)	व्यापार उपचार महानिदेशालय के कार्यालय के तहत अन्य नियम आस्तियां	(c)	Other Fixed Assets (₹ 0.01 crore) under O/o Directorate
	(₹0.01 करोड़)।		General of Trade Remedies.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section
	पूरक की मांग की जाती है।		of the Grant, a token supplementary is sought.

5475-Capital Outlay on Other General Economic

Total (Supplementary)

0.01

620.70

1.33

(गc)

0.01

622.03

मांग संख्या DEMAND NO 11

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(\$	कराइ)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		5050.69		5050.69
पूंजी	Capital		1404.39		1404.39
जोड़	Total		6455.08		6455.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:			
राजस्व	Revenue		1555.96		1555.96
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		1555.96		1555.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8011.04		8011.04
राजस्व	Revenue		6606.65		6606.65
पूंजी	Capital	***	1404.39		1404.39
*	 इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3 	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		555.92	(गc)	555.92
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(घd)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals		1000.00	(ਝe)	1000.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	(चf)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1555.96		1555.96

011.9 (1.01.4 c	Total (Novolido Cocacily)		1000.00
यह पूरक अन्द	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppl	ementary Grants are required for:
(क)	स्थापना-डी. पी. आई. आई. टी. के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹6.00 करोड़)	(a)	Professional Services (\mathfrak{T} 6.00 crore) under Establishment - DPIIT
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) -प्रतिष्ठान के तहत अन्य के लिए किराया (₹2.40 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।	(b)	Rent for Others (₹ 2.40 crore) under Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) – Establishment Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) परिवहन सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी (₹1.28 करोड़), (ii) माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों को बजटीय सहायता योजना के तहत सब्सिडी (₹555.92 करोड़)	(c)	(i) Subsidies (₹ 1.28 crore) under Transport Subsidy Scheme, (ii) Subsidies (₹ 555.92 crore) under the scheme Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 555.92 करोड़ की राशि का नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo amounting to ₹555.92 crore.
(ঘ)	फुटवियर, चमझ और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) योजना के तहत पेशेवर सेवाएं (₹5 .01 करोड़), (ii) स्टार्टअप इंडिया के लिए पेशेवर सेवाएं (₹51.55 करोड़), (iii) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट्स) के लिए पीएलआई योजना के तहत पेशेवर सेवाएं (₹3.57 करोड़)	(d)	(i) Professional Services (₹ 5.01 crore)under the scheme Footwear, Leather and Accessories Development Programme (FLADP), (ii) Professional Services (₹ 51.55 crore) for Startup India , (iii) Professional Services (₹ 3.57 crore) under PLI Scheme for White Goods (ACs and LED

पूर्क की मांग की जाती है। माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (e) और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों को बजटीय सहायता

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक

(ङ) माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत जम्म्-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सिहत पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों को बजटीय सहायता योजना के लिए (₹ 108.18 करोड़) सब्सिडी (ii) परिवहन सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी (₹0.01 करोड़), (iii) माल ढुलाई सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी (₹0.01 करोड़), (iv) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Subsidies (₹ 108.18 crore) for the scheme Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim, (ii) Subsidies (₹ 0.01 crore) under Transport Subsidy Scheme,

कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (रॅ1000.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 1000.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(च) आईपीआर नीति प्रबंधन के लिए (i) पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क-स्थापना के महानियंत्रक के तहत ट्यावसायिक सेवाएं (₹8.50 करोड़), (ii) विज्ञापन और प्रचार (₹ 15.00 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए ,सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(iii) Subsidies (₹ 0.01 crore) under Freight Subsidy Scheme, (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1000.00 crore) under National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo amounting to ₹ 1000.00 crore.

(i) Professional Services (₹ 8.50 crore) under Controller General of Patents, Design and Trade Marks – Establishment, (ii) Advertising and Publicity (₹ 15.00 crore) IPR Policy Management

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Total Charaed Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 38475.54 38475.54 पूंजी Capital 93152.44 93152.44 जोड 131627.98 131627.98 Total इस समय आवश्यक रकम का पुरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: राजस्व 11659.46 11659.46 Revenue पुंजी Capital 759.11 759.11 जोड़ Total 12418.57 12418.57 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 144046.55 144046.55 राजस्व Revenue 50135.00 50135.00 ... पूंजी Capital 93911.55 93911.55 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड भारित Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 273.58 (**क**a) 273.58 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति (खb) 2071-Pensions and other Retirement Benefits 1801.00 1801.00 3275-अन्य संचार सेवाएं 9584.88 3275-Other Communication Services 9584.88 (गc) जोड़ (राजस्व भाग) 11659.46 11659.46 Total (Revenue Section) पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5275-अन्य संचार सेवाओं पर 5275-Capital Outlay on Other Communication 0.01 (घd) 0.01 पंजीगत परिव्यय Services 6859-दुरसंचार और इलेक्ट्राॅनिक 6859-Loans for Telecommunication and Electronic 759.10 (ङe) 759.10 उद्योगों के लिए ऋण Industries जोड़ (पूंजी भाग) 759.11 Total (Capital Section) 759 11 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 12418.57 12418.57 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसुलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** . 6859-दुरसंचार और इलेक्ट्राॅनिक 6859-Loans for Telecommunication and Electronic (-)759.10 (-)759.10 उद्योगों के लिए ऋण Industries

यह पूरक अनुद	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:				
(क)	अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय के लिए ₹273.58	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 273.58 crore for			
	करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		establishment expenditure for subordinate and attached offices.			
	उपरोक्त व्यय में ₹273.58 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo of $\ref{273.58}$ crore.			
(ख)	पंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए ₹1801 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	meeting additional expenditure of ₹1801 crore towards payment of pensions and other retirement benefits.			
(ग)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। अंतर लेखा अंतरण के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के लिए (₹९, 500 करोड़), वेतन, डीए, आईटी परियोजनाओं आदि में सामान्य वृद्धि के बदले अंतर खाता अंतरण के तहत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (₹15 करोड़), 100 5जी यूज केस	(c)	The above expenditure will entail a cash outgo; Meeting additional expenditure of ₹ 9,636.68 crore, for Universal Service Obligation Fund (USOF) under Inter account transfers (₹ 9,500 crore), Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) under Inter account transfer in lieu of			

(d)

(e)

प्रयोगशालाओं, आईपी विंग के टीईपीसी आदि से संबंधित टीडीआईपी भुगतान के लिए अन्य राजस्व व्यय। (₹21.37 करोड़), आईटीयू डब्ल्यूटीएसए के बदले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आईटीयू क्षेत्र कार्यालय में भारतीय योगदान पर भुगतान और आईटीयू क्षेत्र कार्यालय के लिए सी-डॉट को किराया (₹51.80 करोड़), विभिन्न प्रतिष्ठानों के तहत प्रशिक्षण (₹40.50 करोड़) और टीडीएसएटी स्थापना व्यय (₹8.01 करोड़) रुपये के लिए ₹9,636.68 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में ₹51.80 करोड़ और अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित (₹9555.50 करोड़) बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹29.38 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

(ঘ)

(ङ)

'अंतर लेखा अंतरण ' के तहत यूएसओएफ को अतिरिक्त अंतरण हेतु (₹7,500 करोड़), मोटर वाहनों और मशीनरी और उपकरणों के लिए वायरलेस निगरानी संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अतिरिक्त व्यय हेतु (₹ 51.32 करोड़), रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी नेटवर्क (₹ 1, 315.96 करोड़), टी-सर्ट (₹158.46 करोड़), टीटीएससी भवन और संरचनाओं के तहत राष्ट्रीय संचार वित संस्थान के लिए (₹5.65 करोड़) आवंटित किए गए हैं। भवन और संरचनाओं के तहत राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एन.आई.सी.एफ) हेतु (₹14 करोड़), भवनों और संरचनाओं के तहत नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण (एनआईटीआईपीआरआईटी) के लिए (₹29 करोड़), भवनों और संरचनाओं के तहत मीतियान प्राधिकरण (ट्राई) (₹12 करोड़), भवन एवं अवसंरचना के तहत डीओटी (₹ 4 करोड़), एकीकृत पोर्टल (₹11.80 करोड़), स्थापना शीर्ष के तहत दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) (₹1.70 करोड़) और निर्देशन और प्रशासन (₹ 37.13 करोड़) हेतु ₹9,141.02 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

सरकारी गारंटी के तहत एमटीएनएल को ऋण प्रदान करने हेतु आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित ऋण और अग्रिम राशि की पूर्ति गारंटी मोचन निधि से की जाएगी।

समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। इससे कोई नकद व्यय नहीं होगा। normal increase in Salary, DA, IT Projects etc. (₹ 15 crore), Other Revenue Expenditure for TDIP payments concerning 100 5G Use Case labs, TEPC of IP wing etc. (₹ 21.37 crore), International Cooperation in lieu of ITU WTSA, Payment on Indian Contribution to ITU area office and rent to C-DoT for ITU area office (₹ 51.80 crore), Training under various establishment heads (₹ 40.50 crore) and TDSAT Establishment Expenditure (₹ 8.01 crore).

Taking into account savings available in the same section ₹ 51.80 crore and the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 9555.50 crore), this will entail net cash outgo of ₹ 29.38 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 9,141.02 crore, for additional transfers to USOF under 'Inter Account Transfers' (₹ 7.500 crore), additional expenditure in respect of Wireless Monitoring Organization(WMO) for Motor Vehicles and Machinery & Equipment (₹ 51.32 crore), OFC Network for Defence Services (₹ 1,315.96 crore), T-Cert (₹ 158.46 crore), TTSC (₹ 5.65 crore), National Institute of Communication Finance (NICF) under Building & Structures (₹ 14 crore). National Telecommunications Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT) under Buildings & Structures (₹ 29 crore), Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) under Buildings & Structures (₹ 12 crore), DoT under Buildings & Structures (₹ 4 crore), Unified Portal (₹ 11.80 crore), Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) under establishment head (₹ 1.70 crore) and Direction & Administration (₹ 37.13 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For Loans and Advances required to recoup contingency fund advance taken to extend loan to MTNL on invocation of Government Guarantee to be met from Guarantee Redemption Fund.

Taking into account the equivalent recoveries, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत े		, ,,,, , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_			
राजस्व	Revenue		10293.49		10293.49
पूंजी	Capital		66.32		66.32
जोड़	Total		10359.81		10359.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
, ,	required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी जोड़	Capital		3.02		3.02
जोड़	Total		3.03		3.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10362.84		10362.84
राजस्व	Revenue		10293.50		10293.50
पूंजी	Capital		69.34		69.34
•	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for				
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.31	(खb)	0.31
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अन्संधान	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		2.71	(गc)	2.71
पर पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research				
जोड़ ⁽ पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		3.02		3.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	3.03		3.03
•					

(b)

(c)

पर पूंजीगत परि		Environmental Research
जोड़ (पूंजी भाग	r)	Total (Capital Section)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)
यह पूरक अनुद	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	
(क)	मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तह	
	करोड़), 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹0.002 क	
	करोड़) और (ii) उपभोक्ता कल्याण कोष	
	अनुदान- ' (₹0.001 करोड़), 'घरेलू यात्रा व	व्यय' (₹0.001 करोड़), 'विदेशी यात्रा
	व्यय' (₹0.001करोड़), 'कार्यालय व्यय' ((₹0.001 करोड़), 'सामान्य अनुदान-
	सहायता ' (₹0.001करोड़)।	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत पूरक की मांग की जाती है।	ा को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक
(ख)	ू 'नेशनल टेस्ट हाउस' योजना के तह (₹0.31 करोड़)।	इत 'मशीनरी और उपकरण' हेतु
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्य	यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, य नहीं होगा।
(ग)	'नेशनल टेस्ट हाउस' योजना के तहत व करोड़) और 'भवन और संरचना' हेतु (₹1.	
	अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद	अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते : ट्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) 'Office Expenses' (₹ 0.002 crore), 'Professional Services' (₹ 0.002 crore), 'Other Revenue Expenditure' (₹ 0.001 crore) under the Scheme Price Stabilization Fund and (ii) 'Grants-inaid General' (₹ 0.001), 'Domestic Travel Expenses' (₹ 0.001), 'Foreign Travel Expenses' (₹ 0.001), 'Office Expenses' (₹ 0.001), 'Grants-in-aid General' (₹ 0.001) under the Scheme Consumer Welfare Fund.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Machinery & Equipment' under the Scheme 'National Test House' (₹ 0.31 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

'Machinery & Equipment (₹ 1.71 crore) and for 'Building & Structure' (₹ 1.00 crore) under the Scheme 'National Test

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

अनदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते

अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते

हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

'भंडारण और गोदाम' योजना के तहत 'निवेश' हेत् (₹59.52 करोड़)।

(ঘ)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 212976.21 212976.21 Revenue पूंजी 50043.54 50043.54 Capital जोड 263019.75 263019.75 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.01 0.01 Revenue पुंजी Capital 64.82 64.82 जोड़ Total 0.01 64.83 64.84 जोड़ (मूल और पूरक) 263084.59 Total (Original plus Supplementary) 0.01 263084.58 राजस्व Revenue 0.01 212976.22 212976.23 पूंजी 50108.36 50108.36 Capital II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम 2408-Food Storage and Warehousing (**क**a) 0.01 (खb) 0.02 0.01 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4408-खाद्य भंडारण और भंडारागार पर 4408-Capital Outlay on Food Storage and 5.30 (गc) 5.30 पुंजीगत परिव्यय Warehousing 4552-पूर्वीत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 59.52 (घd) 59.52 जोड़ (पूंजी भाग) 64.82 64.82 Total (Capital Section) जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.01 64.83 64.84 यह प्रक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: योजना के तहत दो चीनी कारखानों के दावों के निपटान के लिए सब्सिडी Subsidies' for settlement of Claims of two Sugar factories 'गन्ना की लागत की भरपाई करने और किसानों को गन्ना मल्य बकाया के under the Scheme 'Production Subsidy to Sugar Mills to समय पर भ्गतान की सुविधा के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी offset cost of cane and facilitate timely payment of cane price (₹1.35 करोड़) dues to farmers' (₹ 1.35 crore) अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए सांकेतिक Taking into account the savings available in the same section पूरक की मांग की जाती है। of the Grant, a token supplementary is sought. .. नई योजना 'क्रेडिट गारंटी फंड' के तहत 'सामान्य अनुदान-सहायता-'. (ख) (i)'Grants-in-aid-General' under new Scheme (₹50.00 करोड़) (ii) 'पीडीएस के तहत देय चीनी सब्सिडी' योजना के तहत Guarantee Fund' (₹ 50.00 crore). (ii) 'Subsidies' under 'सब्सिडी' (₹367.07 करोड़). (iii) 'इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वृद्धि Scheme 'Sugar Subsidy payable under PDS' (₹ 367.07 के लिए चीनी मिलों को वितीय सहायता देने हेत् योजना' के तहत 'सब्सिडी' crore). (iii) 'Subsidies' under Scheme 'Scheme for extending (₹150.00 करोड़). (iv) 'चीनी और सब्जी तेल निंदेशालय' के तहत 'अन्यों के financial assistance to sugar mills for enhancement and लिए किराये हेत् (₹0.0498 करोड़) '। augmentation of ethanol production capacity' (₹ 150.00 crore). (iv) 'Rent for Others' under 'Directorate of Sugar & Vegetable Oils' (₹ 0.0498 crore). अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक Taking into account the savings available in the same section पुरक की मांग की जाती है। of the Grant, a token supplementary is sought. 'भंडारण और गोदाम' योजना के तहत 'निवेश' हेत् (₹5.30 करोड़) । (ग) (c) 'Investment' under the scheme 'Storage & Godowns' (₹ 5.30

(d)

'Investment' under Scheme 'Storage & Godowns' (₹ 59.52 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

entail any additional cash outgo

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

मांग संख्या DEMAND NO 16

सहकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये) (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(7	47815 /	(III & CIOIE.
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1182.38		1182.38
पूंजी	Capital		1.01		1.01
जोड़ जोड़	Total		1183.39		1183.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		1.87		1.87
जोड़	Total		1.89		1.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1185.28		1185.28
राजस्व	Revenue		1182.40		1182.40
पूंजी	Capital		2.88		2.88
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेग	Π:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur				
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(क a)	0.01
2425-सहकारिता	2425-Co-operation		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
न मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		1.87	(गc)	1.87
परिव्यय	Services				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1.89		1.89

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'वेतन'(₹2.00 करोड़), (ii) 'भते'(₹2.50 करोड़), (iii) 'पेशेवर सेवाएं'(₹0.10 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) केंद्रीय सहकारी सोसाइटी पंजीयक कार्यालय हेत् 'वेतन' (₹1.25 करोड़), (ख) (ii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के कार्यालय हेर्तु 'वेतन' (₹0.30 करोड़), (iii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'वेतन' (₹0.07 करोड़) (iv) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेतु 'मजदूरी' (₹0.01 करोड़), (v) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'मजदूरी' (₹0.01 करोड़) (vi) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'रिवार्ड' (₹0.01 करोड़), (vii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'रिवार्ड' (₹0.01 करोड़), (viii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण हेत् 'मेडिकल उपचार' (₹0.01 करोड़) (ix) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'मेडिकल उपचार' (₹0.05 करोड़) (x) सरकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेतु 'भता' (₹0.25 करोड़), (xi) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'भता' (₹0.04 करोड़), (xii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'छुट्टी यात्रा रियायत' (₹0.01 करोड़), (xiii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेतु 'छुट्टी यात्रा रियायत' (₹0.02 करोड़), (xiv) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'प्रशिक्षण व्यय' (₹0.01 करोड़), (xv) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'प्रशिक्षण व्यय' (₹0.01 करोड़), (xvi) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेतु 'घरेलू यात्रा व्यय' (₹0.05 करोड़), (xvii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेतु 'घरेलू यात्रा व्यय' (₹0.02 करोड़, (xviii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेतु 'विदेशी यात्रा व्यय' (₹0.01 करोड़), (xix) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'विदेशी यात्रा व्यय' (₹0.01 करोड़), (xx) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेतु 'कार्यालय व्यय' (₹0.05 करोड़), (xxi) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'कार्यालय व्यय' (₹0.05 करोड़), (xxii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'भूमि और भवन हेत् किराया, दर और कर'

The supplementary Grants are required for:

(i) 'Salaries'(₹ 2.00 crore), (ii) 'Allowances' (₹ 2.50 crore),(iii) 'Professional Services' (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) 'Salaries' for O/o Central Registrar of Cooperative Societies (₹ 1.25 crore). (ii) 'Salaries' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.30 crore). (iii) 'Salaries' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.07 crore). (iv) 'Wages' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (v) 'Wages' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (vi) 'Rewards' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (vii) 'Rewards' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (viii) 'Medical Treatment' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (ix) 'Medical Treatment' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.05 crore). (x) 'Allowance' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.25 crore). (xi) 'Allowances' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.04 crore). (xii) 'Leave Travel Concession' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xiii) 'Leave Travel Concession' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.02 crore). (xiv) 'Training Expenses' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xv) 'Training Expenses' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (xvi) 'Domestic Travel Expenses' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.05 crore). (xvii) 'Domestic Travel Expenses' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.02 crore). (xviii) 'Foreign Travel Expenses'

(₹0.01 करोड), (xxiii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत 'भिम और भवन हेत किराया, दर और कर' (₹0.01 करोड़), (xxiv) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'मुद्रण और प्रकाशन' (₹0.01 करोड़), (xxv) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'मुद्रण और प्रकाशन' (₹0.01 करोड़), (xxvi) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेतु 'अन्य हेतु किराया' (₹0.05 करोड़), (xxvii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'डिजिटल उपस्कर' (₹0.01 करोड़), (xxviii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेतु 'डिजिटल उपस्कर' (₹0.05 करोड़), (xxix) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'ईंधन और स्नेहक' (₹0.01 करोड़), (xxx) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेंत् 'ईंधन और स्नेहक' (₹0.01 करोड़), (xxxi) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'विज्ञापन और प्रचार प्रसार' (₹0.01 करोड़), (xxxii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'विज्ञापन और प्रचार प्रसार' (₹0.02 करोड़), (xxxiii) केंद्रीय सहकारीं सोसाइटी पंजीयक कार्यालय हेत् 'पेशेवर सेवाएं' (₹0.20 करोड़), (xxxiv) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'पेशेवर सेवाएं' (₹0.01 करोड़), (xxxv) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेतु 'पेशेवर सेवाएं' (₹0.06 करोड़), (xxxvi) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय हेत् 'मरम्मत और रखरखाव' (₹0.01 करोड़), (xxxvii) सहकारी लोकपाल कार्यालय हेत् 'मरम्मत और रखरखाव' (₹0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय के लिए 'मोटर वाहन' (₹0.08 करोड़), (ii) सहकारी लोकपाल कार्यालय के लिए 'मोटर वाहन' (₹0.01 करोड़), (iii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय के लिए 'मशीनरी और उपस्कर' (₹0.01 करोड़), (iv) सहकारी लोकपाल कार्यालय के लिए 'मशीनरी और उपस्कर' (₹0.02 करोड़), (v) सहकारिता मंत्रालय के लिए 'सूचना, कम्प्यटर, दरसंचार उपस्कर' (₹0.40 करोड), (vi) केंद्रीय सहकारी सोसाइटी पंजीयक कार्यालय हेत् 'सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपस्कर' (₹0.25 करोड़), (vii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय के लिए 'सचना, कम्प्यटर, दुरसंचार उपस्कर' (₹0.25 करोड़), (viii) सहकारी लोकपाल कार्यालय के लिए .. 'सचना, कम्प्यटर, दरसंचार उपस्कर' (₹0.30 करोड), (ix) सहकारिता मंत्रालय के लिए 'फर्नीचर और फिक्श्वर' (₹0.50 करोड़), (x) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय के लिए 'फर्नीचर और फिक्श्वर' (₹0.02 करोड़), (xi) सहकारी लोकपाल कार्यालय के लिए 'फर्नीचर और फिक्श्वर' (₹0.01 करोड़), (xii) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय के लिए 'अन्य चल आस्तियां' (₹0.01 करोड़), (xiii) सहकारी लोकपाल कार्यालय के लिए 'अन्य चल आस्तियां' (₹0.01 करोड़)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xix) 'Foreign Travel Expenses' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (xx) 'Office Expenses' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.05 crore). (xxi) 'Office Expenses' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.05 crore). (xxii) 'Rent, Rates & Taxes for Land & Building' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxiii) 'Rent, Rates & Taxes for Land & Building' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (xxiv) 'Printing & Publication' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxv) 'Printing & Publication' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (xxvi) 'Rent for Others' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.05 crore). (xxvii) 'Digital Equipment' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxviii) 'Digital Equipment' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.05 crore). (xxix) 'Fuel and Lubricants' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxx) 'Fuel and Lubricants' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (xxxi) 'Advertising and Publicity' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxxii) 'Advertising and Publicity' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.02 crore). (xxxiii) 'Professional Services' for O/o Central Registrar of Cooperative Societies (₹ 0.20 crore), (xxxiv) 'Professional Services' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxxv) 'Professional Services' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.06 crore). (xxxvi) 'Repair and Maintenance' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xxxvii) 'Repair and Maintenance' for O/o Cooperative Ombudsman

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) 'Motor Vehicles' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.08 crore). (ii) 'Motor Vehicles' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (iii) 'Machinery and Equipment' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (iv) 'Machinery and Equipment' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.02 crore). (v) 'Information, Computer, Telecommunications Equipment' for Ministry of Cooperation 0.40 (vi) 'Information. crore). Computer. Telecommunications Equipment' for O/o Central Registrar of Co-operative Societies (₹ 0.25 crore). (vii) 'Information, Computer, Telecommunications Equipment' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.25 (viii) 'Information, Computer, Telecommunications Equipment' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.30 crore). (ix) 'Furniture & Fixtures' for Ministry of Cooperation (₹ 0.50 crore), (x) 'Furniture & Fixtures' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.02 crore). (xi) 'Furniture & Fixtures' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore). (xii) 'Other Fixed Assets' for O/o Cooperative Election Authority (₹ 0.01 crore). (xiii)'Other Fixed Assets' for O/o Cooperative Ombudsman (₹ 0.01 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ग)

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र कराड़	₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2636.96	2636.96
पूंजी	Capital		55.10	55.10
जोड़	Total		2692.06	2692.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2692.07	2692.07
राजस्व	Revenue		2636.97	2636.97
पूंजी	Capital	***	55.10	55.10
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und		Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) आई. पी. आई. ई. परियोजना के लिए अन्य के लिए किराये हेतु (₹0.01 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹0.01 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.01 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं हेतु (₹5.07 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(I) meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.01 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.01 crore), Office Expenses (₹ 0.01 crore) and Professional Services (₹5.07 crore) for iPIE Project.

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\	47(15) (III \ CIUIES)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3070.92	3070.92
पूंजी	Capital		190.01	190.01
जोड़	Total	•••	3260.93	3260.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी जोड़	Capital			
	Total	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3260.95	3260.95
राजस्व	Revenue		3070.94	3070.94
पूंजी	Capital		190.01	190.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur	nder the following Maj	or Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		0.01	(कa) 0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	***	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ब्रांडिंग ऑफ कल्चर' के लिए आई. बी. ई. एफ. को भुगतान के लिए विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹4.71 करोड)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ख) उत्तर और दक्षिण प्रखंड सचिवालयों में राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹8 करोड़) (ii) अन्य के लिए किराये हेतु (₹0.01 करोड़) और केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की व्यावसायिक सेवाएं हेतु (₹0.01 करोड़) (iii) सामान्य अनुदान-सहायता- (₹6 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़) और मुद्रण और प्रकाशन हेत् (₹0.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting an additional expenditure towards Advertising and Publicity for payment to IBEF for 'Branding of Culture' (₹4.71 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an additional expenditure towards (i) Professional Services for development of National Museum at North and South Block Secretariats (₹8 crore) (ii) Rent for Others (₹0.01 crore) and Professional Services (₹0.01 crore) of Central Reference Library (iii) Grant-in-Aid General (₹6 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹1.50 crore), Professional Services (₹1 crore) and Printing and Publication (₹0.50 crore) under National Mission on Manuscript Scheme.

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20-21 देखिये) (See page 20-21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

technical supplementary is sought. The above expenditure

will not entail any additional cash outgo.

				(₹ करोड़ ,) (In ₹ crores)
		भारित		स्वीकृत		ऒड़
		Charged		Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	1.11		42096.22		42097.33
पूंजी	Capital	45.00		10305.85		10350.85
जोड़	Total	46.11		52402.07		52448.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:	required:					
राजस्व	Revenue	3.45		4097.00		4100.45
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	<i>3.45</i>		4097.00		4100.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>49.56</i>		56499.07		56548.63
राजस्व	Revenue	4.56		46193.22		46197.78
पूंजी	Capital	45.00		10305.85		10350.85
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिखाया जार	वेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will b			ollowing Majo	or Heads	:
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services			96.00	(क a)	96.00
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	3.44	(खb)			3.44
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	0.01	(गc)	4001.00	(घd)	4001.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	<i>3.45</i>		4097.00		4100.45

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नितिखित हेतु अपेक्षित है: (क) स्थापना शीर्ष के तहत आवश्यकताओं के लिए (₹16 करोड़) रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के लिए और सामान्य सहायता अनुदान के अधीन (₹80 करोड़) रक्षा स्थापना संगठन के लिए ₹96 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। The supplementary Grants/Appropriations are required for: (a) meeting additional expenditure of ₹ 96 crore, fo Accounts Department (DAD) for requirement establishment heads (₹ 16 crore) and for Defendence of the supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क) स्थापना शीर्ष के तहत आवश्यकताओं के लिए (₹16 करोड़) रक्षा लेखा विभाग (a) meeting additional expenditure of ₹ 96 crore, fo (डीएडी) के लिए और सामान्य सहायता अनुदान के अधीन (₹80 करोड़) रक्षा Accounts Department (DAD) for requiremer स्थापना संगठन के लिए ₹96 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। establishment heads (₹ 16 crore) and for Defend	
Organization (DEO) under 'Grant-in-aid – Gene crore) .	nts under ce Estates
₹96 करोड़ के अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई Taking into account the additional receipts of ₹ 96 अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा; technical supplementary is sought. Above expenditu entail any additional cash outgo;	
(ख) विभिन्न स्थापनों शीर्षों के तहत सशस्त्र बल प्राधिकरण हेतु ₹3.44 करोड़ के (b) meeting additional expenditure of ₹ 3.44 crore ने अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। Force Tribunal (AFT) under various establishment h अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त Taking into account the savings available in to section of the Grant, technical supplementary is so above expenditure will not entail any additional cash	the Voted bught. The
(ग) 'अन्य राजस्व व्यय' के तहत कैंटीन स्टोर विभाग के लिए ₹0.01 करोड़ के (c) meeting additional expenditure of ₹ 0.01 crore fo अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। Stores Department (CSD) under 'Other Expenditure'.	r Canteen Revenue
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त Taking into account the savings available in the vote व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा; of the Grant, technical supplementary is sought. T expenditure will not entail any additional cash outgo	The above
(घ) 'सामग्री और आपूर्ति' (₹4,000 करोड़) और 'अन्य के लिए किराया' (d) meeting additional expenditure of ₹ 4,001 crore fo (₹1 करोड़) के तहत कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) के लिए ₹4,001 करोड़ के Stores Department (CSD) under 'Material & अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (₹ 4,000 crore) and 'Rent for others' (₹1 crore). ₹4,001 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक की Taking into account the additional receipt of ₹4,001	Supplies'

मांग की जाती है उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं

होगा।

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये) (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(CCC pag	yo LL or the Bomanac	ioi Giants of Central Government	101 1110 90	a. 202 : 2020)		(₹ करोंड	ਭ) (In ₹ crores)	
				भारित	स्वीकृत		्र जॊड़	
				Charged	Voted		Total	
।. मूल अ	<i>ਕਟਾਕ</i> •	I. ORIGINAL GRANT:		Chargod	Volod		Total	
ग. जूस अर् राजस्व	34111.	Revenue		106.93	289580.21		289687.14	
पूंजी		Capital			209300.21		209007.14	
^{नूजा} जोड़		Total		 106.93	289580.21		289687.14	
•	आवश्यक रकम का पूरक		now	100.93	209300.21		209007.14	
	31144447 (4701 471 4747	Supplementary Estimate of the amount	ITOW					
अनुमान: राजस्व		required: Revenue		9.00	8035.93		8044.93	
पूंजी		Capital					0044.93	
^{नूजा} जोड		Total		9.00	8035.93		8044.93	
जोड़ (मूल ३	भी पाक।			9.00 115.93	297616.14		297732.07	
जाड़ (मूल उ राजस्व	जार पूरक)	Total (Original plus Supplementary) Revenue		115.93	297616.14		297732.07	
				110.93	29/010.14		291132.01	
पूंजी		Capital					•••	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित						
		II. This Supplementary Grants/Appropri	ations will be	_		or Heads:		
				भारित	स्वीकृत		जॊड़	
				Charged	Voted		Total	
राजस्व भ		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2076-रक्षा	सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army		4.00 ((क a) 2048.62	(खb)	2052.62	
	सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy		5.00	(गc) 2347.42	(घd)	2352.42	
2078-रक्षा	सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force			3620.00	(ਝe)	3620.00	
	सेवाएं - समन्वय और सेवाएं	2079-Defence Services- Coordination 8	& Services		19.89	(चf)	19.89	
(आयुध निदेशालय)		(Directorate of Ordnance)						
जोड़ (राजस	न्व भाग)	Total (Revenue Section)		9.00	8035.93		8044.93	
गर परक भ	निम्नलिखित हे	त भपेक्षित है [.]	The supple	ementary Grants/Ap	propriations are rea	uired for:		
(क)		.पु	(a)		propriations are requal nal expenditure of ₹			
(47)	का अतिरिक्त व्यय पूरा करन		(a)	=	ourt Orders in respe			
	उपरोक्त व्यय में 4 करोड़ का			=	cash outgo of ₹ 4 c		у.	
(ख)		एस' (₹1500 करोड़), 'भंडार' (₹500 करोड़), और	(b)		=		62 crore towards	
(G)		के लिए ₹2,048.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा	(b)	-	•	f 2,048.62 crore towards f 500 crore), and 'NCC'		
	करने हेत्।	7. (1. (2.)0 10102 1/1.0 1/1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. ((₹ 48.62 crore) f		. 500 0	iore), and ivoc	
	•	2 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। इस पूरक			a cash outgo of ₹	2048 62	crore With the	
		रत की आकस्मिक निधि से ईसीएचएस हेत्			Supplementary, the			
	संस्वीकत ₹1000 करेड रू	पये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।		• •	CHS from Conting			
		•		recouped.	corro nom conting	cricy i un	ia oi iiiala wiii be	
(ग)	नौ मेना के संदर्भ में न्याया	लय आदेशों के चलते होने वाले भ्गतानों के लिए	(c)	•	al expenditure of ₹	5 crore to	nwards navments	
(.)	₹5 करोड़ का अतिरिक्त व्यय		(0)	=	ourt Orders in respe			
		न तुर र र र र ज नकद ट्यय शामिल होगा।		=	a cash outgo of ₹ 5 o		<i>y</i> .	
(ঘ)		' (₹300 करोड़), 'भंडार' (₹1500 करोड़), 'संयुक्त	(d)		nal expenditure of		47.42 crore for	
()		रूटों के लिए वेतन और भते' (₹227.42 करोड़)	(4)		(₹ 300 crore), 'Store			
		रोड़) के लिए ₹2347.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय		•	ay & Allowances' fo	•	*	
	पुरा करने हेत्।	,			nditure' (₹ 200 crore			
	" 5	करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।		-	cash outgo of ₹ 234		-	
(ङ)		न' (₹100 करोड़), 'भंडार' (₹3000 करोड़), 'विशेष	(e)		nal expenditure o			
(0)		और 'अन्य व्यय' (₹506 करोड़) के लिए ₹3620	(0)	=	(₹ 100 crore), 'Store			
	करोड़ का अतिरिक्त व्यय क			=	rore) and 'Other ex			
	.,	4		Air Force.	Outor ex	Portalitate	, , 555 51515/101	
	उपरोक्त ट्यय में ₹3620 कर	ोड़ का नकद ट्यय शामिल होगा।			cash outgo of ₹ 362	20 crore.		
(핍)		स) के लिए ₹19.89 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को	(f)		onal expenditure		19.89 crore for	
(-/	पूरा करने हेतु।	.,	(•)	=	rdnance (Coordinati			
		रोड का नकद व्यय शामिल होगा।			cash outgo of ₹ 19.		•	
	2			o ornali a	oungo or v 10.			

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी Capital 122.43 171877.57 172000.00 जोड़ 122,43 171877.57 172000.00 Total Supplementary Estimate of the amount now इस समय आवश्यक रकम का पुरक अन्मान: required: राजस्व Revenue पुंजी Capital 62.00 0.01 62.01 जोड़ Total 62.00 0.01 62.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 184.43 171877.58 172062.01 राजस्व Revenue पूंजी 171877.58 172062.01 Capital 184.43 II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: स्वीकृत भारित जॊड Voted Total Charged पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4076-Canital Outlay on Defence Services

4076-रक्षा स	वाआ पर पूजागत पारव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Serv	rices	62.00	(कa)	0.01	(खb)	62.01
	-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	20162- 4.						
यह पूरक अनुद	(ाने/विनियोग) निम्नलिखित हेतु			ementary Grants/A	Appropriatio	ns are requ	ilrea for:	
(क)		ने वाले व्यय के लिए रक्षा सेवाओं हेतु भूमि के	(a)	meeting addit	ional expen	diture of ₹	62 crore	for 'Land' for
	लिए ₹62 करोड़ का अतिरिक्त	. 3		Defence Serv order.	vices toward	s expendi	ture arising	g out of court
	अनुदान के स्वीकृत भाग में करोड़ का एक तकनीकी पूरक	उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹62 की मांग की जाती है।		_		_		Capital Voted of ₹ 62 crore
(ख)	हेतु।	2.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	(b)	meeting addit Defence Servi	•	nditure of	₹ 1,712.93	3 crore under
	अनुदान के इसी भाग में उप पूरक की मांग की जाती है।	लब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into ac of the Grant, a		•		same section

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(\ 7/\/,	(III CIUIES)
	भारित	स्वीकृत	ऒड़
	Charged	Voted	Total
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue		2040.68	2040.68
Capital	***	3859.32	3859.32
Total	•••	5900.00	5900.00
Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
Revenue		0.01	0.01
Capital			
Total		0.01	0.01
Total (Original plus Supplementary)		5900.01	5900.01
Revenue		2040.69	2040.69
Capital		3859.32	3859.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
		lead:	
	भारित	स्वीकृत	जॏड़
	Charged	Voted	Total
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2052-Secretariat-General Services		0.01	0.01
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now require Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के II. This Supplementary Grant will be accounted for the REVENUE SECTION MAJOR HEAD	Charged I. ORIGINAL GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Family AREVENUE SECTION MAJOR HEAD	आरितस्वीकृत VotedI. ORIGINAL GRANT:Revenue2040.68Capital5900.00Supplementary Estimate of the amount now required:Revenue0.01Capital0.01Total (Original plus Supplementary)5900.01Revenue2040.69Capital3859.32II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:ARTRAस्वीकृतChargedVotedREVENUE SECTIONMAJOR HEAD

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विभागीय लेखा संगठन के अंतर्गत अन्य के लिए किराए के लिए ₹0.5 लाख और व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹0.5 लाख के व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure worth $\ref{thmodel}$ 0.5 lakh for Rent for others and $\ref{thmodel}$ 0.5 lakh for Professional Services under Departmental Accounting Organization.

मांग संख्या DEMAND NO 24

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ ਛਹੀਂਵ) (In ₹ crores)

			(₹ करौड़) (In ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2514.46		2514.46	
पूंजी	Capital		558.34		558.34	
जोड़	Total		3072.80		3072.80	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
, ,	required:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
पूंजी जोड़	Capital		615.33		615.33	
जोड़	Total	•••	615.35		615.35	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3688.15		3688.15	
राजस्व	Revenue	•••	2514.48		2514.48	
पूंजी	Capital		1173.67		1173.67	
*	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया जायेगा	ī:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc					
	,	<i>भारित</i>	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	· ·				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3 3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research		0.01	(कa)	0.01	
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	, ,	0.02	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
^ मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
उ 5403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत	5403-Capital Outlay on Oceanographic Research		0.01	(गc)	0.01	
परिव्यय	3 · p			(-/		
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology		615.32	(घd)	615.32	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		615.33		615.33	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		615.35		615.35	

(a)

(b)

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)
(i) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत संस्थानों द्वारा डीओएम के कार्यकलापों और डीओएम के तहत सिफारिशों/संस्वीकृत सहयोगों संबंधी परियोजनाओं हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹152.69 करोड़) और (ii) पृथ्वी विज्ञान (पीआरटीएचवीआई) योजना के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹0.07 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.23 करोड़), विज्ञापन और प्रचार(₹0.18 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं(₹19.17 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹539.53 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान(₹58.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ख) आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मिशन मौसम योजना के तहत (i) मुद्रण और प्रकाशन (₹0.30 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹4 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹12 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹87 करोड़) और पूंजीगत आस्त्रियों के सृजन के लिए अनुदान (₹143 करोड़) और (ii) कॉफी टेबल बुक, कैलेंडर और डायरी आदि की छपाई के लिए मुद्रण और प्रकाशन (₹0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेत्।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) पृथ्वी विज्ञान (पीआरआईटीएचवीआई) योजना के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर के लिए व्यय (रैं0. 60 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 152.69 Crore) for activities of DOM by MoES autonomous institutes, and collaborative projects recommended/sanctioned under DOM and (ii) Printing and Publications (₹ 0.07 crore), Digital Equipment (₹ 0.23 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.18 crore), Professional Services (₹ 19.17 crore), Grants-in-aid General (₹ 539.53 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 58.50 crore) under the scheme Prithvi Vigyan (PRITHVI).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Printing and Publication (₹ 0.30 crore), Digital Equipment (₹ 4 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.50 crore), Professional Services (₹ 12 crore), Grants-in-aid General (₹ 87 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 143 crore) under the scheme Mission Mausam and (ii) Printing and Publication (₹ 0.50 crore) for printing of coffee table book, calendar and diary etc on account of celebrating the completion of 150 years of IMD.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Furniture and Fixtures ($\ref{total optimization}$ 0.60 Crore) under the scheme Prithvi Vigyan(PRITHVI).

(d)

(घ) (i) पीआईबी की सिफारिशों के अनुसार एसीआरओएसएस से अलग की गई नई परियोजना-उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण नई एचपीसी की खरीद के कारण मशीनरी और उपकरण (₹567.20 करोड़) (ii) मिशन मौसम योजना के तहत मोटर वाहन (₹0.60 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹215.40 करोड़), अभिदान (₹0.40 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹1.50 करोड़) और अन्य स्थिर आस्तियों (₹0.10 करोड़) और (iii) उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग प्रणाली योजना के तहत मशीनरी और उपकरण (₹188.80 करोड़), जिसे एसीआरओएसएस से अलग किया गया है कि व्यय को पूरा करने हेत्।

उपरोक्त ₹615.32 करोड़ के व्यय का मिलान अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध ₹48.12 करोड़ की बचत के अभ्यपेण और ₹567.20 करोड़ आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान की मांग के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत द्वारा किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा। meeting expenditure towards (i) Machinery and Equipment (₹ 567.20 Crore) due to procurement of new HPC owing to implementation of newly created project-High Performance Computing System which has been separated from ACROSS as per PIB recommendations (ii) Motor Vehicles (₹ 0.60 crore), Machinery and Equipment (₹ 215.40 crore), Subscription (₹ 0.40 crore), Furniture and Fixtures (₹ 1.50 crore) and Other Fixed Assets (₹ 0.10 crore) under the scheme Mission Mausam and (iii) Machinery and Equipment (₹ 188.80 Crore) under the scheme High Performance Computing System which has been separated from ACROSS.

The above expenditure of ₹ 615.32 crore will be matched by surrender of savings ₹ 48.12 crore available under Revenue Section of the Grant and ₹ 567.20 crore by equivalent savings available in the Capital Section of Demand for Grants of the Department of Economic Affairs, hence will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_		
राजस्व	Revenue		127874.34	127874.34
पूंजी	Capital		0.76	0.76
जोड़	Total	***	127875.10	127875.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue		0.03	0.03
पूंजी जोड़	Capital			
जोड़	Total		0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	127875.13	127875.13
राजस्व	Revenue		127874.37	127874.37
पूंजी	Capital		0.76	0.76
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) समग्र शिक्षा (₹0.01 करोड़) और धुव (₹7.49 करोड़) योजना में सामान्य सहायता अनुदान (ii) समग्र शिक्षा (₹18.88 करोड़) और पीएम श्री (₹172.70 करोड़) योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (iii) समग्र शिक्षा योजना (₹265.00 करोड़) में व्यवसायिक सेवाएं (iv) समग्र शिक्षा योजना (₹7.00 करोड़) में विजापन और प्रचार के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(छ)
 (i) समग्र शिक्षा योजना (₹0.02 करोइ) में सामान्य सहायता अनुदान
 (ii) समग्र शिक्षा योजना (₹68.00 करोइ) में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु
 अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग)
 (i) समग्र शिक्षा योजना (₹0.72 करोड़) में सामान्य सहायता अनुदान
 (ii) समग्र शिक्षा (₹115.50 करोड़) और पीएम पोषण (₹170.75 करोड़)
 योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting the additional expenditure under (i) Grants-in-Aid General in Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.01 crore) and DHRUV (₹ 7.49 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets in Scheme of Samagra Shiksha (₹18.88 crore) and PM SHRI (₹ 172.70 crore) (iii) Professional Services in Scheme of Samagra Shiksha (₹ 265.00 crore) (iv) Advertising and Publicity in scheme of Samagra Shiksha (₹7.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure under (i) Grants-in-Aid General in Scheme of Samagra Shiksha (\mathfrak{T} 0.02 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets in Scheme of Samagra Shiksha (\mathfrak{T} 68.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure under (i) Grants-in-Aid General in Scheme of Samagra Shiksha (\mathfrak{T} 0.72 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets in Scheme of Samagra Shiksha (\mathfrak{T} 115.50 crore) and PM-POSHAN (\mathfrak{T} 170.75 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 4)1	15 / (111 \ CI UI E3)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		63309.20	63309.20
पूंजी	Capital	***	11.06	11.06
जोड़	Total		63320.26	63320.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	red:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी जोड़	Capital			
	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		63320.27	63320.27
राजस्व	Revenue		63309.21	63309.21
पूंजी	Capital		11.06	11.06
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	h अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हिंदी निदेशालय - पईनाम और पुरस्कार' (₹2.50 करोड़) योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under the scheme: Directorate of Hindi- 'Awards and Prizes' ($\stackrel{<}{_{\sim}}$ 2.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			((4/(15) / (111 (610165)		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	21355.89	21355.89	
पूंजी	Capital	***	581.01	581.01	
जोड़	Total		21936.90	21936.90	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	red:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी जोड़	Capital				
	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		21936.91	21936.91	
राजस्व	Revenue		21355.90	21355.90	
पूंजी	Capital		581.01	581.01	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष वे	h अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-3द्योग	2852-Industries		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"नेशनल नॉलेज नेटवर्क" के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹185.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 185.50 crore towards Grants-in-Aid General for "National Knowledge Network". Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(₹	कराड़)	(In ₹ crore	5)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3885.37		3885.37	
पूंजी	Capital		93.25		93.25	
जोड़	Total		3978.62		3978.62	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.03		0.03	
पूंजी	Capital		0.03		0.03	
जोड़	Total		0.06		0.06	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3978.68		3978.68	
राजस्व	Revenue		3885.40		3885.40	
पूंजी	Capital	***	93.28		93.28	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेग	Π:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(क a)	0.01	
2406-वानिकी और वन्य जीव	2406-Forestry and Wild Life		0.01	(खb)	0.01	
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	***	0.01	(गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	0.03		0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
न मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4406-वानिकी और वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	(घd)	0.01	
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		0.01	(ਝe)	0.01	
पर पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research					
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.01	(चf)	0.01	
परिव्यय	Services					
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.03		0.03	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.06		0.06	

(b)

यह पुरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क)
(i) सिविल निर्माण युनिट के तहत पेशेवर सेवाओ (₹0.02 करोड़ रुपए) और अन्य के लिए किराया (₹0.21 करोड़) (ii) (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत पेशेवर सेवाये (₹9.10 करोड़) (iii) राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन के तहत डिजिटल उपस्कर (₹1.50 करोड़) (iv) बाघ और हाथी परियोजना के तहत अन्य के लिए किराया (₹0.10 करोड़) (v) वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹0.15 करोड़) और पेशेवर सेवाएँ (₹0.01 करोड़) के लिए ट्यय को पूरा करने हेत्

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹0.10 करोड़) ,अन्य के लिए िकराया (₹0.16 करोड़) ,डिजिटल उपस्कर (₹0.24 करोड़) और पेशेवर सेवाएँ (₹0.05 करोड़) (ii) राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के तहत अन्य के लिए िकराया (₹0.07 करोड़) और डिजिटल उपस्कर (₹0.07 करोड़) (iii) भारतीय वन सर्वेक्षण के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹0.22 करोड़) और पेशेवर सेवाएँ (₹0.03 करोड़) (iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के तहत अन्य के लिए िकराया (₹0.01 करोड़) डिजिटल उपस्कर (₹0.20करोड़) पेशेवर सेवाएँ (₹0.50 करोड़) (v) राष्ट्रीय प्राधिकरण के तहत अन्य के लिए किराया (₹0.40 करोड़) (v) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन के तहत पेशेवर सेवाएँ (₹0.09 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Professional Services (₹ 0.02 crore) and Rent for Others (₹ 0.21 crore) under Civil Construction Unit (ii) Professional Services (₹ 9.10 crore) under International Cooperation (iii) Digital Equipment (₹ 1.50 crore) under National Mission on Himalayan Studies (iv) Rent for Others (₹ 0.10 crore) under Project Tiger & Elephant (CSComp) (v) Printing and Publication (₹ 0.15 crore) and Professional Services (₹ 0.01 crore) under Survey and Utilisation of Forest Resources.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Printing and Publication (₹ 0.10 crore), Rent for Others (₹ 0.16 crore), Digital Equipment (₹ 0.24 crore) and Professional Services (₹ 0.05 crore) under Regional Offices (ii) Rent for Others (₹ 0.07 crore) and Digital Equipment (₹ 0.07 crore) under National Afforestation and Eco-Development Board (iii) Printing and Publication (₹ 0.22 crore) and Professional Services (₹ 0.03 crore) under Forest Survey of India (iv) Rent for Others (₹ 0.01 crore), Digital Equipment (₹ 0.20 crore) and Professional Services (₹ 0.50 crore) under Indira Gandhi National Forest Academy (v) Rent for Others (₹ 0.40 crore)

(d)

(e)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

(ग) (i) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के तहत अन्य के लिए किराया (₹0.01 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के तहत अन्य के लिए किराया (₹0.02 करोड़) और अवॉर्ड और पुरुकार (₹0.04करोड़) (iii) पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत पेशेवर सेवाएँ (₹0.40 करोड़) और अवॉर्ड और पुरुस्कार (₹0.01 करोड़) (iv) जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण के तहत सामान्य सहायता - अनुदान (₹0.90 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने हेत्

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक परक की मांग की जाती है।

(घ) (i) राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड के तहत आईसीटी उपकरण (₹0.06 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.05 करोड़) (ii) भारतीय वन सर्वेक्षण के तहत मोटर वाहन (₹0.18 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.69 करोड़) (iii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.01 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेत्

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ङ) (i) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के तहत मोटर वाहन (₹0.15 करोड़)
(ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के तहत मशीनरी और उपकरण
(₹0.04 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.10 करोड़) (iii) राष्ट्रीय हरित
न्यायाधिकरण के तहत आईसीटी उपकरण (₹3.50 करोड़) के लिए व्यय को
पूरा करने हेत्

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

(i) मुख्य सचिवालय के तहत भवनों और संरचनाओं (₹3 करोड़) (ii) प्रधान लेखा कार्यालय के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.01 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु

(च)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। under National Authority (vi) Professional Services (₹ 0.09 crore) under Forestry Training and Capacity Building

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Rent for Others (₹ 0.01 crore) under Botanical Survey of India (ii) Rent for Others (₹ 0.02 crore) and Awards and Prizes (₹ 0.04 crore) under National Museum of Natural History (iii) Professional Services (₹ 0.40 crore) and Awards and Prizes (₹ 0.01 crore) under Environment Education programme (iv) Grants-in-Aid-General (₹ 0.90 crore) under Conservation of Aquatic Ecosystems (EAP).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) ICT Equipment (₹ 0.06 crore) and Furniture & Fixtures (₹ 0.05 crore) under National Afforestation and Eco-Development Board (ii) Motor Vehicles (₹ 0.18 crore) and Furniture & Fixtures (₹ 0.69 crore) under Forest Survey of India (iii) Furniture & Fixtures (₹ 0.01 crore) under Wildlife Crime Control Bureau.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Motor Vehicles (₹ 0.15 crore) under Zoological Survey of India (ii) Machinery and Equipment (₹ 0.04 crore) and Furniture & Fixtures (₹ 0.10 crore) under National Museum of Natural History (iii) ICT Equipment (₹ 3.50 crore) under National Green Tribunal.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Buildings & Structures (\mathfrak{F} 3 crore) under Main Secretariat (ii) Furniture & Fixtures (\mathfrak{F} 0.01 crore) under Principal Accounts Office.

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(रे कराड़) (In ₹ crores	5)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.03	20479.47		20479.50	
पूंजी	Capital		6058.58		6058.58	
जोड़	Total	0.03	26538.05		26538.08	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	3122.53		3122.53	
पूंजी	Capital		0.03		0.03	
जोड़	Total		3122.56		3122.56	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	29660.61		29660.64	
राजस्व	Revenue	0.03	23602.00		23602.03	
पूंजी	Capital		6058.61		6058.61	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ajor Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs		1485.08	(कa)	1485.08	
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और	3605-Technical and Economic Co-operation with		1637.45	(खb)	1637.45	
आर्थिक सहयोग	Other Countries					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3122.53		3122.53	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
र् 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(गc)	0.01	
परिव्यय						
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	***	0.01	(घd)	0.01	
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	(घd)	0.01	
परिव्यय 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 4075-Capital Outlay on Miscellaneous General		0.01	(ਬd) (ਝe)	0.01	
परिव्यय 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				,		
परिव्यय 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General			,		

(b)

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) नासिक प्रिंटिंग प्रेस को भुगतान के लिए मुद्रण और प्रकाशन (₹750 करोड़) और पासपोर्ट और उत्प्रवासन के तहत पासपोर्ट सेवा परियोजना को भुगतान के लिए कार्यालय व्यय (₹140 करोड़) (ii) विशेष राजनयिक व्यय के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹241 करोड़) (iii) संयुक्त राष्ट्र संगठन के तहत संयुक्त राष्ट्र को अनिवार्य योगदान (₹335 करोड़) और (iv) प्रशिक्षण के तहत डिजिटल उपकरण (एफएसआई) (₹1.30 करोड़), दूतावासों और मिशनों को भुगतान ₹2 करोड़) और प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स (₹10 करोड़), (v) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय-योगदान (₹19.08 करोड़)के लिए व्यय को पूरा करने हेतु

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हूए इसमें ₹1485.08 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा

(ख) (i) भूटान को सहायता-अन्य परियोजना के तहत (₹594.92 करोइ), मॉरीशस को सहायता (₹206 करोइ), मालदीव को सहायता (₹70 करोइ), लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता (₹30 करोइ), म्यांमार को सहायता (₹150 करोइ), श्रीलंका को अन्य सहायता कार्यक्रम (₹55 करोइ) और आपदा राहत के लिए सहायता (₹50 करोइ) और (ii) निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम (₹461.53 करोइ), आईटीईसी कार्यक्रम (₹20 करोइ) के तहत एक्जिम बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता के लिए व्यय को पूरा करने हेत्। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Printing and Publications (₹ 750 crore) for payment to Nasik Printing Press and Office Expenses (₹ 140 crore) for payment to Passport Seva Project under Passport & Emigration (ii) Other Revenue Expenditure (₹ 241 crore) under Special Diplomatic Expenditure (iii) Mandatory contributions to UN (₹ 335 crore) under United Nation Organisation and (iv) Digital Equipment under Training (FSI) (₹ 1.30 crore), Embassies & Missions (₹ 2 crore) and Protector General of Emigrants (₹ 10 crore), (v) South Asian University- Contributions (Rs 19.08 crore)

Taking into account the savings available within the same section of $\;$ Grant, this will entail cash outgo of $\;$ 1485.08 crore.

meeting expenditure towards Contributions (i) under Aid to Bhutan - Other Project (₹ 594.92 crore), Aid to Mauritius (₹ 206 crore), Aid to Maldives (₹ 70 crore), Aid to Latin American Countries (₹ 30 crore), Aid to Myanmar (₹ 150 crore), Sri Lanka - other Aid Programme (₹ 55 crore) and Aid to Disaster Relief (₹ 50 crore) and (ii) for Interest Equalisation Support to Exim Bank under Investment Promotion & Publicity Programme (₹ 461.53 crore), ITEC Programme (₹ 20 crore)

(ग)	उपरोक्त व्यय में शुद्ध नकद व्यय शामिल होगा (i) लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत भवन एवं संरचनाओं (₹214.89 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु	(c)	The above expenditure will entail cash outgo. meeting expenditure towards Building & Structures (₹ 214.89 crore) under Capital Outlay on Public Works.
(ঘ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। प्रवासी महासंरक्षक के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹0.07 करोड़) के	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting expenditure towards Machinery & Equipment (₹ 0.07
(4)	व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(u)	crore) under Protector General of Emigrants. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঙ্গ)	विदेश मामलों के मुख्यालयों के तहत मोटर वाहन(₹0.06 करोड़) की खरीद के व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	meeting expenditure towards Purchase of Motor Vehicle (₹ 0.06 crore) under External Affairs-Headquarters. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 30

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड़ Charged Total Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 14715.53 14715.53 पूंजी Capital 69915.28 69915.28 जोड 84630.81 84630.81 Total इस समय आवश्यक रकम का पुरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: राजस्व 1104.19 1104.19 Revenue पुंजी Capital 363.53 363.53 जोड़ Total 1467.72 1467.72 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 86098.53 86098.53 राजस्व Revenue 15819.72 15819.72 पूंजी Capital 70278.81 70278.81 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड भारित Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3475-Other General Economic Services 1104.19 (कa) 1104.19 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और 4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and 363.50 (खb) 363.50 टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय 5465-सामान्य वितीय और व्यापारिक 5465-Investments in General Financial and 0.01 (गc) 0.01 संस्थाओं में निवेश Trading Institutions 5466-अंतरराष्ट्रीय वितीय संस्थाओं 5466-Investments in International Financial 0.01 (घd) 0.01 में निवेश Institutions 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं 5475-Capital Outlay on Other General Economic 0.01 (ङe) 0.01 पर पूंजीगत परिव्यय जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 363.53 363 53 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 1467.72 1467.72 **टिप्पणी:** अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनमानों में नीचे दर्शाई गयी वसलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** पुंजी भाग CAPITAL SECTION 4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और 4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and (-)363.50 (-)363.50 टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय

यह पूरक अनुट	पने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppler	mentary Grants are required for:
(क)	अवसंरचना विकास हेत् सहायता - व्यवहार्यता अंतराल निधियन	(a)	assistance for Infrastructure Development- Viability Gap
	(₹1196.44 करोड़)		Funding (₹ 1196.44 crore).
	अनुदान के पूंजी/ राजस्व भाग में उपलब्ध बचत/ बचतों के अभ्यर्पण को		Taking into account Savings/Surrender of Savings available
	ध्यान में रखते हूए ₹1104.19 करोड़ का तकनीकी पूरक की मांग की जाती		in the Revenue/Capital Section of the Grant, technical
	है।		Supplementary of ₹ 1104.19 crore is being sought.
(ख)	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 (₹363.50 करोड़)	(b)	Gold Monetization Scheme 2015 (₹ 363.50 crore).
	स्कीम के तहत मेल खाते वसूलियों को ध्यान में रखते हूए तकनीकी पूरक की		Taking into account the matching recoveries under the
	मांग की जाती है।		Scheme, technical Supplementary is being sought.
(ग)	किफायती और मध्यम आय आवासन हेतु स्पेशल विंडो में निवेश (₹560	(c)	investment into Special Window for affordable and Middle
	करोड़)		Income Housing (₹ 560 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section
	पूरक की मांग की जाती है।		of the Grant, a token supplementary is sought.

(ঘ)	आईएमएफ (₹132.72 करोड़) के प्रति मूल्य (एमओवी) बाध्यता का (d)	Maintenance of Value (MOV) obligation towards IMF
	रखरखाव।	(₹ 132.72 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक	Taking into account the savings available in the same section
	पूरक की मांग की जाती है।	of the Grant, a token supplementary is sought.
(롱)	अवसंरचना विकास हेतु सहायता - व्यवहार्यता अंतराल निधियन (e)	assistance for Infrastructure Development- Viability Gap
	(₹3.89 करोड़)	Funding (₹ 3.89 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक	Taking into account the savings available in the same section
	पूरक की मांग की जाती है।	of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 31

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Total Charaed Voted I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 412.68 412.68 पूंजी Capital 91.46 91.46 जोड़ 504.14 Total 504.14 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital जोड़ Total 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 504.15 504.15 राजस्व 412.69 412.69 Revenue पूंजी 91.46 Capital 91.46 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070-Other Administrative Services 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

आईएनजीएएफ की स्थापना संबंधी व्यय के लिए ₹2.58 करोड़ की राशि

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

an amount of ₹2.58 crore for establishment related expenditure of INGAF.

मांग संख्या DEMAND NO 32

वितीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025) (₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 2783.21 2783.21 Revenue पूंजी Capital 322.97 322.97 जोड 3106.18 3106.18 Total इस समय आवश्यक रकम का परक अनमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 593.45 593.45 Revenue पुंजी Capital 486.21 486.21 जोड Total 1079.66 1079.66 ... जोड़ (मूल और पुरक) 4185.84 Total (Original plus Supplementary) 4185.84 राजस्व Revenue 3376.66 3376.66 पूंजी 809.18 809.18 Capital II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जोद Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं 2047-Other Fiscal Services 1.78 (कa) 1.78 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं (खb) 2070-Other Administrative Services 2.37 2.37 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235-Social Security and Welfare 30.30 (गc) 30.30 3465-सामान्य वितीय और व्यापारिक संस्थाएं 3465-General Financial and Trading Institutions 559.00 (घd) 559.00 जोड़ (राजस्व भाग) 593 45 593 45 Total (Revenue Section) पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative 36.29 (ङe) 36.29 4885-Other Capital Outlay on Industries and 4885-अन्य उद्योग और खनिजों पर अन्य पंजीगत 449.92 (चf) 449.92 परिव्यय Minerals जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 486 21 486 21 Total (Supplementary) 1079.66 1079.66 जोड़ (पूरक) यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: विशेष न्यायालय मुंबई के लिए ₹3.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। (क) an additional amount of ₹ 3.14 crore (a) for Special Court, Mumbai अनदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹1.36 करोड़ की बचत को ध्यान में Taking into account savings of ₹ 1.36 crore available in the रखते हए इसमें ₹1.78 करोड़ का नकद व्यय होगा same section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 1.78 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के लिए ₹4.96 करोड़ का अतिरिक्त व्यय (ख) (b) an additional amount of ₹ 4.96 crore for Debt Recovery Tribunals (DRTs) अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध ₹2.59 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते Taking into account savings of ₹ 2.59 crore available in the हए इसमें ₹2.37 करोड़ नकद व्यय होगा। same section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 2.37 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत प्रतिपूर्ति सब्सिडी (ग) (c) an additional amount of ₹ 84.44 crore to reimburse subsidy के लिए ₹84.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY). अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध ₹54.14 करोड़ की बचत को ध्यान में Taking into account savings of ₹ 54.14 crore available in the रखते हए इसमें ₹30.30 करोड़ के पूरक की मांग की जाती है तथा इसमें same section of the grant, supplementary of ₹ 30.30 crore is नकद व्यय होगा sought, which will entail cash outgo. "रुपे डेबिड कार्ड और लो- वेल्यू भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन (व्यक्ति से (ਬ) (d) an additional amount of ₹ 559.00 crore for "Incentive Scheme व्यापारी) के संबर्धन के लिए प्रोत्साहन योजना" हेत् ₹559.00 करोड़ का for Promotion of RuPav Debit Cards and Low-Value Bhim-UPI अतिरिक्त व्यय Transactions (Person to Merchant)". उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The above expenditure will entail a cash outgo; डीआरटी/डीआरएटी में ई-डीआरटी 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन और (ङ) an additional amount of ₹ 36.60 crore for implementation of (e) डीएफएस में आईसीटी उपकरण के लिए ₹36.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय e-DRT 2.0 project in the DRTs/DRATs and for ICT equipment

in DFS

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए ₹36.29 करोड़ की शेष राशि को आर्थिक कार्य विभाग की मांग संख्या 30 के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण से पूरा किया जाएगा। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होगा।

(च) 'भारतीय उद्योगिक वित निगम (आईएफसीआई) के शेयर पूंजी के अभिदान के लिए ₹499.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹50.07 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए ₹449.92 करोड़ की शेष राशि को आर्थिक कार्य विभाग की मांग संख्या 30 के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण से पूरा किया जाएगा। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होगा। Taking into account of savings available in the same section of the Grant, remaining amount ₹ 36.29 crore will be met from surrender of Savings available in capital section of Demand No. 30-DEA. it will not entail any additional cash outgo.

an additional amount of ₹ 499.99 crore for "Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)". Taking into account savings of ₹ 50.07 crore available in the same section of the grant, the remaining amount of ₹ 449.92 crore will be met from surrender of Savings available in the capital section of Demand No.30-DEA and it will not enatil any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 33

लोक उद्यम विभाग

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करोड़)) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	25.91	25.91
पूंजी	Capital		0.69	0.69
जोड़	Total		26.60	26.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.12	0.12
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total		0.12	0.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	26.72	26.72
राजस्व	Revenue	***	26.03	26.03
पूंजी	Capital		0.69	0.69
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	der the following Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.12	0.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन और भतों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards 'Salaries' and

'Allowances'.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 34

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Total Charged Voted ।. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 48 27 48 27 पूंजी Capital 1.47 1.47 जोड़ Total 49.74 49.74 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 20.69 20.69 Revenue पूंजी Capital 0.05 0.05 जोड 20.74 20.74 Total जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 70.48 70.48 राजस्व Revenue 68.96 68.96 पुंजी Capital 1.52 1.52 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 20.69 (कa) 20.69 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत (खb) 0.05 5475-Capital Outlay on Other General Economic 0.05 परिव्यय Services जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 20.74 20.74

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कानूनी सेवाओं, सलाहकारों की शुल्क और पेशेवर सेवाओं पर व्यय।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा

 (ख) मशीनरी और उपकरण के तहत महिला सेनेटरी पैड वॅडिंग मशीन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और लंबित बिलों का भुगतान करना

₹0.05 करोड़ के उपरोक्त व्यय को आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों के पुंजीगत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत से मिलान किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा

The supplementary Grants are required for:

expenditure towards expenses on legal services, fees of consultants and professional services.

The above expenditure will entail a cash outgo.

meeting additional expenditure for procurement of women sanitary pad vending machine and payment of pending bills under Machinery and Equipment.

The above expenditure of ₹0.05 crore will be matched by equivalent savings available in the Capital Section of Demand for Grants of the Department of Economic Affairs, hence will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 971	iş) (III (Crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		165054.05	165054.05
पूंजी	Capital		531.96	531.96
जोड़	Total	***	165586.01	165586.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now			
	required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी जो ड़	Capital		0.01	0.01
	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		165586.02	165586.02
राजस्व	Revenue		165054.05	165054.05
पूंजी	Capital		531.97	531.97
	 इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के 3 	भंतर्गत दिखाया जायेगा	:	
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
न् मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative		0.01	0.01
परिव्यय	Services			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर" (₹64.93 करोड़) और "शस्त्र एवं गोला बारूद" (₹0.90 करोड़) हेतु अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

establishment related expenditure under capital section of the Grant for "Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment(₹ 64.93 crore) and "Arms and Ammunitions" (₹ 0.90crore).

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

MAJOR HEAD

Total (Supplementary)

Services

विशि न राज शीर्षों के जरून रुगाराम गंबंधी काम देन अनुसन के मनाव

4075-Capital Outlay on Miscellaneous General

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 9025.42 9025.42 पूंजी Capital 1314.96 1314.96 ... जोड 10340.38 10340.38 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 176.93 176.93 Revenue पुंजी Capital 1055.86 1055.86 जोड़ Total 1232.79 1232.79 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 11573.17 11573.17 राजस्व 9202.35 Revenue 9202.35 ... पूंजी Capital 2370.82 2370.82 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण 2020-Collection of Taxes on Income and 176.93 (कa) 176.93 Expenditure पुंजी भाग **CAPITAL SECTION**

(क)	विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत स्थापना संबंधी व्यय हेतु अनुदान के राजस्व भाग के तहत ₹176.93 करोड़ की अतिरिक्त राशि।	(a)
(ख)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। आईसीटी (₹1000 करोड़) और भूमि की खरीद (₹65.14 करोड़) हेतु स्थापना संबंधी व्यय हेतु अनुदान के पूंजीगत भाग के तहत ₹1055.86 करोड़ की अतिरिक्त राशि।	(b)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान संख्या 30 के पूंजीगत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान मे रखते हए इससे कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	

मुख्य शीर्ष

परिव्यय

जोड़ (पूरक)

4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

an additional amount of ₹ 176.93 crore under Revenue Section of the Grant for establishment related expenditure under various object heads.

1055.86

1232.79

1055.86

1232.79

It will entail cash outgo.

an additional amount of ₹ 1055.86 crore under Capital Section of the Grant for establishment related expenditure for ICT (₹ 1000 crore) and purchase of land (₹ 65.14 crore). Taking into account savings available in the same section of the Grant and surrender of savings available in Capital

Section of Grant No. 30- DEA it will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर **INDIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025) (₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड़ Charaed Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 38859.86 38859.86 पूंजी Capital 2238.62 2238.62 जोड 41098.48 Total 41098.48 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पुंजी Capital 133.77 133.77 जोड़ Total 133.78 133.78 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 41232.26 41232.26 राजस्व Revenue 38859.87 38859.87 ... पूंजी Capital 2372.39 2372.39 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2037-सीमा शुल्क 2037-Customs 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत 133.77 (खb) 133.77 परिव्यय जोड़ (पूरक) 133.78 133.78 Total (Supplementary) यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी)के तहत (a) additional requirement of funds of ₹1376.00 crore under

	₹1376.00 करोड़ और वार्षिक वृद्धिशील नियोत प्रीत्साहन योजना के तहत ₹408.08 करोड़ की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करना ।	'Re (Ro
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। आईसीटी शीर्ष के तहत स्थापना संबंधी व्यय के लिए ₹250 करोड़ की (b) अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करना।	Exp Tak of t me est
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	Tal- the
	Giali	sec

emission of duties and taxes on exported products RoDTEP) and ₹ 408.08 crores under Annual Incremental xport Incentivization Scheme . aking into account the savings available in the same section the Grant, a token supplementary is sought.

eeting additional requirement of funds of ₹ 250 crores for stablishment related expenditure under ICT Head.

aking into account savings available in the same section of e Grant and surrender of savings available in the Revenue section, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 38

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				(₹ करॉड़) (In ₹ cre
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ास्व	Revenue	288.83	5882.98	6171.81
Ì	Capital	6.21	175.75	181.96
5	Total	295.04	6058.73	6353.77
समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:	required:			
स्व	Revenue	7.47	295.84	303.31
-	Capital			
ī	Total	7.47	295.84	303.31
(मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	302.51	6354.57	6657.08
स्व	Revenue	296.30	6178.82	6475.12
t	Capital	6.21	175.75	181.96
	II. This Supplementary Grants/Appropriations w	mil be accounted for under the भारित Charged	rollowing inajor rieads. स्वीकृत Voted	ਗੋੜ Total
ास्व भाग	REVENUE SECTION		75.02	
य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6-लेखा परीक्षा	2016-Audit	7.47	(क a) 295.84	(खb) 303.31
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अ घटाकर समायोजित किया जाता है!	नुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तियों	को शामिल नहीं किया गया	है जिन्हें व्यय में से
	Note: The above estimates of additional require	ements do not take into accour	t the recoveries shown	below, which are
	adjusted in reduction of expenditure.			
नस्व भाग	REVENUE SECTION			
6-लेखा परीक्षा	2016-Audit	···	(-)4.28	(-)4.28
पूरक अनुदाने/विनियोग निम्न		The supplementary Grants/	Appropriations are requ	uired for:
भारतीय लेखा प	रीक्षा और लेंखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा	(a) meeting addit	tional establishment ex	penditure of Indian
करना।	·	and Accounts	Department.	
उपरोक्त ट्यय में र	नकट ट्यय शामिल होगा।	The above ex	nenditure will entail a c	ash outoo

(क)	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा	(a)
	करना।	
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	
(ख)	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा	(b)
	करना।	
	अन्दान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹21.78 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण और	
	वसूँली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त में ₹269.78 करोड़ का निवल नकद	
	व्यय होगा।	

The above expenditure will entail a cash outgo.

meeting additional establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 21.78 crore available in the Capital Section of the Grant and the recoveries,the above will entail a net cash outgo of ₹ 269.78 crore

मांग संख्या DEMAND NO 42

राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46-47 देखिये) (See page 46-47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(र कराड़) (In र c		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	132378.17	51802.61	184180.78	
पूंजी	Capital	184000.00		184000.00	
जोड़	Total	<i>316378.17</i>	51802.61	368180.78	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:			
राजस्व	Revenue	0.01		0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>316378.18</i>	51802.61	368180.79	
राजस्व	Revenue	<i>132378.18</i>	51802.61	184180.79	
पूंजी	Capital	184000.00		184000.00	
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्	ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जा	येगा:		
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be			ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01		0.01	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) उप-केंद्रों (₹४९९.94 करोड़), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) (₹७०० करोड़) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) (₹७७०.93 करोड़) के लिए नैदानिक अवसंरचना सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय; (ii) ब्लॉक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के लिए ₹६४९.94 करोड़ ; (iii) भवन-रहित उप-केंद्रों, पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के लिए ₹८४९.97 करोड़; और (iv) ग्रामीण पीएचसी और उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में बदलने के लिए मैं ₹३०० करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

(i) additional expenditure towards support for Diagnostic Infrastructure for Sub Centres (₹ 499.94 crore), Primary Healthcare Centres (PHCs) (₹ 500 crore) and for Urban Primary Healthcare Centres (PHCs) (₹ 770.93 crore) ; (ii) ₹ 649.94 crore for Block level Public Health Units ; (iii) ₹ 899.97 crore for Building-less Sub Centres, PHCs & Community Health Centres (CHCs); and (iv) ₹ 300 crore towards conversion of Rural PHCs and Sub-Centres into Health and Wellness Centres.

मांग संख्या DEMAND NO 43

मत्स्यपालन विभाग DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(र कराड़) (Ir		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
गर्जस्व	Revenue		2597.44		2597.44
्र ंजी	Capital		19.00		19.00
नोड़	Total	***	2616.44		2616.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:			
गजस्व	Revenue	***	0.01		0.01
र्गुजी नोड़	Capital		0.01		0.01
गोड़	Total	***	0.02		0.02
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2616.46		2616.46
ाजस्व	Revenue	***	2597.45		2597.45
र् ची	Capital	•••	19.01		19.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted to		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2 ४०५-मत्स्य पालन	2405-Fisheries		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
^ नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 1405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	•••	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02	. ,	0.02

(a)

(b)

यह पूरक अनुदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	(i) मत्स्य पालन जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत सब्सिडी
	(₹29 करोड़)
	(ii) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत (क) डिजिटल उपकरण
	(₹1 करोड़) और (ख) सब्सिडी (₹50 करोड़)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
	पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत (i) मशीनरी और उपकरण
	(₹1.50 करोड़), (ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.10
	करोड़) और (iii) फर्नीचर और फिक्स्चर के लिए
	(₹1.50 करोड़)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
	पूरक की मांग की जाती है।
	*

The supplementary Grants are required for:

- (i) Subsidies under Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund (₹ 29 crore).
 - (ii) (a) Digital Equipment (₹ 1 crore) and (b) Subsidies (₹ 50 crore) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Machinery & Equipment (₹ 1.50 crore), (ii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.10 crore) and (iii) Furniture & Fixtures (₹ 1.50 crore) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करों	ਭ) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4693.57	4693.57
पूंजी	Capital		237.67	237.67
जोड़	Total	***	4931.24	4931.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4931.25	4931.25
राजस्व	Revenue		4693.58	4693.58
पूंजी	Capital		237.67	237.67
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) पशु कल्याण बोर्ड के लिए प्ंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1 करोड़)
- (ii) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹157.48 करोड़)
- (iii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹103.60 करोड)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants for Creation of Capital Assets under Animal Welfare Board (₹ 1 crore)
- (ii) Grants-in-aid General under Livestock Health and Disease Control Programme (₹ 157.48 crore)
- (iii) Grants-in-aid General under National Livestock Mission (₹ 103.60 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹	कराइ)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4016.46		4016.46
पूंजी	Capital	***	2.54		2.54
जोड़	Total	***	4019.00		4019.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
प्ंजी जोड़	Capital		1.01		1.01
	Total		1.02		1.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4020.02		4020.02
राजस्व	Revenue		4016.47		4016.47
पूंजी	Capital	***	3.55		3.55
	II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेग	Γ:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un		Major Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		1.01	(खb)	1.01
परिव्यय	Services				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1.02		1.02

यह पूरक अनुदा	ने निम्नितिखित हेतु अपेक्षित है:	The
(क)	'एनआईएफटीईएम (टी) के विस्तार हेतु केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता' हेतु 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन' के लिए अनुदान' (₹42.33 करोड़)।	(a)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
(ख)	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत परिव्यय के तहत 'सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर' (₹0.45 करोड़) और 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹0.56 करोड़)।	(b)
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	

The supplementary Grants are required for:

'Grants for creation of Capital Assets' for 'Assistance under Central Sector Projects for Expansion of NIFTEM (T)' (₹ 42.33 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment (₹ 0.45 crore) and for 'Furniture & Fixture' (₹ 0.56 crore) under Capital outlay on Other General Economic Services.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				(₹ करॉड़	₹) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue		105939.07		105939.07
ती	Capital		3612.29		3612.29
इ	Total		109551.36		109551.36
। समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ग स्व	Revenue		0.04		0.04
ो	Capital		0.01		0.01
ी इ	Total		0.05		0.05
इ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		109551.41		109551.41
जस्व [े]	Revenue		105939.11		105939.11
f t	Capital		3612.30		3612.30
	II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो II. This Supplementary Grants will be accounted t				जॊड़ Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION	o,,a,goa	70.00		10101
डय शीर्ष	MAJOR HEAD				
10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(क a)	0.01
१११-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(खb)	0.01
52-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
01-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(घd)	0.01
इ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04
नी भाग	CAPITAL SECTION				
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत रेट्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(ਭ e)	0.01
इ (पूरक)					0.05

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी)- सामान्य सहायता अनुदान (₹317.59 करोड़); (ii) नए एम्स का स्थापना व्यय-पूंजीगत आस्त्रियों के सृजन के लिए अनुदान (₹222.00 करोड़); (iii) दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी)-वेतन सहायता अनुदान (₹3.09 करोड़); (iv) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए बी -पीएमजेएवाई)-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान-विज्ञापन और प्रचार (₹5.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक परक की मांग की जाती है।

(ख) स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए) -'मुद्रण और प्रकाशन' (₹0.05 करोड़) और 'अन्य के लिए किराया' (₹0.05 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग)

(i) आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए समुत्थानशील पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान- सामान्य सहायता अनुदान (₹15.36 करोड़); (ii) 1. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)-पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹110.12 करोड़), और 2. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए समुत्थानशील पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान-(₹1.43 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure for (i) National Policy for Rare Diseases (NPRD) – Grants in aid General (₹317.59 crore); (ii) Establishment Expenditure of New AllMS - Grants for Creation of Capital Assets (₹222.00 crore); (iii) National Policy for Rare Diseases (NPRD) - Grants-in-aid Salaries (₹3.09 crore); (iv) Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) - Dharti Aaba janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan-Advertising and Publicity(₹5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure for Swastha Nagrik Abhiyan (SNA) - 'Printing and Publication' (0.05 crore) and 'Rent for others' (0.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure for (i) Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission - Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan - Grants-in-aid General (₹15.36 crore); (iii) 1. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)-Grants for creation of Capital Assets (₹110.12 crore), and 2. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission - Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan - (₹1.43 crore).

(d)

(e)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(घ) (i) 1. अवसंरचना का अनुरक्षण -सामान्य सहायता अनुदान (₹16.49 करोड़),
2. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुद्दीकरण के लिए समुत्थानशील पूल,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन-धरती आबा जनजातीय
ग्राम उत्कर्ष अभियान-सामान्य सहायता अनुदान (₹133.98 करोड़); (ii)
आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुद्दीकरण के लिए समुत्थानशील पूल,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन-धरती आबा जनजातीय
ग्राम उत्कर्ष अभियान-पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15.55
करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई -'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹0.20 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

(량)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure for (i) 1. Infrastructure Maintenance - Grants-in-Aid General (₹16.49 crore), 2. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission - Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan − Grants-in-Aid General (₹133.98 crore); (ii) Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission - Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan - Grants for creation of Capital Assets (₹15.55 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure for All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai- 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.20 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 47

स्वास्थ्य अन्संधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत जॊड़ भारित Charged Total Voted I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व 3300.87 Revenue 3300.87 पूंजी Capital 0.86 0.86 ... जोड Total 3301.73 3301.73 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 89.91 89.91 Revenue पुंजी Capital 0.43 0.43 जोड़ Total 90.34 90.34 ... जोड़ (मूल और पूरक) 3392.07 Total (Original plus Supplementary) 3392.07 राजस्व Revenue 3390.78 3390.78 पूंजी Capital 1.29 1.29 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Voted Total Charged REVENUE SECTION राजस्व भाग MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 89.91 (कa) 89.91 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत 4250-Capital Outlay on other Social Services 0.43 (खb) 0.43 परिव्यय 90.34 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 90.34

यह परक भनटाने रि	निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:	The sunnlem	nentary Grants are required for:
(क) आ एर लि	ाईसीएमआर (₹89.91 करोड़) हेतु सामान्य-सहायता-अनुदान और चईपीआर न्यास (₹1.00 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के नेए।	(a)	meeting the additional expenditure under Grant-in-Aid General for ICMR ($₹$ 89.91 crore) and HEPR trust ($₹$ 1.00 crore).
₹8 (ख) सूर	ानुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 89.91 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। चिना, कम्प्यूटर, सचिवालय व्यय के दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (0.43 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b)	Taking into account the savings available within the same section of the Grant, it will entail cash outgo of ₹ 89.91 crore. meeting the additional expenditure for Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment of Secretariat Expenditure (₹ 0.43 crore).
अ ट्य	ानुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant, it will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 48

भारी उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	(र कराड़) (IN र e			
	भारित	स्वीकृत	जॊड़	
	Charged	Voted	Total	
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue	***	7240.20	7240.20	
Capital		1.80	1.80	
Total	***	7242.00	7242.00	
Supplementary Estimate of the amount now				
required:				
Revenue	0.06	0.02	0.08	
Capital			•••	
Total	0.06	0.02	0.08	
Total (Original plus Supplementary)	0.06	7242.02	7242.08	
Revenue	0.06	7240.22	7240.28	
Capital		1.80	1.80	
II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षो	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants/Appropriations will	be accounted for under		or Heads:	
	भारित	स्वीकृत	जॊड़	
	Charged	Voted	Total	
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa) 0.01	
2852-Industries	0.06	(खb) 0.01	(गc) 0.07	
Total (Revenue Section)	0.06	0.02	0.08	
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो II. This Supplementary Grants/Appropriations will REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2852-Industries	Charged I. ORIGINAL GRANT: Revenue Revenue Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 0.06 Capital Total (Original plus Supplementary) 0.06 Revenue 0.06 Capital II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under आरित REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2852-Industries 0.06	अगरित (Charged)स्वीकृत (Charged)J. ORIGINAL GRANT:Revenue7240.20Capital1.80Total7242.00Supplementary Estimate of the amount now required:Revenue0.060.02CapitalTotal0.060.02Total (Original plus Supplementary)0.067242.02Revenue0.067240.22Capital1.80II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major#गरित (Charged)VotedREVENUE SECTIONMAJOR HEAD3451-Secretariat-Economic Services0.012852-Industries0.06(खb)0.01	

(b)

(c)

(क)	साचवालय आयिक सवाओं के तहत परावर सवाए (र 0.60 कराई),अन्य हतु किराया (₹ 0.06 करोई)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	उपभोगता उद्योगों (एच पी सी एल)के न्यायलयी आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.06 करोड़)
	अनुदान के राजस्व स्वीकृत अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा
(ग)	(i) पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹0.30 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹1.01 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.73 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹20.28 करोड़), सामान्य -सहायता -अनुदान (₹0.02 करोड़), सब्सिडी (₹1487.37 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹422.40 करोड़), (iii) पी एस एम योजना के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹0.01 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.01 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.01 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹12.44 करोड़), सामान्य -सहायता-अनुदान(₹0.01 करोड़), सब्सिडी (₹0.01 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़)

पनितालम थार्शिक पेताओं के चटच पेशेला पेताएं (₹ 0.60 क्योट \ थट्या टेच

यह प्रक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Professional Services (₹ 0.60 crore), Rent for Other (₹ 0.06 crore) under Secretariat Economic Services

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Other Revenue Expenditure (₹ 0.06 crore) under Support to Central Public Sector Enterprises in compliance with Consumer Industries (HPCL) Court order

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(i) Printing and Publication (₹ 0.30 crore), Digital Equipment (₹ 1.01 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.73 crore), Professional Services (₹20.28 crore), Grants-in-Aid General (₹ 0.02 crore), Subsidies (₹ 1487.37 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 422.40 crore) under the scheme PM E-DRIVE , (ii) Printing and Publication (₹ 0.01 crore), Digital Equipment (₹ 0.01 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.01 crore), Professional Services (₹ 12.44 crore), Grants-in-Aid General (₹ 0.01 crore), Subsidies (₹ 0.01 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under PSM scheme

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

भारित

स्वीकृत

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुद	ानः	I. ORIGINAL GRANT:		onargou -	70.00		7000
राजस्व	•	Revenue			6072.97		6072.97
पूंजी		Capital			385.27		385.27
जोड		Total			6458.24		6458.24
•	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	e amount now		0.00.21		0.00.21
Q (101 4 011	attan their hir Kin ordener.	required:	o amount now				
राजस्व		Revenue			0.03		0.03
पूंज <u>ी</u>		Capital		•••	0.02		0.02
जोड		Total		***	0.02		0.05
•			-4				
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Suppleme	ntary)	•••	6458.29		6458.29
राजस्व		Revenue			6073.00		6073.00
पूंजी		Capital		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	385.29		385.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि					
		II. This Supplementary Grants	will be accoun		_		
				भारित	स्वीकृत		ज <u>ो</u> ड़
	_			Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	T	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				<i>(</i>	
	लय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Ser		***	0.01	(कa)	0.01
	ग्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Se			0.01	(खb)	0.01
. •	क आपदा राहत	2245-Relief on account of Nat	tural Calamities	·	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)			0.03		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	ग्शासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other	Administrative		0.01	(घd)	0.01
परिव्यय	~ \ x · . o	Services					
	प्तामाजिक सेवाओं पर प्रंजीगत	4250-Capital Outlay on other	Social Services		0.01	(ਝe)	0.01
परिव्यय							
जोड़ (पूंजी भा	ग)	Total (Capital Section)		***	0.02		0.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.05		0.05
यह पूरक अन्	दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:		The supplem	nentary Grants are required	for:		
(क)	1. सचिवालय-(विज्ञापन और प्रचार	-₹1.75 करोड़);के तहत अतिरिक्त व्यय	(a)	meeting additional exp	enditure un	der 1.	Secretariat -
	को पूरा करने हेत्।			(Advertising and Publicity	- ₹1.75 crore);	
	2. शत्रु संपत्ति अभिरक्षक-(अन्य के वि	लेए किराया-₹0.09 करोड़, विज्ञापन और		2. Custodian of enemy p	roperty - (R	ent for C	Others - ₹0.09
	प्रचार-₹0.30 करोड़);			crore, Advertising and Pub	olicity - ₹0.30	crore);	
		बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the sa	avings availa	ble in the	same section
	पूरक की मांग की जाती है।			of the Grant, a token supp	lementary is	sought.	
(ख)		प्रकाशन- ₹0.04 करोड़, अन्य के लिए	(b)	meeting additional expen			
		करण- ₹1.10 करोड़);के तहत अतिरिक्त		(Printing and Publications			t for Others -
	व्यय को पूरा करने हेत्।			₹0.20 crore, Digital Equipr			
	2.अन्य योजनाएं (विज्ञापन और प्रच			2. Other Schemes (Advert			
		ान और प्रचार- ₹0.01 करोड़, डिजिटल		3. Bhartiya Bhasha Anu	• .	-	nd Publicity -
	उपकरण- ₹0.02 करोड़);			₹0.01 crore, Digital Equipr			
		बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the sa	-		same section
()	पूरक की मांग की जाती है।		(-)	of the Grant, a token supp			Desfacional
(ग)	रनडा.रमर-परावर सवाजा क त ₹5.00 करोड़	नहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना-	(c)	meeting additional expen	diture under	NDIVIA	- Professional
		बचत को ध्यान में रखते ह्ए सांकेतिक		Services - ₹5.00 crore	ovinas availa	blo in the	same section
	पुरक की मांग की जाती है।	नवता नग ज्याण ण रखत हर तामातिक		Taking into account the sa			Jame Section
(FT)		तिरिक्त व्यय को पूरा करना-फर्नीचर और	(d)	of the Grant, a token supp			irtiva Bhacha
(ঘ)	मारताय मापा जनुमाग क तहत जा फिक्स्चर-₹0.40 करोड।	तारक ज्यम यम नूरा करणा-यणावर जार	(u)	meeting additional expo Anubhag - Furniture and F			ii iiya Dilasila
	•	बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the sa			same section
	पूरक की मांग की जाती है।	नवता नग ज्याचा चा रखत हुए सामातक		of the Grant, a token supp			Jame Section
(ङ)		ायों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा	(e)	meeting additional exper			- Other Fixed
(5)	. 101011 (1 01 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(10(1 01)(11)(11 044 41 41)	(0)		.a.taro unuei	110111	Julio Tixou
	करना-₹0 05 करोद			Assets - ₹0.05 crore			
	करना-₹0.05 करोड़ अनदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखने हए मांकेनिक		Assets - ₹0.05 crore Taking into account the sa	avings availa	ble in the	same section
		बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Assets - ₹0.05 crore Taking into account the sa of the Grant, a token supp			same section

मांग संख्या DEMAND NO 50

मंत्रिमंडल CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 1152.68 1152.68 पूंजी Capital 96.23 96.23 जोड Total 1248.91 1248.91 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now पूरक अनुमान: required: राजस्व Revenue पुंजी Capital 4911.44 4911.44 जोड़ Total 4911.44 4911.44 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 6160.35 6160.35 राजस्व Revenue 1152.68 1152.68 ... पूंजी 5007.67 5007.67 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड Voted Total Charged पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं 4070-Capital Outlay on Other Administrative 124.00 (**क**a) 124.00 पर पंजीगत परिव्यय Services 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर 4075-Capital Outlay on Miscellaneous General 4787.44 (खb) 4787.44 पूंजीगत परिव्यय Services Total (Capital Section) जोड़ (पूंजी भाग) 4911.44 4911.44 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** . 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर 4075-Capital Outlay on Miscellaneous General (-)4666.77(-)4666.77पुंजीगत परिव्यय Services

(a)

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) विशेष अतिरिक्त उड़ान सत्र-वीवीआईपी उड़ान प्रचालन के लिए अन्य पूंजीगत व्यय (₹124 करोड़)।

> अनुदान के राजस्वअनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय-अन्य पूंजीगत व्यय-₹12.85 करोइ, मोटर वाहन ₹0.9 करोइ और आईसीटी-₹2.75 करोइ। नए शीर्ष को खोलने के लिए अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय-फर्नीचर और फिक्स्चर- ₹0.50 करोइ, साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास-अन्य पूंजीगत व्यय- ₹104.33 करोइ और अनुसंधान-अन्य पूंजीगत व्यय- ₹4666.77 करोइ और प्रधानमंत्री कार्यालय-आईसीटी- ₹0.15 करोइ।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग मे उपलब्ध प्रतिपूर्तियों के मिलान हेतु , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

Other Capital Expenditure (₹124 crore) for Special Extra Flight Session- VVIP Flight Operation.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

National Security Council Secretariat - Other Capital Expenditure - ₹12.85 crore, Motor Vehicle ₹ 0.09 crore and ICT- ₹2.75 crore. For opening of new heads viz. National Security Council Secretariat- Furniture and Fixtures - ₹0.50 crore, Cyber Security Research and Development - Other Capital Expenditure - ₹104.33 crore and Research- Other Capital Expenditure - ₹4666.77 crore and Prime Minister Office- ICT - ₹0.15 crore.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant and matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

जॊड

स्वीकृत

		Charged		Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue	12.07		130959.53		130971.60	
पूंजी	Capital	7.71		13343.89		13351.60	
जोड़	Total	<i>19.78</i>		144303.42		144323.20	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:	required:						
राजस्व	Revenue			6334.15		6334.15	
पूंजी	Capital	<i>15.75</i>		0.01		15.76	
जोड़	Total	<i>15.75</i>		6334.16		6349.91	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>35.53</i>		150637.58		150673.11	
राजस्व	Revenue	12.07		137293.68		137305.75	
पूंजी	Capital	23.46		13343.90		13367.36	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों वे	के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:				
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be			ollowing Maj	or Heads	:	
		भारित		स्वीकृत		जॊड़	
		Charged		Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2055-पुलिस	2055-Police			6334.14	(क a)	6334.14	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)			6334.15		6334.15	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
 मुख्य शीर्ष							
	MAJOR HEAD						
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	MAJOR HEAD 4055-Capital Outlay on Police	15.75	(गc)	0.01	(घd)	15.76	

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध आंतरिक बचत का उपयोग नए वस्त् शीर्षी में प्रावधान करने के लिए किया जाएगाः अन्य के लिए किराया (आप्रवासन ब्यूरो), अन्य के लिए किराया (पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो), अवार्ड और प्रस्कार (प्लिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो), गुप्त सेवा व्यय (पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो), प्रशिक्षण व्यय (विधि विज्ञान निदेशालय), मुद्रण और प्रकाशन (विधि विज्ञान निदेशालय), गुप्त सेवा व्यय (आई4सी), कार्यालय व्यय (सशस्त्र सीमा बल-एसएपी), अन्य राजस्व व्यय (वीवीपी), सामान्य सहायता अनुदान (जम्मू और कश्मीर पुलिस), अन्य के लिए किराया (विधि विज्ञान निदेशालय), प्रशिक्षण व्यय (सीसीपीडब्ल्यूसी), विज्ञापन और प्रचार (सीसीपीडब्ल्युसी), पेशेवर सेवाएं (सीसीपीडब्ल्युसी), पंजीगत आस्तियों (एनसीबी) के निर्माण के लिए अनदान, तथा विज्ञापन और प्रचार के तहत अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए भी- ₹15.71 करोड़, गोला-बारूद- ₹128.54 करोड़, डिजिटल उपकरण-शम्त्र एवं ₹19.03 करोड़, पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अन्दान- ₹141.15 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान ₹ 298.16 करोड़, वेतन सहायता अनुदान ₹10.00 करोड़, मुद्रण और प्रकाशन- ₹17.77 करोड़, पेशेवर सेवाएं-

₹400.00 करोड़, छात्रवृत्ति - ₹0.09 करोड़।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए,और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में ₹4840.85 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

₹1006.49 करोड़, अन्य के लिए किराया - ₹82.93 करोड़, गुप्त सेवा व्यय -

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

भागित

meeting additional expenditure of ₹6334.14 crore under Allowances. The internal savings available in the same section of the Grant would be utilized for making provision in the new object heads: Rent for others(Bureau of Immigration), Rent for others(Bureau of Police Research & Development), Awards and Prizes(Bureau of Police Research & Development), Secret Service Expenditure(Bureau of Police Research & Development), Training Expenses(Directorate of Forensic Science), Printing and Publication(Directorate of Forensic Science), Secret Service Expenditure (I4C), Office Expenses Bal-SAP),Other (Sashastra Seema Revenue Expenditure(VVP), Grants-in-aid-General(Jammu and Kashmir Police), Rent for others (Directorate of Forensic Science), Expenses(CCPWC), Advertising Publicity(CCPWC), Professional Services(CCPWC), Grants for creation of Capital Assets (NCB), and, also for meeting additional expenditure under Advertising & Publicity - ₹15.71 crore, Arms & Ammunition - ₹128.54 crore, Digital Equipment -₹ 19.03 crore. Grants for creation of Capital Assets - ₹141.15 crore, Grants-in-aid-General - ₹ 298.16 crore, Grants-in-aid-Salaries - ₹ 10.00 crore, Printing and Publication - ₹ 17.77 crore, Professional Services - ₹ 1006.49 crore, Rent for others -₹ 82.93 crore, Secret Service Expenditure - ₹ 400.00 crore, Scholarships - ₹ 0.09 crore.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilizing the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹4840.85 crore.

(b)

(c)

- (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को प्रा करना (₹47.97 करोड़) - आंध्र प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सहायता।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) भवन और संरचना (प्रभारित)-(₹ 13.89 करोड़), मोटर वाहन-(₹1.86 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु; आर्थिक कार्य विभाग के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं
- (घ) भवन और संरचनाओं के तहत अितरिक्त व्यय को पूरा करना (₹105.00 करोड़)-केंद्रीय रिजर्व पुलिस कार्यालय भवन, आईसीटी (₹201.66 करोड़)-आई4सी, मशीनरी और उपकरण (₹130.55 करोड़)-जम्मू और कश्मीर पुलिस (सामान्य), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹27.27 करोड़), मोटर वाहन (₹689.47 करोड़), अन्य पूंजीगत व्यय (₹1300 करोड़), अन्य नियत आस्तियां (₹0.86 करोड़) और आईसीटी के तहत प्रावधान करना (₹214.50 करोड़)-सीसीपीडब्ल्यूसी, मोटर वाहन (₹0.01 करोड़)-बीपीआर एंडडी, अन्य नियत आस्तियां (₹0.05 करोड़)-बीपीआरएंडडी, मोटर वाहन (₹0.01 करोड़)-एनपीएम, फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.01 करोड़)-डीएफएस, फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.01 करोड़)-डीएफएस, फर्नीचर और फिक्स्चर आई4सी।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- meeting additional expenditure under Grants for creation of Capital Assets (₹47.97 crore) -Assistance for setting up/upgradation of forensic science labs in Andhra Pradesh;
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure under Building and Structures (Charged)- (₹13.89 crore), Motor Vehicles- (₹1.86 crore);
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Department of Economic Affairs, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- meeting additional expenditure under Building and Structures (₹105.00 crore) Central Reserve Police Office Buildings, ICT (₹201.66 crore) I4C, Machinery & Equipment (₹130.55 crore) J&K Police (General), Furniture and Fixtures (₹27.27 crore), Motor Vehicles (₹689.47 crore), Other Capital Expenditure(₹1300 crore), Other Fixed Assets (₹0.86 crore) and making provision under ICT (₹214.50 crore) CCPWC, Motor Vehicles (₹0.01 crore) BPR&D, Other Fixed Assets (₹0.05 crore) BPR&D, Motor vehicles (₹0.01 crore) NPM, Furniture & Fixtures (₹0.01 crore) DFS, Furniture & Fixtures (₹0.30 crore) DAO, Other Capital Expenditure (₹0.01 crore) BM and Furniture & Fixtures I4C.

मांग संख्या DEMAND NO 52

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		_		97(15)	(In ₹ cr
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.02	5573.67		5573.69
पूंजी	Capital		467.13		467.13
जोड़	Total	0.02	6040.80		6040.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		60.64		60.64
पूंजी	Capital		0.04		0.04
जोड़	Total		60.68		60.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6101.48		6101.50
राजस्व	Revenue	0.02	5634.31		5634.33
प ूंजी	Capital		467.17		467.17
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		jor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	-			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		0.01	(कa)	0.0
2029-भू-राजस्व	2029-Land Revenue		0.01	(खb)	0.0
2044-संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर के	2044-Collection Charges under Union Territory Goods		0.01	(गc)	0.0
अंतर्गत संग्रहण प्रभार	and Services Tax			(-/	
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration		0.01	(घd)	0.0
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(ङe)	0.0
2235-सामाजिक स्रक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(चf)	0.0
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities		0.01	(छg)	0.0
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		0.01	(जh)	0.0
2403-पश् पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	(झi)	0.0
2506-भूमि स्धार	2506-Land Reforms		0.01	(टj)	0.0
2801-विद्युत	2801-Power		60.53	(ठk)	60.53
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		0.01	(롱)	0.0
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		60.64	. ,	60.6
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	(ढm)	0.01
परिव्यय	and the second s			` /	2.0
4401-फसल कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry		0.01	(णn)	0.0
4403-पश्पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry		0.01	(ਜo)	0.0
5055-सड़क परिवहन के लिए पूंजीगत परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport		0.01	(थp)	0.0
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.04		0.0
्र जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	60.68		60.68

(b)

(c)

(ক)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान हेतु (₹0.0014 करोड़) और अधिवका की फीस और पेशेवर सेवाएं के भुगतान के लिए (₹0.0050 करोड़)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान हेतु अन्य के किराए के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.20 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ग)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान हेतु अन्य के किराए के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.18 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(a) meeting expenditure under Rent for Others (₹ 0.0014 crore) for payment towards hiring of vehicles and Professional Services (₹ 0.0050 crore) for payment of fee of advocate.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Rent for Others (₹ 0.20 crore) for payment towards hiring of vehicles.

Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Rent for Others (₹ 0.18 crore) for payment towards hiring of vehicles.

(d)

(e)

(f)

(a)

(h)

(i)

(j)

(k)

(n)

(p)

hiring of vehicles.

	59
(ঘ)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान के लिए उप-शीर्ष अंडमान जिले के तहत (₹0.40 करोड़) एवं उप-शीर्ष उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के तहत (₹0.18 करोड़) अन्य के किराए के तहत व्यय तो पूरा करने हेतु
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ङ)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान हेतु अन्य के किराए के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.02 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(च)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान हेतु निर्देशन एवं प्रशासन के तहत अन्य के किराए के तहत (₹0.09 करोड़), बाल कल्याण के तहत अन्य के किराए के तहत (₹0.41 करोड़) व्यय को पूरा करने हेतु।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।
(छ)	वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान के लिए अन्य के किराए के तहत व्यय को पूरा करने हेतु (₹0.30 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ज)	 अन्य के किराए के तहत वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान के व्यय को पूरा करने हेतु (₹0.01 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(됒)	वाहनों को भाइे पर लेने के भुगतान के लिए अन्य के किराए के तहत निर्देशन एवं प्रशासन के तहत (₹0.03 करोड़), पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य अन्य के किराए केलिए (₹0.07 करोड़), मुर्गीपालन विकास (₹0.05 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेतु
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ट)	मुद्रण एवं प्रकाशन (₹0.06 करोड़), भू अभिलेख-दक्षिण अंडमान जिला (₹0.50 करोड़) के तहत अन्य के किराए के लिए, भू अभिलेख - उत्तर एवं मध्य अंडमान (₹0.3945 करोड़) के लिए वाहनों को भाड़े पर लेने के भुगतान के द्यय को पूरा करने हेतु।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

पूरक की मांग की जाती है।

पूरा करने हेत् (₹0.15 करोड़)।

पुरक की मांग की जाती है।

पूरक की मांग की जाती है।

पूरक की मांग की जाती है।

पुरक की मांग की जाती है।

परक की मांग की जाती है।

को पूरा करने हेत्।

पूरा करने हेत्।

पूरा करने हेत्।

करने हेत्।

करने हेत।

(ठ)

(ਤ)

(ढ)

(呵)

(त)

(왼)

आपृर्ति एवं सामग्री के तहत (₹60.53 करोड़) के तहत पावर हाउस के

प्रचालन के लिए एचएसडी तेल की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा

अनदान के राजस्व अनभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में

वाहनों को भाड़े पर लेने के भ्गतान हेत् अन्य के किराए के तहत व्यय को

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

वाहनों की खरीद के लिए मोटर वाहनों के तहत (₹0.11 करोड़) व्यय को पूरा

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए सांकेतिक

फर्नीचर और फिक्चर (₹0.0050 करोड़) के तहत फर्नीचर की खरीद के व्यय

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

फर्नीचर और फिक्चर (₹0.02 करोड़) के तहत फर्नीचर की खरीद के व्यय को

... अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

फर्नीचर और फिक्चर (₹0.13 करोड़) के तहत फर्नीचर की खरीद के व्यय को

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए सांकेतिक

रखते हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

crore) for payment towards hiring of vehicles. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting expenditure under Printing & Publication (₹ 0.06 crore), Rent for Others under Land record -South Andaman District (₹ 0.50 crore). Rent for others under Land Record -North and Middle Andaman (₹ 0.3945 crore) for payment towards hiring of vehicles. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Rent for Others under sub-head Andaman District (₹ 0.40 crore) & under sub-head North and Middle Andaman District (₹ 0.18 crore) for payment towards

Taking into account the savings available in the same section

meeting expenditure under Rent for Others (₹ 0.02 crore) for

Taking into account the savings available in the same section

meeting expenditure under Rent for Other under Direction

and Administration (₹ 0.09 crore), Rent for others under Child Welfare (₹ 0.41 crore) for payment towards hiring of vehicles. Taking into account the savings available in the same section

meeting expenditure under Rent for Other (₹ 0.30 crore) for

Taking into account the savings available in the same section

meeting expenditure under Rent for Others (₹ 0.01 crore) for

Taking into account the savings available in the same section

meeting expenditure under Rent for Other under Direction and Administration (₹ 0.03 crore). Veterinary Services and Animal Health (₹ 0.07 crore), Poultry development (₹ 0.05

of the Grant, a token supplementary is sought.

payment towards hiring of vehicles.

payment towards hiring of vehicles.

payment towards hiring of vehicles.

(₹ 60.53 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. meeting expenditure under Rent for Other (₹ 0.15 crore) for

meeting additional requirement towards procurement of HSD

oil for running of Power Houses under Supplies & Materials

payment towards hiring of vehicles. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Motor Vehicles (₹ 0.11 crore) for procurement of vehicles.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Furniture & Fixtures (₹ 0.0050 crore) for procurement of furniture.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Furniture & Fixtures (₹ 0.02 crore) for procurement of furniture.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Furniture & Fixtures (₹ 0.13 crore) for procurement of furniture.

मांग संख्या DEMAND NO 53

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये) (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

						(₹	करोड़)	(In ₹ crores)
				भारित		स्वीकृत		जॊड़
				Charged		Voted		Total
1. मूल अ	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	3	Revenue		506.87		5351.75		5858.62
पूंजी		Capital		50.00		605.00		655.00
जोड़		Total		<i>556.87</i>		5956.75		6513.62
इस समय	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the required:	amount now					
राजस्व		Revenue		7.58		93.29		100.87
पूंजी		Capital				0.01		0.01
जोड़ जोड़		Total		 7.58		93.30		100.88
जोड़ (मूल :	भीर परक्र)	Total (Original plus Supplemen	otanı)	564.45		6050.05		6614.50
राजस्व	S. (C.)	Revenue	italy)	514.45		5445.04		5959.49
पूंजी				50.00				
পুজা		Capital	00			605.01		655.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम II. This Supplementary Grants/.		s will be accounted for			Major H	
				भारित		स्वीकृत		•
				Charged		Voted		Total
राजस्व भ		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451-सचि	वालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Se	rvices			2.00	(क a)	2.00
2014-न्या	य प्रशासन	2014-Administration of Justice		7.58	(खb)	3.00	(गc)	10.58
2055-ਧ੍ਰਕਿ	स	2055-Police				45.82	(घd)	45.82
2059-लोक	न निर्माण कार्य	2059-Public Works				5.00	(ङe)	5.00
2202-साम	गन्य शिक्षा	2202-General Education				11.64	(चf)	11.64
2210-चिवि	केत्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Healt	h			16.83	(छg)	16.83
2216-आव	।सन	2216-Housing				3.00	(जh)	3.00
2401-कृषि	। कार्य	2401-Crop Husbandry				1.00	(झi)	1.00
2801-विद्		2801-Power				2.00	(टj)	2.00
_	, क परिवहन	3055-Road Transport				3.00	(ठk)	3.00
जोड़ (राजर	·	Total (Revenue Section)		7.58		93.29	` ,	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
	केत्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत	4210-Capital Outlay on Medica	l and Public			0.01	(롱)	0.01
परिव्यय	47(11 511 (515) (41) (94 1) 1011-1(1	Health	ii and i ubiic			0.01	(31)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		7.58		93.30		100.88
यह पूरक 3	भनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षि	ोत है:	The supple	mentary Grants/Appro	priations	are require	ed for:	
(क)		में वृद्धि और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क	(a)	meeting additional	expendit	ture due to	increase	in transaction
	प्रोजेक्ट के तहत आईटी पेशेवरों की	नियुक्ति के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा		charges of Sam	park Pi	roject and	appoin	tment of IT
	करने हेतु।			Professionals unde	r State V	Vide Area N	etwork F	Project.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expendi	ture will	entail cash	outgo.	-
(ख)	पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायला	य के माननीय न्यायधीशों और उनके	(b)	meeting additional	expendit	ture for payı	ment of	allowances for
,	कर्मचारियों के भते के भ्गतान के लि		. ,	the Hon'ble Judge				
	ğ	" 3		High Court.			,	,
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expendi	ture will	entail cash	outao.	
(ग)	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायल	गय के माननीय न्यायधीशों और उनके	(c)	meeting additional			-	allowances for
` '	कर्मचारियों के भत्ते के भ्गतान के लि		(-)	=				
	3	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		High Court.		01	,	
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expendi	ture will	entail cash	outao.	
(ঘ)	· ·	र्मियों को विभिन्न भत्तों के भुगतान के	(d)	meeting additional			-	ent of various
\-·/	लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हे		(~)	=				
		3		Department.	. 0.100	. 0.00111101	51101	
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expendi	ture will	entail cach	outao	
(룡)	•	ो क्षेत्रों में ट्यूबवेल का अनुरक्षण,	(e)					nce of street
(량)	गैर-आवासीय भवनों का सन्ग्रमण	विभिन्न विद्युत उपकरणों और विद्युत	(e)	=				
	उप-स्टेशनों का अनग्भण और तिर	पुत आपूर्ति की निरंतरता का अनुरक्षण						
	3 1 (3 (3 m) 3 (3 m) -1 3 (1 m)	5. 5. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		tube wells in ur	nan ar	eas, upkee	sh oi i	2.00 10.58 45.82 5.00 11.64 16.83 3.00 1.00 2.00 3.00 100.87 0.01 100.88 se in transaction intment of IT Project. f allowances for b and Haryana f allowances for b and Haryana

(h)

(i)

सहित स्ट्रीट लाइटों का अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(च) इसके लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करनाः (i) शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ में नई भर्ती जेबीटी, टीजीटी स्टाफ को भर्तो का भुगतान (₹10.00 करोड़), और (ii) सेवानिवृत लोगों के लंबित बकाया का भुगतान, अनुदान सहायता वेतन के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के नई भर्ती कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि (₹1.64 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(छ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करनाः (i) स्वास्थ्य विभाग को भुगतान (₹2.00 करोड़), (ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं, डिलीवरी किट, वैक्सीन और सर्जिकल वस्तुओं आदि की खरीद (₹10.00 करोड़), (iii) विभिन्न श्रेणियों के नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (₹2.33 करोड़), (iv) स्वास्थ्य विभाग के आयुषमान भारत योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के हिस्से के भुगतान हेतु (₹2.50 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ज) विभिन्न आवासीय भवनों का अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(झ) स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चंडीगढ़ को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ट) विभिन्न उपकरणों और सब स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण और वियुत आपूर्ति की निरंतरता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ठ) परिवहन विभाग, चंडीगढ़ के लिए लॉन्ग रूट बसों के बेड़े में 60 बसों की वृद्धि, (k) फास्ट टैग, विशेष रोड टैक्स और जीएसटी के भुगतान, वाहनों के बीमा की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि, परिमट शुल्क, प्रवेश शुल्क आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

पूरक की मांग की जाती है।

(इ) सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (I) को पूरा करने हेतु (₹28.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए सांकेतिक buildings, maintenance of various electrical equipment and power sub-stations and maintenance of continuity of power supply

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for: (i) payment of allowances to the newly recruited JBT, TGT Staff in Education Department, Chandigarh (₹ 10.00 crore), and (ii) payment of pending arrears of retirees, enhancement in the pay of newly recruited staff of Government aided colleges as Grant-in-aid salaries (₹ 1.64 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for: (i) payment to Health Department (₹ 2.00 crore), (ii) purchase of essential life savings drugs, delivery kits, vaccine and surgical items etc. for Government Medical College and Hospital (₹ 10.00 crore), (iii) payment of salaries to the newly recruited staff of various categories (₹ 2.33 crore), (iv) for payment of share of U.T. Administration under AYUSHMAN Bharat Scheme to Health Department (₹ 2.50 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for maintenance and upkeep of various residential buildings.

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for extending financial support to State Agricultural Marketing Board, Chandigarh for implementing the Swachh Bharat Mission.

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for operation and maintenance of various equipment and substations and for continuity of power supply.

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for enhancement of fleet of long route buses by 60 buses, Fast Tags, Special Road Tax and payment of GST, increase in the rates of Insurance of vehicles by 10%, payment of Permit Fee, Entry Fee etc. for Transport Department, Chandigarh.

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure for construction in Government Medical College and Hospital (₹ 28.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 54

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				97(15)	(III & CIOIES)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1637.41		1637.41
पूंजी	Capital		1016.26		1016.26
जोड़	Total		2653.67		2653.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
प्ंजी	Capital		0.07		0.07
जोड़	Total		0.10		0.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2653.77		2653.77
राजस्व	Revenue		1637.44		1637.44
पूंजी	Capital		1016.33		1016.33
•	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un				
	,	भारित	स्वीकृत		जॊड
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	•			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		0.01	(कa)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(खb)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
^ मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(घd)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(ਝe)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(चf)	0.01
परिव्यय				` ,	
4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत	4215-Capital Outlay on Water Supply and		0.01	(छg)	0.01
परिव्यय	Sanitation				
4406-वानिकी और वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	(जh)	0.01
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(झi)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism		0.01	(टj)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.07		0.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.10		0.10
•					

(b)

(c)

यह पूरक अनुदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	विभिन्न संस्थाओं अर्थात शहरी स्थानीय निकाय, योजना एवं विकास
	प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी आदि को सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय
	को पूरा करने हेतु (₹150 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
	पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों और स्वच्छता कार्य योजना
	के लिए विभिन्न संस्थाओं अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को अन्दान
	सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹3.00 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

पुरक की मांग की जाती है। औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत सब्सिडी के संवितरण और संघ

(ग) राज्य क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के तहत योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹10.00 करोड़)।

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure under Grant-in-Aid to various institutions i.e. Urban Local Bodies, Planning and Development Authority, Smart Cities etc. (₹ 150 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting additional expenditure under Grants-in-Aid to various institutions i.e. Panchayati Raj Institutions for developmental works and for swachhta action plan in Rural Areas of UT (₹ 3.00 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting additional expenditure towards disbursement of subsidies under industrial promotions Schemes and for scheme under the infrastructure development in industrial areas of UT (₹ 10.00 crore).

(d)

(e)

(g)

(h)

- (घ) पुलिस विभाग के लिए आईसीटी उपकरणों की खरीद और पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹15.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) विभिन्न सरकारी भवनों के नवीकरण, जीर्णोद्वार एवं निर्माण और सरकारी भवनों तथा सर्किट हाउसों के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹55.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

- (च) श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, नमो मेडिकल कॉलेज, आयुष अस्पताल, खानवेल में उप जिला अस्पताल, दमन में सरकारी अस्पताल, नए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (₹60.00 करोड़) से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को परा करने हेत।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (छ) पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने, दाभेल और अतियावद के तालाब को जोड़ने और विभिन्न विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹49.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक परक की मांग की जाती है।
- (ज) वन विभाग के लिए और वन एवं वन्यजीव में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹25.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (झ) विभिन्न जिला सइकों के उन्नयन और सुद्दीकरण, सइकों और पुलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और सइकों और पुलों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹50.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
- (ट) पर्यटन क्षेत्र के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹14.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए सांकेतिक

पूरक की मांग की जाती है।

- meeting additional expenditure towards purchase of ICT equipment for police department and for various construction works related to police department (₹ 15.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards renovation, restoration and construction of various government buildings and for furniture and fixtures for government buildings and circuit houses. (₹ 55.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards various construction works related to Shri Vinoba Bhave Civil Hospital, Nursing College, NAMO Medical College, Ayush Hospital, Sub District Hospital at Khanvel, Government Hospital at Daman, New Health and Wellness Centres (₹ 60.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards providing potabe water, linking of pond of Dabhel and Atiyawad and various other developmental works (₹ 49.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards purchase of ICT equipment for forest department and for various contruction works in Forest and wildlife (₹ 25.00 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards upgradation and strengthening of various District Roads, other various projects related to roads and bridges and payment of Land Acquisition related to Roads and Bridges (₹ 50.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards various development works under tourism sector (₹ 14.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 56

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये) (See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(<i>t mti5</i>)		s) (III & CIUIES)	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1199.75	1199.75	
पूंजी	Capital	***	317.10	317.10	
जोड़	Total	•••	1516.85	1516.85	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		218.90	218.90	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		218.90	218.90	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1735.75	1735.75	
राजस्व	Revenue		1418.65	1418.65	
पूंजी	Capital		317.10	317.10	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		łead:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3052-पोत परिवहन	3052-Shipping	***	218.90	218.90	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) जहाजों के संचालन एवं अन्रक्षण हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹100.84 करोड़ के अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹118.06 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

 meeting additional expenditure towards running and maintenance of ships.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 100.84 crore available in the Capital Section of the Grant, the above will entail a cash outgo of ₹ 118.06 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 57

दिल्ली को अंतरण TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\ 4)(15	/ (III \ CI OI ES/
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		968.01	968.01
पूंजी	Capital	***	200.00	200.00
जोड़	Total	***	1168.01	1168.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी जोड़	Capital		80.00	80.00
	Total		80.00	80.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1248.01	1248.01
राजस्व	Revenue	•••	968.01	968.01
पूंजी	Capital		280.00	280.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और	7602-Loans and Advances to Union Territory		80.00	80.00
अग्रिम	Governments			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र) को सहायता प्राप्त जेआईसीए ऋण एवं अग्रिमों हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

₹80 करोड़ के उपरोक्त व्यय को आर्थिक कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत से मिलान किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Loans and Advances for JICA assisted Externally Aided Project (Water Treatment Plant of Chandrawal).

The above expenditure of ₹ 80 crore will be matched by equivalent savings available in the Capital Section of Demand for Grants of the Department of Economic Affairs, hence will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				(₹ करोड़	₹) (In ₹ cro			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़			
		Charged	Voted		Total			
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:							
ज स् व	Revenue	138.13	53969.17		54107.30			
जी	Capital	50.11	31942.67		31992.78			
इ	Total	188.24	85911.84		86100.08			
प्त समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now							
क अनुमान:	required:							
जस्व	Revenue	29.65	0.04		29.69			
नी	Capital		5075.42		5075.42			
इ	Total	29.65	5075.46		5105.11			
ड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	217.89	90987.30		91205.19			
जस्व [े]	Revenue	167.78	53969.21		54136.99			
गी	Capital	50.11	37018.09		37068.20			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	भंतर्गत दिखारा जारोगाः						
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be		lowing Major Hea	de.				
	ii. This Supplementary Grants/Appropriations will be	e accounted for under the for <i>भारित</i>	स्वीकृत	us.	जॊड			
		Charged	Voted		Total			
जस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	Voted		i Otai			
ड्य शीर्ष भूक अस्तराज्य	MAJOR HEAD	20.25 (-)			00.05			
११६-आवासन	2216-Housing	<i>29.65</i> (क a)		<i>(</i>	29.65			
११७-शहरी विकास	2217-Urban Development	***	0.01	(खb)	0.01			
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01			
175-अन्य सामान्य आर्थिक	3475-Other General Economic Services		0.01	(घd)	0.01			
वाएं २०.८ —— —— ४ — >				<i>(</i> _ \				
601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(<u>ਝ</u> e)	0.01			
हायता अनुदान								
ोड़ (राजस्व भाग) • •	Total (Revenue Section)	<i>29.65</i>	0.04		29.69			
जी भाग	CAPITAL SECTION							
 छय शीर्ष	MAJOR HEAD							
216-आवासन पर पूंजीगत	4216-Capital Outlay on Housing	***	0.01	(चf)	0.01			
रेव्यय								
217-शहरी विकास पर	4217-Capital Outlay on Urban Development		4403.84	(<u>छ</u> g)	4403.84			
जीगत परिव्यय								
217-शहरी विकास संबंधी	6217-Loans for Urban Development		671.57	(जh)	671.57			
<u>ए</u> ण								
ोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	***	5075.42		5075.42			
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	<i>29.65</i>	5075.46		5105.11			
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से							
	घटाकर समायोजित किया जाता है !							
	Note: The above estimates of additional requirement	nts do not take into account t	he recoveries sho	wn below, v	which are			
	adjusted in reduction of expenditure.							
जी भाग	CAPITAL SECTION							
जी भाग	CAPITAL SECTION							
,	· · · · · · · · · · · · · · · · ·							

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

4217-शहरी विकास पर

पूंजीगत परिव्यय

राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद और राष्ट्रपति निवास, मशोबरा से संबंधित राष्ट्रपति सचिवालय के तहत चिकित्सा उपचार (₹0.05 करोड़); कार्यालय व्यय (₹0.54 करोड़); भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और कर (₹11 करोड़); अन्य के लिए किराया (₹0.05 करोड़); सामग्री और आपूर्ति (₹0.21 करोड़); लघु सिविल और वियुत कार्य (₹16.70 करोड़); मरम्मत और अनुरक्षण (₹1.10 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।

4217-Capital Outlay on Urban Development

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

a) Medical Treatment (₹ 0.05 crore); Office Expenses (₹ 0.54 crore); Rent, Rate and taxes for Land and Buildings (₹ 11 crore); Rent for Others (₹0.05 crore); Material and Supplies (₹ 0.21 crore); Minor Civil and Electric Works (₹16.70 crore); Repair and Maintenance (₹ 1.10 crore) under President's Secretariat pertaining to Rashtrapati Nilayam, Hyderabad and Rashtrapati Niwas, Mashobra.

(-)2201.92

(-)2201.92

(b)

(c)

(d)

(e)

(g)

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) एनसीआरटीसी को अनुदान के तहत मेट्रो रेल पिरयोजनाओं को अनुदान के तहत ₹140 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) के ₹159.42 करोड़ की प्रतिकूल शेष राशि का निपटान करने के लिए वस्तु शीर्ष 'अंतर लेखा अंतरण ' के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹67.02 करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) पायलट आधार पर दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के तहत भारत के आकस्मिक निधि से ₹18 करोड़ की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

(घ) दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-पायलट योजना के लिए 'कार्यालय व्यय' (₹0.50 करोड़), 'मुद्रण और प्रकाशन' (₹8 करोड़), 'विज्ञापन और प्रचार' (₹12 करोड़) और 'पेशेवर सेवाएं (₹49.77 करोड़) के उद्देश्य शीर्षों के तहत भारत के आकस्मिक निधि से स्वीकृत ₹70.27 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ङ) पायलट आधार पर दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान' के तहत भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (रैं91.73 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

(च) जीपीए-आवासीय के तहत भवनों और संरचनाएं (₹151.11 करोड़)। (f)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

(छ) मेट्रो परियोजनाओं के तहत ₹2,201.92 करोड़ का निवेश और विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ग्रीन फंड में ₹2,201.92 करोड़ का अंतर लेखा अंतरण।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वसूलियों के मिलान और अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ज) मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹ 563.57 करोड़ और एनसीआरटीसी के लिए (h) ₹108 करोड़ का 'ऋण और अग्रिम'। अनुदान के राजस्व/पूंजी अनुभाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा; Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Grants for Creation of Capital Assets - ₹67.02 crore under Grants to Metro Rail Projects ₹140 crore under Grants to NCRTC. Under Object Head 'Inter Account Transfer' to clear adverse balances of ₹159.42 crore of Rashtriya Swachhata Kosh (RSK) under Swachh Bharat Mission (SBM).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India amounting to ₹18 crore under 'Grants-in-Aid General' below Deendayal Jan Ajeevika Yojana (Shehari)- on Pilot basis.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

recoupment of advance to the tune of ₹70.27 crore sanctioned from Contingency Fund of India under the object heads 'Office Expenses' (₹0.50 crore), 'Printing & Publication' (₹8 crore), 'Advertising & Publicity' (₹12 crore) and 'Professional Services' (₹49.77 crore) for Deendayal Jan Ajeevika Yojana (Shehari)-Pilot Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India amounting to ₹91.73 crore under 'Grants-in-Aid General' below Deendayal Jan Ajeevika Yojana (Shehari)-on Pilot basis.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Buildings and Structures (₹151.11 crore) under GPA-Residential.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Investments of ₹2,201.92 crore under Metro Projects and Inter Account Transfer of ₹2,201.92 crore to Sovereign Green Fund for various Metro Projects.

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant and surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

'Loans and Advances' of ₹563.57 crore for Metro Projects and ₹108 crore for NCRTC.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(₹0.33 करोड़)।

आस्तियां ' (₹ 0.005 करोड़)।

प्रकाशन प्रभाग-'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹ 0.07 करोड़) और 'अन्य नियत

(iii)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(\$	🕈 करोड़)	(In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue	***	4303.71		4303.71
ज़ी	Capital	***	38.84		38.84
ोड़	Total	***	4342.55		4342.55
प्त समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:			
जस्व	Revenue		264.00		264.00
नी	Capital		23.03		23.03
ोड़	Total		287.03		287.03
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4629.58		4629.58
जस्व	Revenue		4567.71		4567.71
नी	Capital		61.87		61.87
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	under the following Maj <i>भारित</i> <i>Charged</i>	or Head स्वीकृत Voted		जৌड़ Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	voleu		iotai
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
थ्य साम २०५-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(कa)	0.01
220-सचना और प्रचार	2220-Information and Publicity		263.99	(नग्द) (खb)	263.99
।इ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		264.00	(46)	264.00
जी भाग	CAPITAL SECTION		_51.00		_51.00
<i>छा ।।।</i> ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	4220-Capital Outlay on Information and Publicity		23.03	(गc)	23.03
ड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	287.03	(-10)	287.03
4 (L ,)	Total (Cappionional y)	···	207.00		207.00
पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplement	ary Grants are required	d for:		
Transfer in the man drift of march of	The supplement	ary Grants are required	J 101.		

	` '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
यह पूर	क अनुदान	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The	supplem	entary Grants are required for:
(क) ``	3	सीबीएफसी के नु बस्तु शीर्ष के अंतर्गत हैं।	(a)		all regional offices of CBFC under object Head 'Rent for Others' (₹ 0.40 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र-विस्तारित वास्तविकता (एनसीओई एवीजीसी-एक्सआर) की स्थापना 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के तहत ₹391.15 करोड़ के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ।	(b)	(i)	setting up of National Centre of Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming and Comics - Extended Reality (NCoE AVGC-XR) with one time budgetary support of ₹391.15 crore under 'Grants for creation of Capital Assets'.
	(i)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर-'पेशेवर सेवाओं' के तहत वित वर्ष 2024-25 के दौरान शामिल होने के लिए मौजूदा और नए कर्मचारियों को भुगतान करना (₹7.84 करोड़)।		(ii)	Electronic Media Monitoring Centre - To make payment to existing as well as new staff to join during FY 2024-25 under 'Professional Services' (₹7.84 crore).
	(iii)	प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 'मुद्रण एवं प्रकाशन' के अंतर्गत भारत में प्रेस की डिज़ाइनिंग एवं मुद्रण के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता (रॅं0.03 करोड़)।		(iii)	Press Registrar General of India - Additional funds required for designing and printing of press in India under 'Printing and Publications' (₹0.03 crore).
		अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹ 263.99 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹263.99 crore.
(ग)	(i)	सचिवालय-'मोटर वाहन' (₹0.05 करोइ), 'मशीनरी और उपकरण' (₹0.17 करोइ), 'मूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' (₹2.00 करोइ), 'भवन और संरचना' (₹15.00 करोइ) के तहत-नया वस्तु शीर्ष खोलने का प्रस्ताव है और 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹0.38 करोइ)।	(c)	(i)	Secretariat- under 'Motor Vehicles' (₹ 0.05 crore), 'Machinery and Equipment' (₹0.17 crore), 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹ 2.00 crore), 'Buildings and Structures' (₹ 15.00 crore)-new object head is proposed to be opened and 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.38 crore).
	(ii)	प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो-'मोटर वाहन' (₹0.30 करोड़), 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' (₹2.00 करोड़) और 'फर्नीचर और फिक्स्चर'		(ii)	Press Information Bureau- 'Motor Vehicles' (₹ 0.30 crore), "Information, Computer, Telecommunication Equipment"

(₹ 2.00 crore) and 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.33 crore).

and 'Other Fixed Assets' (₹ 0.005 crore).

Publications Division - 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.07 crore)

- (iv) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड-सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.03 करोड़) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.06 करोड़)।
- (v) केंद्रीय संचार ब्यूरो-'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹0.50 करोड़)-नया वस्तु शीर्ष खोलने का प्रस्ताव है।
- (vi) भारत के प्रेस महापंजीयक 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' के तहत डिजिटल उपकरणों की खरीद के लिए (₹ 0.25 करोड़)।
- (vii) एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र-विस्तारित वास्तविकता (एनसीओई एवीजीसी-एक्सआर)-'निवेश' (₹2.40 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (iv) Central Board of Film Certification- Information, Computer Telecommunication (ICT) Equipment" (₹ 0.03 crore) and 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.06 crore).
- (v) Central Bureau of Communication 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.50 crore)- new object head is proposed to be opened.
- (vi) Press Registrar General of India 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹ 0.25 crore).
- (vii) National Centre of Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming and Comics - Extended Reality (NCoE AVGC-XR) -'Investments' (₹ 2.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

Revenue

Revenue

Revenue

Capital

Capital

Total

Capital

Total

I. ORIGINAL GRANT:

Total (Original plus Supplementary)

स्वीकृत जॉड़ Voted Total 29830 65 29830 65 403.18 403.18 30233.83 30233.83 0.03 0.03 0.03 0.03 30233.86 30233.86 29830.68 29830.68 403.18 403.18 II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

भारित स्वीकृत जॊड Voted Charged Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2701-वहत और मध्यम सिंचाई 0.01 0.01 2701-Major and Medium Irrigation (**कa**) 3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3435-Ecology and Environment 0.01 (खb) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अन्दान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (गc) 0.01 ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03

II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

(c)

Supplementary Estimate of the amount now required:

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

।. मूल अनुदान:

जोड़ (मूल और पुरक)

राजस्व

पूंजी

जोड

राजस्व

पूंजी

जोड

राजस्व

पुंजी

(i) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹35.26 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹0.22 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1.24 करोड़), (ii) राष्ट्रीय पनबिजली निगम (एनएचपीसी) के तहत सामान्य सहायता अन्दान (₹99.26 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेत् अनुदान (₹0.01 करोड़)।

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, एक सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

. कृषि अवसंरचना विकास कोष में अंतरण (₹500 करोड़)। (ख)

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् (ग) अन्दान (₹0.10 करोड़) और अन्दान (₹5194.62 करोड़ जिसमें ₹2807.69 करोड़ की सीएफआई अग्रिम की वसूली शामिल है). (ii) केन बेतवा लिंक परियोजना (₹1784.80 करोड) के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अन्दान (iii) किष अवसंरचना विकास कोष (₹500 करोड़) में अंतरण ।

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

भारित

Charged

...

...

(i) Grants-in-aid General (₹ 35.26 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.22 crore) & Grants-in-aid Salary (₹ 1.24 crore) for Polavaram Project Authority (PPA), (ii) Grants-inaid General (₹ 99.26 crore) & Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Transfer to Agriculture Infrastructure Development Fund (₹ 500 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General (₹ 0.10 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5194.62 crore including recoupment of CFI advance of ₹ 2807.69 crore) under Polavaram Irrigation Project. (ii) Grants for Creation of Capital Assets for releasing central assistance to Madhya Pradesh and Uttar Pradesh under Ken Betwa Link Project (₹ 1784.80 crore). (iii) Transfer to Agriculture Infrastructure Development Fund (₹ 500 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 64

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(1 7/1)	is / (III Clores,			
	भारित	स्वीकृत	जॊड़			
	Charged	Voted	Total			
ORIGINAL GRANT:						
evenue		22481.88	22481.88			
apital		49.59	49.59			
otal		22531.47	22531.47			
upplementary Estimate of the amount now required:						
evenue	0.68		0.68			
apital						
otal	0.68		0.68			
otal (Original plus Supplementary)	0.68	22531.47	22532.15			
evenue	0.68	22481.88	22482.56			
apital		49.59	49.59			
इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	र्न के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:						
	भारित	स्वीकृत	ऒड़			
	Charged	Voted	Total			
EVENUE SECTION						
AJOR HEAD						
30-Labour, Employment and Skill Development	0.68		0.68			
	evenue apital stal applementary Estimate of the amount now required: evenue apital stal (Original plus Supplementary) evenue apital इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष This Supplementary Grant/Appropriation will be accou	Charged ORIGINAL GRANT: evenue ipital ipplementary Estimate of the amount now required: evenue 0.68 ipital ivital 0.68 ipital 0.68 ipi	अगरित स्वीकृत Charged Voted ORIGINAL GRANT: evenue 22481.88 apital 49.59 tal 22531.47 applementary Estimate of the amount now required: evenue 0.68 tal (Original plus Supplementary) 0.68 tal (Original plus Supplementary) 0.68 22531.47 evenue 0.68 tal (The supplementary) 0.68 evenue 0.68 tal (Original plus Supplementary) 49.59 ext पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major He supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Maj			

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशानुसार लंबित देनदारियों को जारी करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (रै0.68 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

Grants-in-Aid General (₹ 0.68 crore) under the Scheme National Child Labour Project (NCLP) scheme to release pending liabilities in terms of the direction of the Hon'ble High Court, Bilaspur.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(\	47(15)	(III \ CIOIES	3/
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		5973.79		5973.79	
पूंजी	Capital		167.16		167.16	
जोड़	Total		6140.95		6140.95	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:				
राजस्व	Revenue		785.81		785.81	
पूंजी जोड़	Capital					
	Total		785.81		785.81	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6926.76		6926.76	
राजस्व	Revenue		6759.60		6759.60	
पूंजी	Capital	•••	167.16		167.16	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Majo	or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		0.17	(कa)	0.17	
2015-चुनाव	2015-Elections		785.64	(खb)	785.64	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		785.81		785.81	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भारतीय विधि संस्थान को अतिरिक्त वेतन-सहायता अनुदान (₹1.82 करोड़)
 प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹1.65 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यय में से ₹0.17 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ख) व्यवसायिक सेवाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (₹991.32 करोड़) द्वारा निर्वाचन संबंधी व्ययों पर किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹73.20 करोड़ की बचत और अनुदान के इसी भाग में ₹205.68 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त के लिए ₹712.44 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

(a) providing additional Grants-in-aid Salaries to the Indian Law Institute (₹ 1.82 cr.).

Taking into account the savings of ₹ 1.65 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.17 crore.

meeting additional expenditure under Professional Service for election related expenses incurred by State Governments/UTs (₹ 991.32 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 73.20 crore available in the Capital Section of the Grant and savings of ₹ 205.68 crore within the same Section of the Grant, the above will entail a cash outgo of ₹ 712.44 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹ 4 14,) ((In ₹ crore	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		306.06		306.06	
पूंजी	Capital		15.83		15.83	
जोड़ जोड़	Total		321.89		321.89	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	ired:				
राजस्व	Revenue	***	21.79		21.79	
पूंजी जोड़	Capital		12.08		12.08	
जोड़	Total	***	33.87		33.87	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	355.76		355.76	
राजस्व	Revenue	***	327.85		327.85	
पूंजी	Capital		27.91		27.91	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3 2015-च्नाव	2015-Elections		21.79	(कa)	21.79	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
त. मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
उ 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		12.08	(खb)	12.08	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	33.87		33.87	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹41.27 करोड़) को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹19.48 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹21.79 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ख) भवन एवं संरचना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

₹12.08 करोड़ के उपरोक्त व्यय को आर्थिक कार्य विभाग की अनुदानों की

कोई नकद व्यय नहीं होगा।

मांगों में उपलब्ध समत्ल्य बचत से मिलान किया जाएगा, इसलिए इसमें

The supplementary Grants are required for:
(a) meeting additional expenditure under Of

meeting additional expenditure under Office Expenses (₹ 41.27 crore).

Taking into account the savings of ₹ 19.48 crore available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 21.79 crore.

meeting additional expenditure under Building and Structures. The above expenditure of ₹ 12.08 crore will be matched by equivalent savings available in the Capital Section of Demand for Grants of the Department of Economic Affairs, hence will not entail any cash outgo.

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये) (See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charaed Voted Total ।.विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: राजस्व 456.54 456.54 Revenue पूंजी Capital 68.95 68.95 जोड Total 525 49 525.49 इस समय आवश्यक रकम का परक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 33.92 33.92 पुंजी 29.14 Capital 29.14 जोड़ Total 63.06 63.06 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 588.55 588.55 ... राजस्व Revenue 490.46 490.46 पूंजी Capital 98.09 98.09 II. इस प्रक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2014-न्याय प्रशासन 2014-Administration of Justice (कa) 33.92 33.92 पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत 4075-Capital Outlay on Miscellaneous General 29.14 (खb) 29.14 परिव्यय Services जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 63.06 63.06

(b)

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "वेतन" (₹6.25 करोड़); "पुरस्कार" (₹0.25 करोड़); "चिकित्सा उपचार" (₹ 4.30 करोड़); "भते" (₹18.04 करोड़); "प्रशिक्षण व्यय" (₹0.20 करोड़); "विदेश यात्रा व्यय" (₹1.00 करोड़); "मुद्रण और प्रकाशन" (₹0.24 करोड़); "डिजिटल उपकरण" (₹3.12 करोड़); "ईंधन और स्नेहक" (₹0.52 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ख) मोटर वाहन (₹2.25 करोइ), मशीनरी और उपकरण (₹0.42 करोइ), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹4.03 करोइ) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और विरासत आस्तियों और एन.ई.सी. के उन्नयन, खरीद के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहिरत ₹22.44 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति करने हेत्।

उपर्युक्त व्यय का मिलान आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों के पूंजीगत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत से किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting additional expenditure under Salaries(₹ 6.25 crore), Rewards (₹ 0.25 crore), Medical Treatment (₹ 4.30 crore), Allowances (₹ 18.04 crore), Training Expenses (₹ 0.20 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 1.00 crore), Printing and Publication(₹ 0.24 crore), Digital Equipment (₹ 3.12 crore) and Fuels and Lubricants (₹ 0.52 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure under Motor Vehicles (₹ 2.25 crore), Machinery and Equipment (₹ 0.42 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 4.03 crore) and to re-coup the advance of ₹ 22.44 crore drawn from the Contingency Fund of India to meet additional expenditure under Upgradation, Procurement of Heritage Assets and n.e.c.

The above expenditure will be matched by equivalent savings available in the Capital Section of Demand for Grants of the Department of Economic Affairs and hence will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total ।. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 21549 87 21549 87 पूंजी Capital 588.08 588.08 ... जोड़ Total 22137.95 22137.95 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पंजी 0.99 Capital 0.99 जोड़ Total 1.00 1.00 ... जोड़ (मूल और पूरक) 22138.95 Total (Original plus Supplementary) 22138.95 ... राजस्व 21549.88 21549.88 Revenue ... पूंजी 589.07 589.07 Capital ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2851-ग्राम एवं लघ् उद्योग 2851-Village and Small Industries 0.01 (कa) 0.01 पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4851-ग्राम एवं लघ् उद्योगों पर पूंजीगत 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries (खh) 0.99 0.99 परिव्यय जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 1.00 1.00

(b)

पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत सब्सिडी (रै597.16 करोड़) (ii) नये प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों (हब एंड स्पॉक) की स्थापना योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (रै3.50 करोड़), (iii) एमएसएमई चैम्पियन घटक में सामान्य सहायता अनुदान (रै54.19 करोड़) और एमएसएमई निष्पादन को बढ़ाना एवं इसमें तीव्रता (आरएएमपी) योजना के तहत खरीद एवं विपणन सहायता घटक में सामान्य सहायता अनुदान (रै10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ख) अवसंरचना स्थापना डीसी (एमएसएमई) के तहत भवन और अवसंरचना (रै0.99 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा

The supplementary Grants are required for:

(i) Subsidies(₹ 597.16 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (ii) Grant in Aid General (₹ 3.50 crore) under the scheme Establishment of New Technology Centres/Extension Centres (Hub & Spoke), (iii) Grant in Aid General (₹ 54.19 crore) in MSME Champion component and Grant in Aid General (₹ 10.00 crore) in Procurement and Marketing Support component under the scheme Raising and Accelerating MSMEs Performance (RAMP)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Building and Structures(₹ 0.99 crore) under Infrastructure Establishment DC (MSME).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹	" करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2295.14		2295.14
पूंजी	Capital		45.92		45.92
जोड़	Total		2341.06		2341.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		1191.70		1191.70
पूंजी	Capital		0.24		0.24
जोड़	Total		1191.94		1191.94
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3533.00		3533.00
राजस्व	Revenue		3486.84		3486.84
पूंजी	Capital		46.16		46.16
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेग	T:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	***	10.99	(क a)	10.99
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries		1180.71	(खb)	1180.71
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1191.70		1191.70
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.24	(गc)	0.24
परिव्यय	Services				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1191.94		1191.94

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: (क) खान मंत्रालय के सचिवालय (मुख्य) की स्थापना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹9.09 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.20 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.60 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.70 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.20 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹0.20 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में ₹10.99 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के तहत (i) मरम्मत और अनुरक्षण (₹110.92 करोड़), मजदूरी (₹3.00 करोड़), व्यवसायिक सेवाएं (₹0.25 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹0.23 करोड़), (ii) राष्ट्रीय खनिज पुरस्कारों के तहत अवार्ड एवं पुरस्कार (₹0.30 करोड़) (iii) भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) के सार्वजनिक कोष में निधि अंतरण के लिए अंतर लेखा अंतरण (₹1066.00 करोड़), (iv) व्यवसायिक सेवाएं (₹0.005 करोड़), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.005 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में ₹1180.71 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) खान मंत्रालय के सचिवालय मुख्य के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार(आईसीटी) उपकरण (₹0.14 करोइ), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.10 करोइ)।

आर्थिक कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹0.24 करोड़ की अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

Professional Services (₹ 9.09 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.20 crore), Office Expenses (₹ 0.60 crore), Advertising and Publicity (₹ . 0.70 crore), Digital Equipment (₹ 0.20 crore), Rent for Others (₹ 0.20 crore) under Establishment of Secretariat Proper of Ministry of Mines The above expenditure will entail a net cash outgo amounting

to ₹10.99 crore;
(i)Repair and Maintenance (₹110.92 crore), Wages (₹ 3.00 crore), Professional Services(₹ 0.25 crore), Other Revenue Expenditure(₹ 0.23 crore) under Geological Survey of

Expenditure(₹ 0.23 crore) under Geological Survey of India(GSI), (ii) Awards and Prizes (₹ 0.30 crore) under National Mineral Awards, (iii) Inter Account Transfer (₹ 1066.00 crore) for transfer of funds from Consolidated Fund of India(CFI) to public fund of National Mineral Exploration Trust (NMET), (iv) Professional Services (₹ 0.005 crore), Grants-In-Aid General (₹ 0.005 crore) crores under National Critical Mineral Mission

The above expenditure will entail a net cash outgo amounting to ₹ 1180.71 crore;

Information, Computer Telecommunication (ICT) equipment (₹ 0.14 crore), Furniture and Fixtures (₹ 0.10 crore) under Secretariat Proper of Ministry of Mines

Taking into account the surrender of savings amounting to ₹ 0.24 crore available in the Capital Section of Demand for Grants of Department of Economic Affairs , the same will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			((III CIUIES)			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		32608.90	32608.90			
पूंजी	Capital	***	17.45	17.45			
जोड़	Total		32626.35	32626.35			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01			
पूंजी	Capital						
जोड़	Total		0.01	0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		32626.36	32626.36			
राजस्व	Revenue		32608.91	32608.91			
पूंजी	Capital		17.45	17.45			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	जंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	***	0.01	0.01			

यह पूरक अनुदान निम्नितिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) पीएम- सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित किए गए ₹100 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति (ii) सौर ऊर्जा (ऑफ ग्रिड) योजना के अंतर्गत 'पीएम-जनमन' के लिए 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के लिए ₹35 करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) ₹ 100 crore being re-coupment of advance withdrawn from the Contingency Fund of India for meeting expenditure under PM - Surya Ghar Muft Bijli Yojana; and (ii) ₹ 35 crore towards 'grants for creation of capital assets' for 'PM-JANMAN' under Solar Power (off Grid) scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 73

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		59.70	59.70
पूंजी	Capital		4.30	4.30
जोड़	Total		64.00	64.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी जो ड़	Capital		2.06	2.06
	Total		2.06	2.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		66.06	66.06
राजस्व	Revenue		59.70	59.70
पूंजी	Capital		6.36	6.36
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		2.06	2.06

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्पलीकेशन (नेवा) की मेजबानी के लिए आईसीटी उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत।

₹2.06 करोड़ के उपरोक्त व्यय को अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹1.30 करोड़ की अभ्यर्पित बचत और आर्थिक कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों में उपलब्ध ₹0.76 करोड़ की बचत से मिलान किया जाएगा। इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under ICT Equipment for hosting National eVidhan Application (NeVA) for Digital Legislatures .

The above expenditure of $\ref{thmoson}$ 2.06 crore will be matched by surrender of savings of $\ref{thmoson}$ 1.30 crore available in the Revenue Section of the Grant and savings of $\ref{thmoson}$ 0.76 crore available in the Capital Section of Demand for Grants of the Department of Economic Affairs. Hence this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

भारित

entail a cash outgo of ₹3.00 crore.

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये) (See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

				भारत	स्वाकृत		जाड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		18.35	2034.28		2052.63
पूंजी		Capital		17.02	258.91		275.93
जोड़		Total		35.37	2293.19		2328.56
•	ावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am	ount now	00.07	2200.10		2020.00
Q(1 (101 4 51	14(44) (4)01 40 1(4) 310301101.	required:	iount now				
राजस्व		Revenue		5.83	239.52		245.35
पूंजी				28.50	0.01		28.51
^{नूजा} जोड़		Capital		34.33	239.53		273.86
•	h	Total	۸		2532.72		
जोड़ (मूल औ	ार पूरक)	Total (Original plus Supplementary	")	69.70	2332.72		2602.42
राजस्व		Revenue		24.18			2297.98
पूंजी		Capital	_	45.52	258.92		304.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निल					
		II. This Supplementary Grants/App	ropriations			ajor Head	s:
				भारित	स्वीकृत		जौड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	ालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	3		24.30	(क a)	24.30
2051-लोक र	सेवा आयोग	2051-Public Service Commission			163.78	(खb)	163.78
2055-पुलिस	г	2055-Police			27.20	(गc)	27.20
2062-संतर्क		2062-Vigilance		<i>5.83</i> (E	īd)		5.83
2070-अन्य	प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Service	s		24.24	(롱e)	24.24
जोड़ (राजस्व		Total (Revenue Section)		<i>5.83</i>	239.52	. ,	245.35
पूंजी भाग	•	CAPITAL SECTION					
^ मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	निर्माण कार्यो पर पूंजीगत	4059-Capital Outlay on Public Wo	·ks	<i>28.50</i> (³	यf) 0.01	(<u>छ</u> g)	28.51
परिव्यय	ista i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1000 Capital Callay Cit i abilo 1101	NO .	20.00 (-11) 0.01	(0,9)	20.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		34.33	239.53		273.86
यह परक भन	नुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु ३	नपेक्षित है:	The sun	olementary Grants/Appropria	tions are require	ed for:	
(क)		आरपीजी विभाग के किराया, दरें एवं कर -	(a)	Rent, rates and Taxes	-		0 00 crore and
(1.)		5.00 करोड़। सामान्य सहायता अनुदान के	(α)	₹15.00 crore for D/o		-	
	अंर्तगत ₹0.30 करोड़।			₹0.30 crore under GIA-		O AIN C	respectively
	•	पलब्ध अभ्यार्पित बचत को ध्यान में रखते				savinas a	wailable in the
	हुए, उपरोक्त व्यय में ₹24.00 क			Taking into account the		_	
	हुर, उपरात ज्यय म र24.00 फ	राइ का नकद व्यय हाणा।		Capital Section of the		e expend	iture will entai
(Tar\)		गयिक सेवाएं - ₹163.78 करोड़।	41.	a cash outgo of ₹24.00			100.70
(ख)	कमचारा चयन आयाग - व्यावर	नायक सवार - र 163.78 कराड़।	(b)	Staff Selection Commi	ssion- Professi	onal Serv	vices- ₹163.78
		_,		crore			
()	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होग			The above expenditure		_	
(ग)	डाटाई के तहत साबाआई - रे6.	82 करोड़, भूमि और भवनों के लिए किराया,	(c)	CBI under DTE - ₹6.			
	दरें और कर - ₹9.45 करोड़ और	मत - राग.७३ कराइ।		Land and Buildings -	₹9.45 crore an	d Allowa	nces - ₹10.93
		~ · · · · ·		crore.			
		लब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए,		Taking into account th	e surrender of s	savings a	vailable in the
	उपरोक्त व्यय में ₹6.82 करोड़ क	ज नकद टयय होगा।		Capital Section of the	Grant, the ab	ove expe	enditure would
				entail a cash outgo of	6.82 crore.		
(ঘ)	लोकपाल (प्रभारित) - भूमि और	भवनों के लिए किराया, दरें और कर - ₹3.00	(d)	Lokpal (Charged) - R	ent, Rates and	d Taxes	for Land and
		ते - ₹1.08 करोड़, अवकाश यात्रा रियायत -		Buildings - ₹3.00 cror	e, Salaries- ₹1	.50 crore	e, Allowances
	₹0.10 करोड़ तथा मरम्मत अ	ौर रखरखाव - ₹0.15 करोड़।		₹1.08 crore, Leave	Fravel Concess	ion- ₹0.	10 crore and
				Repair & Maintenance-	₹0.15 crore.		
		पलब्ध अभ्यार्पित बचत को ध्यान में रखते		Taking into account th	e surrender of s	savings a	vailable in the
	हुए, उपरोक्त व्यय में ₹3.00 कर			Capital Section of the	Grant, the ab	ove expe	enditure would
	~			ontail a cash outgo of			

(e)

(f)

(g)

(ङ) राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम - जीआईए सामान्य सहायता अनुदान- ₹8.96 करोड़, विशेष प्रयोजन तंत्र - राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम - सामान्य सहायता अनुदान - ₹12.53 करोड़, विशेष प्रयोजन तंत्र- राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम — वेतन सहायता अनुदान - ₹2.75 करोड़। एआरपीजी विभाग लोक शिकायत निवारण के लिए व्यापक प्रणाली - कार्यालय व्यय की योजना के लिए नए शीर्ष के तहत ₹0.50 करोड़ का प्रावधान।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में ₹21.49 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(च) लोकपाल के लिए भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण - ₹28.50 करोड़।

आर्थिक कार्य विभाग के भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) लोक शिकायत निवारण के लिए व्यापक प्रणाली के अंतर्गत खोले गए नए शीर्ष - सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण - के लिए ₹0.10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। एलबीएसएनएए - अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन - केंद्रीय क्षेत्र योजना - के लिए ₹45.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

World Bank Assistance for National Programme for Civil Servcies & Capacity Building- GIA General- ₹8.96 crore, Special Purpose Vehicle- National Programme for Civil Services & Capacity Building- GIA General- ₹12.53 crore, Special Purpose Vehicle- National Programme for Civil Services & Capacity Building- GIA Salaries- ₹2.75 crore. For making a provision of ₹0.50 crore under new head for scheme of D/o ARPG - Comprehensive system for Redressal of Public Grievances- Office Expenses.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilizing the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹21.49 crore.

Acquisition of land & construction of building for Lokpal-₹28.50 crore

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Department of Economic Affairs, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; newly opened head under Comprehensive System for Redressal of Public Grievances- Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment- for making an additional provision of ₹0.10 crore. Also for LBSNAA-Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities- Central Sector scheme- for making an additional provision of ₹45.46 crore.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 76

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

				(₹ करांड़	₹) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ा । जस्व	Revenue		14801.29		14801.29
जी	Capital		1128.97		1128.97
गेड़	Total	***	15930.26		15930.26
स समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
ानुमान:	required:				
जस्व -	Revenue		1225.55		1225.55
ज़ी	Capital		807.92		807.92
ोड़	Total	•••	2033.47		2033.47
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		17963.73		17963.73
ाज स् व	Revenue		16026.84		16026.84
जी	Capital		1936.89		1936.89
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		1225.55	(कa)	1225.55
ंजी भाग	CAPITAL SECTION				
` एडय शीर्ष	MAJOR HEAD				
802-पेट्रोलियम पर पूंजीगत	4802-Capital Outlay on Petroleum		807.91	(खb)	807.91
रिव्यय				(- /	
475-अन्य सामान्य आर्थिक	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.01	(गc)	0.01
वाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Services				
गेड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		807.92		807.92
गोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		2033.47		2033.47
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों मे	नीचे दर्शाई गयी वसूलि	यों को शामिल नहीं वि	क्रेया गया है 1	जेन्हें व्यय में
	से घटाकर समायोजित किया जाता है!				
	Note: The above estimates of additional requirements	do not take into accoi	unt the recoveries	shown be	low, which
	are adjusted in reduction of expenditure.				
ांजी भाग	CAPITAL SECTION				
`. ज़ी भाग	CAPITAL SECTION				
 802-पेट्रोलियम पर प्रंजीगत	4802-Capital Outlay on Petroleum		(-)807.91		(-)807.91
002-न्ट्रास्त्रम् नर न्ट्रानरा रिट्यय	1002 Supital Sullay Off I Choloum		()007.91		()001.31

d for:
enditure of ₹ 1225.55 crore towards
nection to Poor Households';
ngs available under capital section of
a net cash outgo of ₹ 437.44 crore.
enditure of ₹ 807.91 crore towards
od issue of bonus shares in favour of
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
sumed with matching Miscellaneous
dditional cash outgo.
7.89 crore for expenditure on Other
Secretariat Expenditure.
savings available in the same section
plementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 77

योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(, ,		(III CIOIC	=3/
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		818.30		818.30	
पूंजी	Capital		18.96		18.96	
जोड़	Total		837.26		837.26	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		163.77		163.77	
पूंजी जोड़	Capital					
जोड़	Total	***	163.77		163.77	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	1001.03		1001.03	
राजस्व	Revenue		982.07		982.07	
पूंजी	Capital	•••	18.96		18.96	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc	der the following Majo	or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(क a)	0.01	
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		163.76	(खb)	163.76	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		163.77		163.77	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 कन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन के लिए एजेंसियों को भाडे पर लेने हेतु व्यवसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (₹16.06 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

- (ख) (i) स्टेंट सपोर्ट मिशन (₹5 करोड़) के तहत विकसित भारत रणनीति कक्ष (वीबीएसआर) की स्थापना की अतिरिक्त सामान्य-सहायता-अनुदान हेतु।
 - एनआईएलईआरडी कैम्पस (₹6.5 करोड़) के विकास और रखरखाव के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान।
 - (iii) निम्निलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)' योजना के तहत (क) प्रशिक्षण व्यय (₹ 20.00 करोड़), (ख) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 10.00 करोड़), (ग) विदेश यात्रा व्यय (₹ 2.00 करोड़), (घ) कार्यालय व्यय (₹ 15.00 करोड़), (ड) मुद्रण एवं प्रकाशन (₹ 2.00 करोड़), (च) विज्ञापन और प्रचार (₹ 3.00 करोड़), (छ) पेशेवर सेवाएँ (₹ 10.00 करोड़) और (ज) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 350.00 करोड़)।

अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय ₹163.76 करोड़ शामिल होगा। The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Professional Services for hiring of agencies for conducting evaluation study of Centrally Sponsored Schemes (₹16.06 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) providing additional Grants-in-aid -General for installation of Viksit Bharat Strategy Room (VBSR) under the Scheme State Support Mission (₹5 crore)
 - providing additional Grants Grants for creation of Capital Assets for development and maintenance of NILERD campus (₹6.5 crore)
 - (iii) meeting additional expenditure towards (a) Training expenses (₹20.00 crore), (b) Domestic Travel Expenses (₹10.00 crore), (c) Foreign Travel Expenses (₹2.00 crore), (d) Office Expenses (₹15.00 crore), (e) Printing and Publication (₹ 2.00 crore), (f) Advertising and Publicity (₹ 3.00 crore), (g) Professional services (₹ 10.00 crore) and (h) Grants-in Aid General (Rs 350.00 crore)under the Scheme 'Aspirational Blocks Programme (ABP)'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 163.76 crore

मांग संख्या DEMAND NO 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

प्राधिकरण के लिए निवेश (₹86.00 करोड़)।

नकद व्यय नहीं होगा।

₹86.00 करोड़ का उपरोक्त व्यय मांग सं. 30-डीईए की अनुदान मांग के

प्ंजीगत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत के समान होगा, इसलिए इसमें कोई

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

Capital Outlay on North Eastern Areas (₹ 86.00 crore).

not entail any cash outgo.

The above expenditure of $\stackrel{?}{\scriptstyle{\sim}}$ 86.00 crore will be matched by

the equivalent savings available in Capital Section of the

Demand for Grants of the Demand No.30-DEA, hence it will

					(₹	* 4√15)	(In ₹ crores,
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुद	गन:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			1749.56		1749.56
पूंजी		Capital			1202.93		1202.93
जोड़		Total			2952.49		2952.49
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the required:	e amount no	w			
राजस्व		Revenue			216.59		216.59
पूंजी		Capital			264.46		264.46
जोड़		Total			481.05		481.05
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Suppleme	ntary)		3433.54		3433.54
राजस्व		Revenue			1966.15		1966.15
पूंजी		Capital			1467.39		1467.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निव	म्नलिखित मुख	च्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा			
		II. This Supplementary Grants					
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	τ	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2 852-उद्योग		2852-Industries			50.00	(कa)	50.00
3051-बंदरगा	ह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses			154.00	(खb)	154.00
3052-पोत पी		3052-Shipping			12.59	(गc)	12.59
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)			216.59	. ,	216.59
पूंजी भाग	•	CAPITAL SECTION					
^ मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North	Eastern Area	as	86.00	(घd)	86.00
	रेवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shippi			14.13	(ङe)	14.13
	ोय जल परिवहन पर पूंजीगत	5056-Capital Outlay on Inland	-		17.61	(चf)	17.61
परिव्यय		,		•		, ,	
	ह और प्रकाश स्तंभों के लिए ऋण	7051-Loans for Ports and Ligh	nt Houses		146.72	(छg)	146.72
जोड़ (पूंजी भा	ग)	Total (Capital Section)			264.46		264.46
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		···	481.05		481.05
यह परक अन	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppl	lementary Grants are required	for:		
(क)	सभी भारतीय शिपयाडों को वितीय	सहायता के तहत सब्सिडी (₹50.00	(a)	Subsidies under Financia		to all Inc	lian Shinyards
()	करोड़)।		(ω)	(₹ 50.00 crore).	· acciotarios		a opya.ao
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल ह			The above expenditure wi	Il entail a cas	h outgo.	
(ख)		सेवाएं (₹9.00 करोड़), (ii) श्यामा प्रसाद	(b)	(i) Professional Services	under Sagarı	mala (₹ 9	9.00 crore). (ii)
		चैनल में रखरखाव और ड्रेजिंग के तहत		Subsidies under Maintena	ance & Dred	ging in H	laldia Channel
	सब्सिडी (₹27.47 करोड़), (iii) श्या	मा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता और		by Syama Prasad Mooke	erjee Port, K	olkata (₹	27.47 crore),
	हाल्दया चनल द्वारा हुगला नदा आर ह	हिल्दया चैनल की ड्रेजिंग और रखरखाव		(iii) Subsidies under Rive			
	के तहत सब्सिडी (₹1ँ17.53 करोड़)।			Hooghly and Haldia Cha	nnel by Sya	ma Pras	ad Mookerjee
				Port, Kolkata and Haldia (Channel (₹ 11	17.53 cro	re).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल ह			The above expenditure wi		-	
(ग)		न सामान्य सहायता अनुदान (₹12.59	(c)	(i) Grants-in-aid General		-	
		धविद्यालय के तहत सामान्य सहायता		(₹ 12.59 crore). (ii) G		General	under Indian
	अनुदान (₹1.00 करोड़)।			Maritime University (₹ 1.0			
		त को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹12.59		Taking into account the			
	करोड़ का नकद व्यय होगा।			section of the Grant, this	will entail a	cash ou	tgo of ₹ 12.59
(TT)		+ ann An >	(-1)	crore.	-4	Ale = 27	- F 1
(ঘ)	पूर्वातर क्षत्रा पर पूजागत पारव्यय	के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग	(d)	Investment for Inland W	aterways At	itnority c	ot india under

(e)

(ङ) (i) नौवहन महानिदेशालय के अधीन अवसंरचनात्मक आस्तियां (रै14.13 करोड़), (ii) नौवहन महानिदेशालय के अधीन अवसंरचनात्मक आस्तियां (रै2.80 करोड़)।

₹14.13 करोड़ के उपरोक्त व्यय की मांग सं. 30-डीईए की अनुदानों की मांग के पूंजीगत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत के समान होगा, तथा ₹2.80 करोड़ का व्यय अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत से पूरा किया जाएगा इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(च) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत निवेश (₹17.61 करोड़)।

₹17.61 करोड़ का उपरोक्त व्यय मांग सं. 30-डीईए की अनुदान मांग के पूंजीगत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत के समान होगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

 (छ) पोर्ट और लाइट हाउस के लिए चैन्नई पोर्ट प्राधिकरण के तहत ऋण और अग्रिम (₹146.72 करोइ)।

₹146.72 करोड़ का उपरोक्त व्यय मांग सं. 30-डीईए की अनुदान मांग के पूंजीगत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत के समान होगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(i) Infrastructural Assets under Directorate General of Shipping (₹ 14.13 crore). (ii) Infrastructural Assets under Directorate General of Shipping (₹ 2.80 crore).

The above expenditure of ₹ 14.13 crore will be matched by the equivalent savings available in Capital Section of the Demand for Grants of the Demand No.30-DEA, and expenditure of ₹ 2.80 crore will be met by the savings available in the same Section of the Grant, hence it will not entail any cash outgo.

Investment under Inland Waterways Authority of India (₹ 17.61 crore).

The above expenditure of ₹ 17.61 crore will be matched by the equivalent savings available in Capital Section of the Demand for Grants of the Demand No.30-DEA, hence it will not entail any cash outgo.

Loans and Advances under Chennai Port Authority for Ports and Light Houses (₹ 146.72 crore).

The above expenditure of ₹ 146.72 crore will be matched by the equivalent savings available in Capital Section of the Demand for Grants of the Demand No.30-DEA, hence it will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये) (See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(1 4)(1	\$ / (III \ CI OI C S)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		20700.50		20700.50
पूंजी	Capital	***	1086.50		1086.50
जोड़	Total		21787.00		21787.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		1518.30		1518.30
जोड़	Total	•••	1518.32		1518.32
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		23305.32		23305.32
राजस्व	Revenue		20700.52		20700.52
पूंजी	Capital		2604.80		2604.80
``	॥. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		or Head		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	भारित	स्वीकृत		ਗੋਤ
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2801-विय्त	2801-Power		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	(-/	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
^ म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर	4801-Capital Outlay on Power Projects		1518.30	(गc)	1518.30
पूंजीगत परिव्यय	capital canaly and an experience			(1-)	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1518.32		1518.32
		ों में नीचे दर्शाई गयी वस्लि	यों को शामिल नहीं कि	ज्या गया है जि	नेन्हें व्यय में से
	Note: The above estimates of additional requiremen	ts do not take into acco	unt the recoveries	shown belo	ow, which are
	adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		(-)1518.30		(-)1518.30

(b)

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सिचवालय व्यय के तहत "सहायता सामग्री और उपकरण" के रूप में ₹0.83 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांगा की जाती है।

 (ख) "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत 'पूंजीगत आस्त्तियों के सुजन हेत् अनुदान' के लिए ₹4.22 करोड़।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है।

(ग) निम्नलिखित के अन्य व्यय को पूरा करने के लिए (i) भारत सरकार (पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से ₹369.58 करोड़ और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ₹1148.72 करोड़) के पक्ष में बोनस शेयरों (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) के पूर्व अविध निर्गमन के समायोजन के लिए ₹1518.30 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना । इसे विविध पूंजी प्राप्तियों के मिलान से स्वीकृत किया जाएगा और इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।; और (ii)सचिवालय व्यय के अंतर्गत "अन्य पूंजीगत व्यय" के लिए ₹4.25 करोड़

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

 meeting additional expenditure worth ₹ 0.83 crore as 'Aid Material and Equipment' under Secretariat Expenditure.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

₹ 4.22 crore towards 'grants for creation of capital assets' under 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure of (i) ₹ 1518.30 crore towards adjustment of prior period for issue of bonus shares (for FY 2023-24) in favour of Government of India (₹ 369.58 crore by Power Finance Corporation Ltd and ₹ 1148.72 crore by Power Grid Corporation of India Ltd). This will be assumed with matching Miscellaneous Capital Receipts and will not entail any additional cash outgo. ; and (ii) ₹ 4.25 crore for other capital expenditure under Secretariat Expenditure

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 80 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारियों, गृह प्रबंधन और भत्ते STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	108.09		108.09
पूंजी	Capital	36.09		36.09
जोड़	Total	144.18		144.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	10.21		10.21
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	10.21		10.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>154.39</i>		154.39
राजस्व	Revenue	118.30		118.30
पूंजी	Capital	36.09		36.09
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	वाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for und		Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	10.21		10.21

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कार्यालय व्यय (₹4.66 करोइ), मुद्रण और प्रकाशन (₹0.05 करोइ), व्यावसायिक सेवाएं (₹1.94 करोइ), डिजिटल उपकरण (₹0.63 करोइ), वेतन (₹1.01 करोइ), चिकित्सा उपचार (₹0.05 करोइ), भ्रते (₹0.82 करोइ), सामग्री और आपूर्ति (₹0.10 करोइ) और अन्य राजस्व व्यय (₹0.95 करोइ) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Office Expenses (₹ 4.66 crore), Printing & Publication (₹ 0.05 crore), Professional Services (₹ 1.94 crore), Digital Equipment (₹ 0.63 crore), Salaries (₹ 1.01 crore), Medical Treatment (₹ 0.05 crore), Allowances (₹ 0.82 crore), Materials & Supplies (₹ 0.10 crore) and Other Revenue Expenditure (₹ 0.95 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 81

लोक सभा LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Total Charged Voted l. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 1.56 781.21 782.77 पूंजी Capital 79.23 79.23 जोड Total 1 56 860.44 862.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 10.00 10.00 पूंजी Capital जोड़ Total 10.00 10.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1.56 870.44 872.00 राजस्व 791.21 792.77 Revenue 1.56 पूंजी Capital 79.23 79.23 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल 2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures 10.00 10.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

भते (₹3 करोड़), कार्यालय व्यय (₹3 करोड़) तथा मरम्मत और रखरखाव (₹4 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Allowances (₹ 3 crore), Office Expenses (₹ 3 crore) and Repair and Maintenance (₹ 4 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 83

उप-राष्ट्रपति सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये) (See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		11.30	11.30
पूंजी	Capital		0.31	0.31
जोड़	Total		11.61	11.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		1.38	1.38
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1.38	1.38
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		12.99	12.99
राजस्व	Revenue		12.68	12.68
पूंजी	Capital		0.31	0.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for		ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories		1.38	1.38

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कार्यालय व्यय (रै1.00 करोड़), इंधन और स्नेहक (रै0.13 करोड़) तथा मरम्मत और रखरखाव (रै0.25 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Office Expenses (₹ 1.00 crore), Fuel and Lubricants (₹ 0.13 crore) and Repair and Maintenance (₹ 0.25 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

संख्या NO. 84 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये) (See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			1 1 1 1 7	, ,,,,,,
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोगः	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	404.17		404.17
पूंजी	Capital	21.54		21.54
जोड़	Total	<i>425.71</i>		425.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue	1.91		1.91
प्ंजी जोड़	Capital			•••
जोड़	Total	1.91		1.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	427.62		427.62
राजस्व	Revenue	406.08		406.08
पूंजी	Capital	21.54		21.54
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष व	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accour		Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	1.91		1.91

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:
meeting additional administrative expenditure.
The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105-106 देखिये)

(See page 105-106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

					भारित		<i>(र</i> स्वीकृत	कराइ)	(In ₹ crore जॉड़
					Charged		Voted		Total
. मूल अन्	दान:	I. ORIGINAL GRANT:			-				
जस्व ं		Revenue			454.79	3	50040.22	3	50495.01
जी		Capital			459.97	4	38863.57	4	39323.54
ोड़		Total			914.76	7	88903.79	7	89818.55
सं समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am required:	ount nov	′					
जस्व		Revenue			119.51				119.51
जी		Capital			642.92		377.30		1020.22
ोड		Total			762.43		377.30		1139.73
ोड़ (मूल औ	र परक)	Total (Original plus Supplementary	()		1677.19	7	89281.09	7	90958.28
जस्व [°]	~ /	Revenue	•		<i>574.30</i>		50040.22		50614.52
जी		Capital			1102.89		39240.87		40343.76
OI I		•		- 0 0-1			33240.07	7	-100-10.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि II. This Supplementary Grants/App	•		be accounted for			or Heads	
					भारित		स्वीकृत		जोड़
					Charged		Voted		Total
<i>जस्व भाव</i> ख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD			440.00	(- -)			440.00
चालन ट्यय	य रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य I य रेलवे-सामरिक लाइन-कार्य	3002-Indian Railways - Commercia Working Expenses		•	118.00	(कa)	•••		118.00
चालन व्यय	ī	3003-Indian Railways - Strategic L Working Expenses	ines -		1.51	(खb)	•••		1.51
ड़ (राजस्व <i>जी भाग</i>	भाग)	Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	APITAL SECTION	<i>119.51</i> 11			119.51		
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			242.22	(-)			
	य रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर	5002-Capital Outlay on Indian Rail	ways -		642.92	(गc)	377.30 (घd)	1020.22
जीगत परिव	ज्यय ज्या	Commercial Lines							
ोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			762.43		377.30		1139.73
ह पूरक अनु	दाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अप		The su	ıpplem	nentary Grants/A	ppropriatio	ns are require	d for:	
ਨ)	हेतु।	। 8 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	(a)		meeting additi towards Court	•	nditure of ₹ 1	18 crore	for paymen
	₹118 करोड़ की तकनीकी पूरक व				Taking into a section, techni		-		
ब)	हेतु।	ा करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	(b)		meeting addition towards Court		diture of ₹ 1.5	1 crore t	for payment
	की तकनीकी पूरक की मांग की ग				Taking into a section, techni	cal supple	mentary of ₹ 1	.51 crore	e is sought.
Γ)	के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने		(c)		meeting additi payment arisin	ng out of C	ourt Decrees;		
	स्वाकृत पूजा माग म उपलब्ध ब की तकनीकी पूरक की मांग की	चत को ध्यान में रखते हुए ₹642.92 करोड़ जाती है।			Taking into a section, techr sought.				
I) (i)	किए गए बोनस शेयर (₹2016- करोड़ और 2024-25 में ₹173	इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) द्रारा जारी 17 में ₹100 करोड़, 2019-20 में ₹43.70 .50 करोड़) और मैसर्स क्टेनर कार्यरेशन	(d)	(i)	meeting additi adjustment of Technical and	Bonus S Economic	hares issued Services (RI	by M/s TES)(₹	s. Rail India 100 crore ii
		r) द्वारा जारी बोनस शेयर (₹2017-18 में में ₹33.39 करोड़) के समायोजन हेतु य को पूरा करने हेतु।			2016-17, ₹ 43 2024-25) and (CONCOR) (₹ 2018-19);	M/s. Cont	ainer Corpora	tion of I	ndia Limite
(ii)		के लिए डीजल लोको शेड की अवसंरचना अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		(ii)	meeting additi	up-gradati	on of diesel lo		
(iii)	प्रत्येक 8 डिब्बे का 2 ट्रेनसेट अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्	मानक गेज की खरीद हेतु ₹867 करोड़ के नु।		(iii)	meeting addit Procurement	ional expe of Standa	enditure of ₹		

coaches each.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹996.43 करोड़ के बचत और रेलवे सीपीएसयू द्वारा जारी बोनस शेयरों के लिए स्वीकृत ₹377.30 करोड़ के समतुत्य पूंजी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए ₹377.30 करोड़ की तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account savings of ₹ 996.43 crore available in the same section of the grant and equivalent capital receipts of ₹ 377.30 crore assumed against issue of Bonus Shares by Railways CPSUs , a technical supplementary of ₹ 377.30 crore is sought. This will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- /	(₹ करें	ीड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	•	, , , ভাই
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	· ·			
र राजस्व	Revenue		17390.70		17390.70
पूंजी	Capital	5.00	339652.30		339657.30
जोड़	Total	5.00	357043.00		357048.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		4556.89		4556.89
पूंजी	Capital		239.82		239.82
जोड़	Total		4796.71		4796.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	361839.71		361844.71
राजस्व	Revenue		21947.59		21947.59
पूंजी	Capital	5.00	339892.12		339897.12
•	॥. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		1.09	(कa)	1.09
3054-सड़क और प्ल	3054-Roads and Bridges		4300.00	(खb)	4300.00
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		255.80	(गc)	255.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	4556.89		4556.89
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.01	(घd)	0.01
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	•••	239.81	(퍟 e)	239.81
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		239.82		239.82
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	4796.71		4796.71
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमान घटाकर समायोजित किया जाता है !	ों में नीचे दर्शाई गयी वसूलिय	यों को शामिल नहीं कि	या गया है जि	न्हें व्यय में से
	Note: The above estimates of additional requirement	ts do not take into accou	unt the recoveries s	shown below	w, which are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges		(-)2150.00		(-)2150.00
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		(-)127.90		(-)127.90
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)2277.90		(-)2277.90
	- 2 1163 4				

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय (₹1.09 करोड़) के तहत 'भते'। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख)(i) रखरखाव के तहत केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि द्वारा रोड विंग फाइनेंसड द्वारा रखरखाव हेतु मरम्मत और रखरखाव के लिए (₹2160 करोड़)

- (ii) राजमार्ग अनुसंधान केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि वितपोषण (₹40 करोड़) के तहत गुणवता आश्वासन, अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण हेत् अन्य राजस्व व्यय।
- (iii) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण हेतु ब्लॉक अनुदान के तहत अंतर लेखा अंतरण (₹2150 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- a) 'Allowances' under Secretariat (₹ 1.09 crore).
 The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) (i) Repair and Maintenance for Maintenance by Roads Wing financed from Central Road and Infrastructure Fund under Maintenance (₹ 2160 crore).
 - (ii) Other Revenue Expenditure for Quality Assurance, Research, Development and Training under Highway Research funding from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 40 crore).
 - (iii) Inter Account Transfers under Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 2150 crore).

(d)

(e)

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, व्यय को प्रतिपूर्तियों (₹2150 करोड़) द्वारा मिलान किया जाएगा, इससे (₹2150 करोड़) अतिरिक्त नकद व्यय होगा।
- (ग)
 (i) "सइक दुर्घटना के पीड़ितों के नकद रिहत उपचार" हेतु केंद्रीय सइक एवं
 अवसंरचना निधि द्वारा अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के पर्यवेक्षण हेत् (₹127.90 करोड़) अन्य राजस्व व्यय।
 - (ii) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण हेतु ब्लॉक अनुदान के तहत अंतर लेखा अंतरण (₹127.90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, व्यय का प्रतिपूर्तियों (₹127.90 करोड़) द्वारा मिलान किया जाएगा, इससे (₹127.90 करोड़) का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

- (घ) राष्ट्रीय निवेश निधि द्वारा सड़क विंग और सीमा सड़क विकास बोर्ड वितपोषण के तहत (₹2575 करोड़) सड़क विकास कार्यों के लिए अवसंरचनात्मक आस्त्तियां।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) सङ्क विंग/स्टेट पीडब्ल्यूडी/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ (₹239.81 करोड़) के तहत भारतमाला परियोजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत आधारभूत आस्तियां।

मांग सं. 30-डीईए के तहत अनुदान की मांग के पूंजीगत भाग में बराबर बचत से ₹239.81 करोड़ के उपरोक्त व्यय मिलान किया जाएगा, अतः इससे कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, expenditure to be matched by recoveries (₹ 2150 crore), this will entail a net cash outgo (₹ 2150 crore).
- (i) Other Revenue Expenditure for Supervision of National Highways Works under Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund for "Cashless Treatment to Victims of Road Accidents" (₹ 127.90 crore).
- (ii) Inter Account Transfer under Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 127.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, expenditure to be matched by recoveries (₹ 127.90 crore), this will entail a net cash outgo (₹ 127.90 crore).

Infrastructural Assets for Road Development Works under Roads Wing and Border Road Development Board financed from National Investment Fund (₹ 2575 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Infrastructural Assets under Bharatmala Priyojana – Tribal Area Sub Plan – works under Road Wing/ State PWDs/ NHIDCL/BRO (₹ 239.81 crore).

The above expenditure of ₹ 239.81 crore will be matched by equivalent savings available in Capital Section of the Demand for Grants under D. No. 30-DEA, hence, this will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 87

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108-109 देखिये)

कृषि अवसंरचना और विकास निधि के लिए ₹16,000 करोड़ का अतिरिक्त

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए सांकेतिक

पूरक की मांग की जाती है।

(ग)

(See page 108-109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भागित जॊड Charged Total Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 282562.05 282562.05 पूंजी Capital 4.14 4.14 जोड 282566.19 282566.19 Total इस समय आवश्यक रकम का पुरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: राजस्व 0.03 0.03 Revenue पुंजी Capital जोड Total 0.03 0.03 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 282566.22 282566.22 282562.08 282562.08 राजस्व Revenue ... पूंजी Capital 4.14 4.14 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष 2501-Special Programmes for Rural Development 0.01 (**क**a) 0.01 कार्यक्रम 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2515-Other Rural Development Programmes 0.01 0.01 (खb) 3054-सड़क और प्ल 3054-Roads and Bridges 0.01 (गc) 0.01 ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' योजना के तहत विज्ञापन एवं प्रचार के ₹ 0.10 crore towards 'Advertising and Publicity' under (क) लिए ₹0.10 करोड़। 'National Rural Livelihood Mission' scheme. अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक Taking into account the savings available in the same section परक की मांग की जाती है। of the Grant, a token supplementary is sought. ्र 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला नियोजन प्रक्रिया (ख) (b) ₹ 0.50 crore towards 'Printing and Publication' and ₹ 4.50 को सुदृढ़ बनाने' के अंतर्गत 'मुद्रण एवं प्रकाशन' के लिए ₹0.50 करोड़ तथा crore towards 'Advertising and Publicity' under 'Management 'विज्ञापन एवं प्रचार' के लिए ₹4.50 करोड़। Support to Rural Development Programs and Strengthening of District Planning Process'. अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक Taking into account the savings available in the same section पूरक की मांग की जाती है। of the Grant, a token supplementary is sought.

(c)

additional provision of ₹ 16,000 crore for Agriculture

Taking into account the savings available in the same section

Infrastructure and Development Fund.

of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौदयोगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये) (See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹	' करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		7965.71		7965.71
पूंजी	Capital		64.50		64.50
जोड़	Total		8030.21		8030.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
. •	required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
प्ंजी जोड़	Capital	***	8.86		8.86
जोड़	Total		8.87		8.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8039.08		8039.08
राजस्व	Revenue		7965.72		7965.72
पूंजी	Capital		73.36		73.36
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेग	Т:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for				
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अन्संधान	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		8.86	(खb)	8.86
पर पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	8.87		8.87

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

सृजन हेत् अनुदान।

निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेत् (i) प्रशिक्षण व्यय (₹ 1.50 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹1 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 2.50 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.10 करोड़), अंशदान (₹30.30 करोड़), छात्रवृत्ति (₹ 110 करोड़), विज्ञान धारा के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (₹ 43.05 करोड़) (ii) सुपर कंप्यूटिंग (₹ 23 करोड़), विज्ञान धारा (₹ 178.35 करोड़) और नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लीनरी फिजीकल सिस्टम (₹ 219.54 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (iii) सुपर कंप्यूटिंग (₹ 173 करोड़), विज्ञान धारा (₹ 50.50 करोड़) और नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लीनरी फिजीकल सिस्टम (₹ 31 करोड़) हेत् पूंजीगत आस्तियों के

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण के अन्तर्गत मशीनरी और उपकरण (₹ 8.50 करोड़) एवं फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.36 करोड़) के व्यय को पूरा करने हेत्।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) Training Expenses (₹ 1.50 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 1 crore), Office expenses (₹ 2.50 crore), Advertising and Publicity (₹ 5 crore), Professional Services (₹ 0.10 crore), Contribution (₹ 30.30 crore), Scholarships (₹ 110 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 43.05 crore) under Vigyan Dhara (ii) Grantsin-aid General for Super computing (₹ 23 crore), Vigyan Dhara (₹ 178.35 crore) and National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹ 219.54 crore) (iii) Grants for creation of Capital Assets for Super computing (₹ 173 crore), Vigyan Dhara (₹ 50.50 crore) and National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹ 31 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Machinery and Equipment (₹ 8.50 crore) and Furniture and Fixture (₹ 0.36 crore) under

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये) (See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\$	₹ करोड़)	(In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2275.70		2275.70	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	***	2275.70		2275.70	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:				
राजस्व	Revenue	***	184.43		184.43	
पूंजी जोड़	Capital					
	Total	***	184.43		184.43	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	2460.13		2460.13	
राजस्व	Revenue	***	2460.13		2460.13	
पूंजी	Capital					
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		16.10	(कa)	16.10	
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		168.33	(खb)	168.33	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		184.43		184.43	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता अनुदान (एनईआर)
 बायोटेक्नोलोजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) और इंडसट्रियल एंड एंटरप्रेनिशिप डेबलपमेंट (आईएंडईडी) को सहायता (₹83.50 करोड़) और (ii) बायोमैन्यूफेक्चिरिंग एंड बायोफंड्री को सहायता (₹11.50 करोड़)
 बायोटेक्नोलोजी रिसर्च एंड डेबलपमेंट (आरएंडडी) और इंडसट्रियल एंड एंटरप्रेनिशिप डेवलपमेंट (आईएंडईडी) को सहायता (₹30 करोड़) और (ii) बायोमैन्यूफेक्चिरिंग एंड बायोफंड्री को सहायता (₹8.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹16.10 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) स्वायत्त संस्थाओं के लिए प्रतिबद्धता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹40.86 करोइ) (ii) स्वायत्त संस्थाओं के लिए प्रतिबद्धता हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹14.72 करोइ) (iii) वायोटेक्नोलोजी रिसर्च एंड डेबलपमेंट (आरएंडडी) और इंडसट्रियल एंड एंटरप्रेनिर्शिप डेबलपमेंट (आईएंडईडी) को सहायता के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹2.50 करोइ), विज्ञापन और प्रचार (₹0.50 करोइ), व्यावसायिक सेवाएं (₹0.60 करोइ), सामान्य सहायता अनुदान (₹230 करोइ) और पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान (₹90 करोइ) (iv) सामान्य सहायता अनुदान (₹115 करोइ) और बायोमैन्यूफेक्चिरांग एंड बायोफंड्री को सहायता के अंतर्गत पूंजीगत आस्त्त्यों के मृजन हेतु अनुदान (₹65 करोइ) (v) बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹35 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹168.33 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

1. Grants-in- aid General under (NER) (i) Assistance to Biotechnology Research and Development (R&D) and Industrial and Entrepreneurship Development (I&ED) (₹ 83.50 crore) and (ii) Assistance to Biomanufacturing and Biofoundry (₹ 11.50 crore) 2. Grants for Creation of capital Assets under (NER) Assistance to Biotechnology Research and Development (R&D) and Industrial and Entrepreneurship Development (I&ED) (₹ 30 crore) and (ii) Assistance to Biomanufacturing and Biofoundry (₹ 8.50 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo $\ref{thm:prop}$ 16.10 crore.

(i) Grants-in-Aid General for commitment for Autonomous Institutions (₹ 40.86 crore) (ii) Grants-in-Aid Salaries for commitment for Autonomous Institutions (₹ 14.72 crore) (iii) Office Expenses (₹ 2.50 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.50 crore), Professional Services (₹ 0.60 crore), Grants-in- aid General (₹ 230 crore) and Grants for Creation of capital Assets) (₹ 90 crore) under Assistance to Biotechnology Research and Development (R&D) and Industrial and Entrepreneurship Development (I&ED) (iv) Grants-in- aid General (₹ 115 crore) and Grants for Creation of capital Assets (₹ 65 crore) under Assistance to Biomanufacturing and Biofoundry (v) Grants-in- aid General under Biopharma Mission (₹ 35 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 168.33 crore

मांग संख्या DEMAND NO 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(₹ करों:	इ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		6321.71	6321.71
पूंजी	Capital	***	1.70	1.70
जोड़	Total		6323.41	6323.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		27.13	27.13
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		27.13	27.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	6350.54	6350.54
राजस्व	Revenue		6348.84	6348.84
पूंजी	Capital		1.70	1.70
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
उ 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		27.13	27.13
•				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने

हेतु। (₹27.13 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries to

National Labs (₹ 27.13 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 92

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड़ Voted Total Charaed ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 7095.27 7095.27 पूंजी Capital 110.37 110.37 जोड 7205.64 7205.64 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital जोड़ Total 0.01 0.01 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 7205.65 7205.65 ... राजस्व 7095.28 7095.28 Revenue पूंजी Capital 110.37 110.37 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total **REVENUE SECTION** राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 2230-Labour, Employment and Skill Development 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

कौशल भारत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹30.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grant-in-Aid General (₹ 30.00 crore) for Dharti Aaba Janjatiya Gram Abhiyan under the Scheme Skill India Programme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(1 47)	15) (III \ CI UI E3)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		13478.60	13478.60
पूंजी	Capital	***	61.04	61.04
जोड़	Total		13539.64	13539.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	l:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी जोड़	Capital			
	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		13539.65	13539.65
राजस्व	Revenue		13478.61	13478.61
पूंजी	Capital		61.04	61.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹53.23 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional expenditure under Grants-in-Aid General (₹53.23 crore) under Post Matric Scholarship for SC Students.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 94

दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

Supplementary Estimate of the amount now required:

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

Revenue

Revenue

Revenue

Capital

Capital

Total

Capital

Total

I. ORIGINAL GRANT:

Total (Original plus Supplementary)

REVENUE SECTION

2235-Social Security and Welfare

MAJOR HEAD

स्वीकृत जॊड Voted Total 1224.07 1224.07 1.20 1.20 1225.27 1225.27 0.01 0.01 0.01 0.01 1225.28 1225.28

1224.08

1.20

0.01

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

the following Major Head: *भारित* स्वीकृत जोड़ *Charged* Voted Total

1224.08

1.20

0.01

भारित

Charged

...

...

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

2235-सामाजिक स्रक्षा और कल्याण

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

।. मूल अनुदान:

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष

राजस्व

पूंजी

जोड

राजस्व

पूंजी

जोड़

राजस्व

पूंजी

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृति के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.00 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Grants-in-Aid General (₹1.00 crore) under Scholarships for Students with Disabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 95

अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये) (See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹ करोड़ ,) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.60	7474.62		7475.22
पूंजी	Capital	0.40	5567.13		5567.53
जोड़	Total	1.00	13041.75		13042.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
· · ·	required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी जोड़	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13041.77		13042.77
राजस्व	Revenue	0.60	7474.63		7475.23
पूंजी	Capital	0.40	5567.14		5567.54
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	^ह के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted		ajor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	***	0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	0.02		0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

एडवांस डेटा प्रोसेसिसिंग यूनिट (एडीपीयू) के तहत आपदा प्रबंधन सहायता के विदेशी यात्रा व्यय (रॅं0.20 करोड़), वेतन (रॅं3.42 करोड़), पुरस्कार (रॅं1.76 करोड़), चिकित्सा उपचार (रॅं0.24 करोड़), भते (रॅं3.61 करोड़), छुट्टी यात्रा रियायत (रॅं0.08 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (रॅं0.01 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (रॅं0.12 करोड़), कार्यालय व्यय (रॅं1.52 करोड़), भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (रॅं0.01 करोड़), अन्य के लिए किराया (रॅं0.06 करोड़), डिजिटल उपकरण (रॅं0.01 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (रॅं0.22 करोड़), ईंधन एवं स्नेहक (रॅं0.05 करोड़), लघु सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य (रॅं0.50 करोड़), ट्यावसायिक सेवाएं (रॅं0.74 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (रॅं0.14 करोड़), अन्दान सहायता (रॅं0.01 करोड़), सब्सिडी (रॅं0.01 करोड़), अन्य

राजस्व व्यय (₹0.01 करोड़) के तहत व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) नेक्सट जनरेंशन के लॉन्च व्हीकल के विकास के लिए मोटर वाहन (₹0.06 करोड़) और एडवांस डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (एडीपीय्)के आईसीटी उपकरण (₹2.38 करोड़, आईसीटी उपकरण (₹3 करोड़)) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards Foreign Travel Expenses of Disaster Management Support (₹ 0.20 crore), operational expenses namely Salaries (₹ 3.42 crore), Rewards (₹ 1.76 crore), Medical Treatment (₹ 0.24 crore), Allowances (₹ 3.61 crore), Leave Travel Concession (₹ 0.08 crore), Training Expenses (₹ 0.01 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.12 crore), Office Expenses (₹ 1.52 crore), Rent, Rates & Taxes for Land & Buildings (₹ 0.01 crore), Rent for Others (₹ 0.06 crore), Digital Equipment (₹ 0.01 crore), Materials & Supplies (₹ 0.22 crore), Fuel & Lubricants (₹ 0.05 crore), Minor Civil & Electrical Works (₹ 0.50 crore), Professional Services (₹ 0.74 crore), Repair & Maintenance (₹ 0.14 crore), Grant-in-aid - General (₹ 0.01 crore), Subsidies (₹ 0.01 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.01 crore) under Advanced Data Processing Unit (ADPU).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Motor Vehicle (\mathfrak{T} 0.06 crore), Machinery & Equipment (\mathfrak{T} 0.06 crore) and ICT Equipment (\mathfrak{T} 2.38 crore)' of Advanced Data Processing Unit (ADPU), ICT Equipment (\mathfrak{T} 3 crore) of Development of Next Generation Launch Vehicle.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 97

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025) (₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉद Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: l. मूल अन्दान: राजस्व Revenue 324.19 324.19 पूंजी Capital 1.47 1.47 जोड Total 325 66 325 66 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 1644.89 1644.89 ... जोड Total 1644.90 1644.90 ... 1970.56 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1970.56 राजस्व Revenue 324.20 324.20 ... पूंजी Capital 1646.36 1646.36 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 0.01 (कa) 0.01 पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4852-लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत 500 01 4852-Capital Outlay on Iron and Steel Industries 500 01 (खh) परिट्यय 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पंजीगत 5475-Capital Outlay on Other General Economic (गc) 4 88 4 88 परिव्यय Services 6852-लौह और इसपात उद्योगों के लिए ऋण 6852-Loans for Iron and Steel Industries 1140.00 1140.00 (घd) 1644.89 1644.89 1644.90 1644.90

(b)

(c)

जोड़ (पूजी भाग) जोड़ (पूरक)	Total (Capital Section) Total (Supplementary)
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:	
(क)	"सचिवालय आर्थिक सेवाओं" के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹3.20 करोड़)
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए बुक एडजस्टमेंट करने के लिए हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच. एस. सी. एल.) के संबंध में निवेश (₹0.01 करोड़), (ii) आर. आई. एन. एल. में इक्विटी निवेश के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से लिए गए अग्रिम की भरपाई के लिए निवेश (₹500.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व में उपलब्ध ₹ 203.73 करोड़ की अभ्यर्पित बचत और आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान की मांग के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹296.28 करोड़ की समतुल्य बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
(ग)	सामान्य सेवाओं के तहत मशीनरी और उपकरण (₹0.13 करोड़), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.35 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.15 करोड़), अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां (₹4.25 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूंजी अनुभाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

आरआईएनएल को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए आकस्मिकता (ঘ) (d) अग्रिम (₹1140.00 करोड़) की वसूली के लिए आवश्यक ऋण और अग्रिम (₹1140.00 करोड)। आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान की मांग के पंजीगत भाग में उपलब्ध समत्ल्य बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा:

The supplementary Grants are required for:

Professional Services (₹ 3.20 crore) under "Secretariat (a) Economic Services"

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Investment (₹ 0.01 crore) for making book adjustment for converting loan to equity w.r.t. Hindustan Steel Works Construction Limited (HSCL), (ii)Investment (₹ 500.00 crore) to recoup the advance taken from Contingency Fund of India for equity infusion in RINL.

Taking into account the surrender of savings amounting to ₹ 203.73 crore available in the Revenue of the Grant, and equivalent savings amounting to ₹ 296.28 crore available in Capital Section of Demand for Grants of Department of Economic Affairs, the same will not entail any additional cash outgo;

Machinery and Equipment(₹ 0.13 crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.35 crore), Furniture and Fixtures (₹ 0.15 crore), Infrastructural Assets (₹4. 25 crore) under General Services

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Loans and Advances (₹ 1140.00 crore) required to recoup Contingency Advance(₹ 1140.00 crore) taken for providing Working Capital Loan to RINL

Taking into account the equivalent savings available in Capital Section of Demand for Grants of Department of Economic Affairs, the same will not entail any additional cash outgo:

अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(, ,, ,,		19 / (111 (61016	
		भारित	स्वीकृ	ਜ	ऒड़	
		Charged	Vote	d	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		4373.3	38	4373.38	
पूंजी	Capital		43.0	35	43.65	
जोड़	Total		4417.0)3	4417.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:	required:					
राजस्व	Revenue	16.00	0.0)2	16.02	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	16.00	0.0)2	16.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16.00	4417.0)5	4433.05	
राजस्व	Revenue	16.00	4373.4	40	4389.40	
पूंजी	Capital		43.0	35	43.65	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीष	ीं के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations wi			Major Heads	s:	
		भारित	स्वीकृ	ਜ਼	जॏड़	
		Charged	Vote	d	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.0	01 (कa)	0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries	16.00	(खb) 0.0	01 (गc)	16.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	16.00	0.0)2	16.02	

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क)
 (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम योजना के तहत छात्रवृत्ति (₹0.50 करोड़), (ii) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.80 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुपालन में भुगतान के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से लिए गए अग्रिम की भरपाई के लिए पीएसयू को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹16.00 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;

(ग) (i) टेक्सटाइल किमश्नर के अंतर्गत दूसरों के लिए किराया (₹0.03 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.02 करोड़), (ii) अनुसंधान और विकास के तहत सहायता अनुदान (₹3.60 करोड़), (iii) राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत दूसरों के लिए किराया (₹0.25 करोड़), (iv) कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना (समर्थ) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹110.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

 (i) Scholarship (₹ 0.50 crore) under the scheme National Handloom Development Programme, (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.80 crore) under Indian Institute of Carpet Technology

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General (₹ 16.00 crore) under Support to PSU to recoup the advance taken from Contingency Fund of India towards payment in compliance of Hon'ble High Court of Allahahad

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(i)Rent for Others (₹ 0.03 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.02 crore) under Textiles Commissioner, (ii) Grants-in-Aid General (₹ 3.60 crore) under Research and Development, (iii) Rent for Others (₹ 0.25 crore) under National Technical Textiles Mission, (iv) Grants-in-Aid General (₹ 110.50 crore) under Integrated Scheme for Skill Development (SAMARATH)

अन्दानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये) (See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

			(\$	🤻 करौड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2483.12		2483.12
पूंजी	Capital		1.77		1.77
जोड़	Total	***	2484.89		2484.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:			
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी जोड़	Capital		3.50		3.50
जोड़	Total		3.51		3.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2488.40		2488.40
राजस्व	Revenue	•••	2483.13		2483.13
पूंजी	Capital		5.27		5.27
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted f		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism		3.50	(खb)	3.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		3.51	. ,	3.51
• • •					

(b)

	दर्शन-थीम आधारित पर्यटक परिपर्थों का एकीकृत विकास (₹28 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	 (i) मशीनरी और उपकरण (₹0.10 करोड़), (ii) आईसीटी उपकरण (₹3.30 करोड़) और (iii) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

व्यय को पूरा करने हेतु। अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए,

(i) प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (₹2 करोड़) और (ii) स्वदेश

उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

meeting an additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under (i) Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (₹2 crore) and (ii) Swadesh Darshan-Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting an additional expenditure towards (i) Machinery & Equipments (₹0.10 crore), (ii) ICT Equipments (₹3.30 crore) and (iii) Furnitures & Fixtures (₹0.10 crore)

> Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अन्दानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये) (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				('₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•				
राजस्व	Revenue	5012.42		7955.75		12968.17
पूंजी	Capital			31.83		31.83
जोड़	Total	5012.42		7987.58		13000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	0.02		3.83		3.85
प्ंजी जोड़	Capital					•••
जोड़	Total	0.02		3.83		3.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>5012.44</i>		7991.41		13003.85
राजस्व	Revenue	<i>5012.44</i>		7959.58		12972.02
पूंजी	Capital			31.83		31.83
•	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया उ	जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be			e following	Major He	eads:
		भारित		स्वीकृत	-	जॊड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services			3.59	(क a)	3.59
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled			0.23	(खb)	0.23
अन्य पिछंडे वर्गी और अल्पसंख्यकों का	Tribes, Other Backward Classes and Minorities					
कल्याण						
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			0.01	(गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01	(घd)			0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory	0.01	(ਝe)			0.01
अनुदान	Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02		3.83		3.85

(b)

(c)

यह पूरक अ	नुदाने/विनियोग	निम्नलिखित	हेतु अपे	क्षित है:
(क)	गैर-योजना	'मचिवालय' व	के तहत	'ਚਿकिਨ

गैर-योजना 'सचिवालय' के तहत 'चिकित्सा उपचार' (₹0.40 करोड़), 'भते' (₹1.20 करोड़), 'कार्यालय व्यय' (₹1.00 करोड़), 'भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर' (₹0.64 करोड़), 'डिजिटल उपकरण' (₹0.35 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के राजस्व (भारित) भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) गैर-योजना 'अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग' के तहत-1) 'वेतन' (₹0.23 करोड़) 2. (क) सामान्य सह्यता अनुदान (₹0.10 करोड़) (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.00 करोड़) (ग) 'कार्यालय व्यय' (₹0.50 करोड़) (घ) 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹0.10 करोड़) (ङ) 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' योजना के तहत 'अन्य राजस्व व्यय' (₹9.40 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) क) सामान्य सहायता अनुदान (₹7.72 करोड़) (ख) 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹28.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure towards 'Medical Treatment' (₹ 0.40 crore), 'Allowances' (₹1.20 crore), 'Office Expenses' (₹ 1.00 crore), 'Rent, Rates and Taxes for Land and Building' (₹ 0.64 crore), 'Digital Equipment' (₹ 0.35 crore) under the Non-scheme 'Secretariat'.

Taking into account savings available in the Revenue (Charged) Section of the Grant , it will not entail cash outgo. meeting additional expenditure towards - 1) 'Salaries' (₹ 0.23 crore) under the Non-Scheme 'National Commission for Scheduled Tribes'. 2. (a) Grant-in-Aid General (₹ 0.10 crore) (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.00 crore) (c) 'Office Expenses' (₹ 0.50 crore) (d) 'Professional Services' (₹ 0.10 crore) (e) 'Other Revenue Expenses' (₹ 9.40 crore) under the scheme 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan'.

Taking into account the savings available in the Revenue (Charged) Section and within the same section of the Grant, it will not entail cash outgo.

meeting the additional expenditure towards-1.(a) Grant - in-Aid General (₹ 7.72 crore) (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 28.50 crore) under the scheme 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan'.

(e)

- (घ) (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹134.96 करोड़) (ख) 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹306.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) '(क) सामान्य सहायता अनुदान (₹5.22 करोड़) (ख) 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्त्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹5.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- meeting additional expenditure towards (a) Grant -in-Aid-General (₹ 134.96 crore) (b) Grants for creation of capital assets (₹ 306.50 crore) under the scheme 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan',
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting the additional expenditure towards-(a) Grant-in-Aid General (₹ 5.22 crore) (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan'.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ ਕਹੀਟ) (In ₹ crores)

			(र कराड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		26588.81		26588.81
पूंजी	Capital		3.38		3.38
जोड़	Total	•••	26592.19		26592.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
. 3	required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी जोड़	Capital		4.20		4.20
जोड़	Total		4.24		4.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		26596.43		26596.43
राजस्व	Revenue		26588.85		26588.85
पूंजी	Capital		7.58		7.58
*	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक स्रक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory		0.01	(घd)	0.01
अनुदान	Governments				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
9 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	•••	4.20	(<u>ਝ</u> e)	4.20
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4.24		4.24

(b)

(c)

(d)

यह	प्रक	अनुदान	ानम	नालाखत	'हतु ३	गपाक्षत	₹:
			•		•		

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति (क) घटक के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

.. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति (ख) घटक के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति (ग) घटक के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अन्दान (₹30.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

(ঘ) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अन्सूचित जनजाति घटक के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पूँजीगत आस्तियों के मृजन हेत् (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

meeting the additional expenditure under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 for ST component under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan.

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 for ST component under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan.

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting the additional expenditure under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 30.00 crore) under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 for ST component under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan.

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 for ST component under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan.

(ङ) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹4.00 करोड़) और फर्नीचर (e) और फिक्स्चर (₹0.20 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

meeting the additional expenditure under Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment (4.00 crore) and Furniture and Fixtures (5.20 crore).

Taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant, it will not entail cash outgo;

अन्दानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 देखिये) (See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2024-2025)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड़ Total Charaed Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 3435.85 3435.85 पूंजी Capital 6.47 6.47 जोड Total 3442.32 3442.32 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital जोड़ Total 0.01 0.01 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3442.33 3442.33 ... राजस्व 3435.86 Revenue 3435.86 पूंजी Capital 6.47 6.47 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total **REVENUE SECTION** राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2204-खेल और युवा मामले 2204-Sports and Youth Services 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत समान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

providing Grant-In-Aid General under the scheme International Co-operation (₹1 crore).

संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत बचत से मंत्रालयों/विभागों दवारा रिपोर्ट किए गए धन का प्नर्विनियोजन संलग्न है।

यह लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 103वीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) के अनुमोदन के अनुसरण में वित्त मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी, 2024 को जारी की गई 'नई सेवा' (एनएस)/'नई सेवा साधन' (एनआईएस) पर संशोधित वितीय सीमाओं के अनुसार है।

Re-appropriation of funds, as reported by Ministries/Departments, from the savings within same section of the Grant that require report to Parliament is annexed.

This is as per the revised financial limits on 'New Service' (NS)/ 'New Instrument of Service' (NIS) issued by Ministry of Finance on 23rd February, 2024, in pursuance to the approval by the Public Accounts Committee, vide its 103rd Report (Seventeenth Lok Sabha).

परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy

मांग संख्या 3- परमाणु ऊर्जा Demand No. 3 - Atomic Energy

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

(करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विनियोजन	टिप्पणियाँ
SI. No.	का नाम Name	शीर्ष	Budget	की राशि	Remarks
	of the Scheme/	Head of Account	Estimates	Amount of	
	Programme	(15 digit)	2024-25	Re-	
	r r ogr william			appropriation	
1	विकिरण एवं	4861 03 212 08 00 52	21.34	36	मेसर्स INVAP को फिशन
	आईसोटोप्स	मशीनरी एवं उपकरण			Mo99 परियोजना के
	उत्पादन (ब्रिट)				लिए अंतिम भ्गतान
		Machinery and Equipment			3
	Radiation and				For Making Final
	Isotope				payment to M/s INVAP
	Production				towards Fission Mo99
	(BRIT)				Project

अनुलग्नक /Annexure

आयुष मंत्रालय Ministry of Ayush

मांग सं. - 04 आयुष मंत्रालय Demand No. - 04 Ministry of Ayush

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियां
SI.	का नाम	शीर्ष	Budget	राशि	Remarks
No.	Name of the Scheme/	Head of Account (15 digit)	Estimates 2024- 25	Amount of Reappropriation	
	Programme				
1.	राष्ट्रीय सोवा	2210.05.200.16.00.36	2.00	4.52	वेतन और भत्तों के
	रिगपा संस्थान				भुकतान हेतु
	National				For payment of Salary
	Institute of				and Allowances.
	Sowa Rigpa				

संचार मंत्रालय Ministry of Communications

मांग संख्या - 13- दूरसंचार विभाग Demand No. 13 - Department of Telecommunications

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during the FY 2024-25

क्र. सं. / Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme / Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Communication Services	5275.00.001.03.06.52	0.13	0.23	मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement under Machinery and Equipment.
2	5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Communication Services	5275.00.101.04.00.52	51.16	50.00	मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement under Machinery and Equipment.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

मांग संख्या -14 - उपभोक्ता मामले विभाग Demand No. 14 - Department of Consumer Affairs

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

क्र.सं. Sl.	योजना/कार्यक्रम का	लेखा का शीर्ष Head of Account	बजट अनुमान 2024-25	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां Remarks
No.	नाम Name of the	(15 digit)	Budget	Amount of	Remarks
	Scheme/Programme		Estimates 2024-25	RE- appropriation	
			2024-23	appropriation	
1.	समय का प्रसार Dissemination of Time	5475.00.102.17.00.52 (One Time)	4.00	1.62	'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under 'Machinery &
2.	तौल एवं माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण Strengthening of Weights & Measures Infrastructure	5475.00.102.13.00.52 (One Time)	15.00	5.00	Equipment' 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under 'Machinery & Equipment'
3.	राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण Constructions of Laboratory Building for National Test House	5425.00.600.01.00.52 (One Time)	9.39	0.39	'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under 'Machinery & Equipment'
4.	उपभोक्ता मामले विभाग Department of Consumer Affairs	5475.00.102.20.01.71 (One Time)	0.45	0.18	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment

कारपोरेट कार्य मंत्रालय Ministry of Corporate Affairs

मांग संख्या 17 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय -Demand No. 17 - Ministry of Corporate Affairs

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियां
SI.	नाम	Head of Account	Budget Estimates	राशि	Remarks
No	Name of the		2024-25	Amount of Re-	
	Scheme/			appropriation	
1.	Programme	F 47F 00 001 01 00 71	0.04	0.50	आधिकारिक उपयोग
1.	सचिवालय -	5475.00.001.01.20.71	0.04	0.50	के लिए कंप्यूटरों की
	एमसीए (मुख्यालय)				
	Secretariat – MCA				खरीद और पात्र अधिकारियों को
	(Headquarters)				त्रीयकारिया का लैपटॉप या इसी तरह
	, ,				के उपकरण जारी
					क उपकरण जारा करने के लिए।
					For procurement of
					computers for
					official use and
					issuance of laptop or similar devices
					to eligible officers.
2.			0.97	9.10	
2.	कारपोरेट डाटा	5475.00.001.05.00.71	0.97	9.10	सीडीएम स्कीम के
	प्रबंधनराशि				लिए एसएएन और
	(सीडीएम) योजना				सर्वर के प्रापण के
	Corporate Data Management				लिए।
	(CDM) Scheme				For procurement of SAN and Servers
					for CDM Scheme.
3.	राष्ट्रीय कंपनी विधि	5475.00.001.03.14.71	7.00	9.40	एनसीएलटी की 15
	्र अधिकरण				बेंचों में हाइब्रिड कोर्ट
	National				सिस्टम और वाईफाई
	Company Law				लगाने वाले वेंडर्स को
	Tribunal				भुगतान के लिए।
					For payment to
					vendors who have
					installed hybrid
					court system and WiFi in 15 benches
					of NCLT.

संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture

मांग संख्या 18 – संस्कृति मंत्रालय Demand No. 18 - Ministry of Culture

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-25

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन	टिप्पणियां
Sl.	नाम	Head of Account	Budget Estimates	की राशि	Remarks
No	Name of the Scheme/ Programme		2024-25	Amount of Reappropriation	
1	सचिवालय -	4250.00.001.01.12.71	0.18	0.20	आई सी टी के तहत
	केंद्रीय सचिवालय				अतिरिक्त व्यय को पूरा
	पुस्तकालय				करने के लिए।
	Secretariat –Central Secretariat Library				To meet additional Expenditure under ICT.
2	राष्ट्रीय पुस्तकालय	4202.04.105.05.01.72	0.01	3.10	भवन और संरचनाए
	National Library				के तहत अतिरिक्त व्यय
					को पूरा करने के लिए।
					To meet additional Expenditure under Building & Structures.
3	राष्ट्रीय आधुनिक कला	4202.04.106.09.01.72	4.60	2.50	भवन और संरचनाए के
	संग्रहालय				तहत अतिरिक्त व्यय को
	(एनजीएमए) National Gallery of				पूरा करने के लिए।
	Modern Art				To meet additional
	(NGMA)				Expenditure under Building &
					Structures.
				1.00	भवन और संरचनाए के
					तहत अतिरिक्त व्यय को
					पूरा करने के लिए।
					To meet additional Expenditure under Building &
		1000 04 107 02 04 57	2.22		Structures.
4	भारतीय पुरातत्व	4202.04.107.03.01.52	2.98	1.02	मशीनरी एवं उपकरण
	सर्वेक्षण (एएसआई)				के तहत अतिरिक्त व्यय
	Archaeological				

118 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन	टिप्पणियां
Sl.	नाम	Head of Account	Budget Estimates	की राशि	Remarks
No	Name of the Scheme/ Programme		2024-25	Amount of Reappropriation	
	Survey of India (ASI)				को पूरा करने के लिए।
					To meet additional Expenditure under Machinery and Equipment.
5	भारतीय पुरातत्व	4202.04.107.03.01.71	10.95	2.05	आई सी टी के तहत
	सर्वेक्षण (एएसआई)				अतिरिक्त व्यय को पूरा
	Archaeological Survey of India				करने के लिए।
	(ASI)				To meet additional
					Expenditure under ICT.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय Ministry of Development of North Eastern Region

मांग संख्या 23 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय Demand No. 23- Ministry of Development of North Eastern Region

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण | Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना /कार्यक्रम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन र्विनियोजन	टिप्पणियाँ
SI.	का नाम	शीर्ष	Budget	की राशि	Remarks
No.	Name of the	Head of Account	Estimates	Amount of	
	Scheme/	(15 digit)	2024-25	Re-	
	Programme			appropriation	
1	पूर्वोत्तर परिषद की	4552.00.057.02.00.72	3.95	36.05	2024-25 में नॉर्थ ईस्ट कन्वेंशन सेंटर,
	योजनाएं				द्वारका, नई दिल्ली के निर्माण के लिए
	Schemes of				अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए
	North Eastern				अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण
	Council				Due to requirement of additional
					amount to meet excess expenditure
					for Construction of North East Convention Centre, Dwarka, New
					Delhi in 2024-25
2	डोनर मंत्रालय/	4075.00.001.01.07.71	0.25	0.10	लंबित बिलों का निपटान करने तथा
	विविध सामान्य				आईटी उप-शीर्षक में तत्काल आवश्यकता
	सेवाओं पर				को पूरा करने के लिए
	पूंजीगत परिव्यय				To clear the pending bills and to meet
	M/o DoNER/				the urgent requirement in IT Sub-
	Capital Outlay				Head
	on Miscellaneous				
	General Services				

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय Ministry of Earth Sciences

मांगसंख्या.24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय Demand No. 24 – Ministry of Earth Sciences

वित्त वर्ष 2024-25के दौरान संसद को रिपोर्ट करनेकी आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमकानाम	लेखाका	बजटअनुमान	पुनर्विनियोजनकी	टिप्पणियाँ
SI.	Name of the	शीर्ष	Budget	राशि	Remarks
No.	Scheme/	Head of	Estimates	Amount of	
	Programme	Account	2024-25	Re-	
		(15 digit)		appropriation	
1	डीप ओशन मिशन (डोम) / Deep Ocean Mission (DOM)	3403.00.101.11.0 1.35	5.00	20.60	'पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के तहत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए Due to additional requirement of funds in Grant for creation of Capital Assets.
2	डीप ओशन मिशन (डोम) / Deep Ocean Mission (DOM)	5403.00.101.11.0 1.71	0.80	4.00	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए Due to additional requirement of funds in Information, Computer and Telecommunication (ICT) equipment
3	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (मुख्यालय) / Ministry of Earth Sciences (HQ)	5475.00.001.01.1 7.71	1.10	5.00	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए Due to additional requirement of funds in information, Computer and Telecommunication (ICT) equipment
4	वायुमंडल एवं जलवायु अनुसंधान - मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली एवं सेवाएं (एक्रॉस) / Atmosphere & Climate Research- Modeling Observing System & Services (ACROSS)	5455.00.101.06.0 0.73	4.0	4.60	ढाँचागत परिसंपत्तियों के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए Due to additional requirement of funds in Infrastructural Assets
5	भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (सेज)/ Seismological And Geoscience (SAGE)	5455.00.103.01.0 0.71	0.10	1.00	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए Due to more additional requirement of funds in ICT equipment.

शिक्षा मंत्रालय Ministry of Education

मांग संख्या-25 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग Demand No. 25 Department of School Education & Literacy

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करनेकी आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6 (4) (4) (4) (1) (1) (4)
क्र.सं. SI. No.	योजना /कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1		2202.01.796.23.01.35	30.00	10.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
2		3602.06.789.49.00.35	21.64	50.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
3	समग्र शिक्षा Samagra Shiksha	3602.06.796.45.00.35	32.04	50.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
4		2202.01.113.01.04.31- Instt.	6.00	13.00	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन सी पी सी आर) हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
5	प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम	2552.00.789.28.02.35	8.00	13.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
6	पोषण) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman- PM	2552.00.796.35.02.35	10.00	30.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
7	POSHAN	3601.06.789.10.00.35	55.00	50.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure

122 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना /कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
8		3601.06.796.10.00.35	50.00	30.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
9		2552.00.156.02.10.35	14.00	100.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
10		2202.02.004.04.01.31	262.50	5.73	सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for providing retirement benefits
11	- एन सी आर टी N.C.E.R.T	2202.02.004.04.01.35	44.50	41.13	प्रंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
12		2202.02.004.04.01.36	200.00	3.91	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Salary
13		2202.02.110.20.01.35	447.39	25.61	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
14		2202.02.789.24.02.35	218.00	12.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
15	केंद्रीय विद्यालय संगठन Kendirya Vidyalaya Sangathan	2202.02.796.25.02.35	15.00	1.00	प्रंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
16		2552.00.129.14.01.35	60.00	4.56	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
17		2552.00.789.81.01.35	25.00	1.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure

123 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना /कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
18	नवोदय विद्यालय				विद्यार्थियों, भोजनालय,
	समिति Navodaya Vidyalaya Samiti	2202.02.110.20.02.31	1,340.00	5.01	पाठ्यपुस्तकों पर व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for expenditure on students, mess, textbooks
19					विद्यार्थियों, भोजनालय,
					पाठ्यपुस्तकों पर व्यय हेतु
		2202.02.789.24.03.31	258.00	1.18	अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता
					Requirement of additional funds for expenditure on students, mess, textbooks
20					विद्यार्थियों, भोजनालय, पाठ्यपुस्तकों पर व्यय हेतु
		2552.00.129.14.02.31	131.00	0.61	अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for expenditure on students, mess, textbooks
21					विद्यार्थियों, भोजनालय,
		2552.00.789.81.02.31	20.50	0.69	पाठ्यपुस्तकों पर व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for expenditure on students, mess, textbooks
22					विद्यार्थियों, भोजनालय,
		2552.00.796.85.03.31	12.50	1.36	पाठ्यपुस्तकों पर व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for expenditure on students, mess, textbooks
23		2552.00.796.85.03.35	1.10	0.29	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure
24	शिक्षण-अध्ययन को मजबूत करना और राज्यों के लिए परिणाम (स्टार्स) STRENGTHENING TEACHING- LEARNING AND RESULTS FOR STATES (STARS)	3601.06.796.71.00.35	45.00	10.00	पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of additional funds for Capital expenditure

124 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना /कार्यक्रम का	लेखा का	बजट	पुनर्विनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI. No.	नाम Name of the	शीर्ष	अनुमान	राशि	Remarks
	Scheme/	Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	Amount of	
	Programme	(13 digit)	2024-25	Re- appropriation	
25				арргоргасия	<u> </u>
25					विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के
					कारण अतिरिक्त धनराशि की
		2202.01.796.24.00.31	4.04	3.96	आवश्यकता
					Requirement of additional funds due to increase in
					number of schools
26					पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
		2202.01.796.24.00.35	9.76	5.98	धनराशि की आवश्यकता
					Requirement of additional
27					funds for Capital expenditure पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
27					धनराशि की आवश्यकता
		2552.00.156.21.00.35	128.18	1.73	Requirement of additional
					funds for Capital expenditure
28					विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के
					कारण अतिरिक्त धनराशि की
		2552.00.796.40.00.31	51.40	13.63	आवश्यकता
					Requirement of additional
	पीएम श्री				funds due to increase in number of schools
29	PM SHRI				पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
		2552.00.796.40.00.35	57.71	28.17	धनराशि की आवश्यकता
		2332.00.790.40.00.33	37.71	20.17	Requirement of additional
					funds for Capital expenditure
30					प्ंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
		3601.06.796.75.00.35	153.31	3.66	धनराशि की आवश्यकता
					Requirement of additional
31					funds for Capital expenditure पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
		2601 06 101 07 00 25	612.05	122.00	धनराशि की आवश्यकता
		3601.06.101.87.00.35	612.95	122.00	Requirement of additional
					funds for Capital expenditure
32					पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
		3602.06.101.71.00.35	69.67	0.44	धनराशि की आवश्यकता
					Requirement of additional
33					funds for Capital expenditure पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त
		2602 06 706 60 00 27	11 11	2.44	धनराशि की आवश्यकता
		3602.06.796.60.00.35	11.11	2.44	Requirement of additional
					funds for Capital expenditure

शिक्षा मंत्रालय Ministry of Education

मांग संख्या 26 - उच्चतर शिक्षा विभाग Demand No. 26 - Department of Higher Education

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
		2251.00.090.17.02.01	38.21	11.79	वेतन भुगतान के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए । To meet additional requirement of funds for payment of salary
		2251.00.090.17.02.06	2.24	0.26	चिकित्सा व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for Medical expenses
		2251.00.090.17.02.07	29.20	11.10	भत्तों के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for Allowances
1	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं Secretariat-Social	2251.00.090.17.02.12	1.00	0.35	विदेश यात्रा व्यय केलिए अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for foreign travel expenses
	Secretariat-Social Services	2251.00.090.17.02.16	0.85	0.75	गजट अधिसूचना के प्रकाशन के लिए अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for publication of gazette notification
		4250.00.001.01.10.51	0.25	0.10	मोटर वाहनों के प्रचालन और रखरखाव की लागत में वृद्धि के कारण Due to increase in running and maintenance cost of motor vehicles
		4250.00.001.01.10.52	0.60	0.15	उपकरणों की खरीद के लिए For procurement of equipments
		4250.00.001.01.10.71	3.05	0.18	कंप्यूटर उपकरणों की खरीद के लिए अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for purchase of computer equipments

126 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
2	2 हिंदी निदेशालय	2202.05.001.01.01.01	6.36	0.64	वेतन भुगतान के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for payment of salary
	Directorate of Hindi	2202.05.001.01.01.07	4.49	1.51	भत्ते के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for Allowances
		2202.05.001.05.01.01	2.15	1.15	वेतन भुगतान के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for payment of salary
	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	2202.05.001.05.01.07	2.00	1.50	भत्ते के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for Allowances
3	Commission for Scientific and Technical	2202.05.001.05.01.16	1.00	0.50	प्रकाशन व्यय की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for publication expenses
	Terminology	2202.05.001.05.01.19	0.34	0.26	डिजिटल उपकरणों की खरीद की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for purchase of digital equipments
		2202.05.001.05.01.29	0.05	0.05	मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for repair and maintenance expenses
4	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय	2202.05.001.04.01.01	3.11	0.80	वेतन भुगतान के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of funds for payment of salary
	भाषा संस्थान) Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartia Bhasha Sansthan)	2202.05.001.04.01.07	2.39	1.11	भत्तों के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of funds for Allowances
		2202.05.800.02.01.28	2.80	0.06	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने के लिए अधिक आवश्यकता के कारण

127 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
					Due to more requirement for hiring of professional services
		2202.05.800.02.02.34	0.20	0.15	स्कॉलरशिप में खर्च बढ़ने के कारण Due to increase in expenses in scholarships
5	विदेश में शैक्षणिक संस्थान Educational Institutions Abroad	2202.80.001.09.00.07	1.40	0.30	भत्तों के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of funds for Allowances
		2202.03.102.02.01.31	1313.50	237.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए। To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2202.03.102.02.01.35	51.80	6.30	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.102.02.01.36	296.00	99.00	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता। Additionality required for payment of Salaries.
6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) University Grants Commission (UGC)	2202.03.789.27.01.31	301.75	57.90	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2202.03.789.27.01.35	11.90	1.50	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.789.27.01.36	68.00	38.00	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता। Additionality required for payment of Salaries
		2202.03.796.28.01.31	159.75	10.10	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities

128 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
		2202.03.796.28.01.35	6.30	1.20	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses वेतन के भुगतान के लिए
		2202.03.796.28.01.36	36.00	63.00	अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2202.03.102.26.01.35	637.85	5.63	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.102.26.01.36	7503.15	17.05	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2202.03.789.32.01.35	49.43	13.44	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	2202.03.789.32.01.36	581.50	10.00	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
7	GRANTS TO CENTRAL UNIVERSITIES	2202.03.796.34.01.35	23.97	12.00	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2552.00.131.11.01.35	161.42	11.58	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2552.00.789.09.08.35	12.50	2.50	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2552.00.796.14.01.35	6.08	0.92	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा

129 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
					करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.102.26.02.36	81.06	0.90	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2202.03.789.32.02.36	5.30	0.07	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2202.03.796.34.02.36	2.64	0.03	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
	चिकित्सा विज्ञान संस्थान-बीएचयू को अनुदान Grants to INSTITUTE OF MEDICAL	2202.03.102.26.09.31	3.64	3.41	ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु For repayment of interest of loans
8		2202.03.789.32.09.31	0.24	0.23	ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु For repayment of interest of loans
	SCIENCES-BHU	2202.03.796.34.09.31	0.12	0.11	ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु For repayment of interest of loans
		2202.03.102.26.10.31	20.04	0.07	ऋणों के मूलधनराशि की अदायगी हेतु For repayment of principal of loans
		2202.03.789.32.10.31	1.30	0.05	ऋणों के मूलधनराशि की अदायगी हेतु For repayment of principal of loans
		2202.03.796.34.10.31	0.66	0.02	ऋणों के मूलधनराशि की अदायगी हेतु For repayment of principal of loans
9	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल	2202.80.004.11.00.35	12.71	6.10	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
	National Initiative for Excellence in humanities and social sciences	2202.80.789.12.00.35	0.85	0.40	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for

130 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
					capital expenses
		2202.80.796.14.00.35	0.44	0.20	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.112.10.01.31	329.55	65.96	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2202.03.112.10.01.35 2.91 16.00	16.00	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses	
		2202.03.789.36.02.31	81.02	16.22	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
10	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन National Mission in Education through ICT	2202.03.789.36.02.35	0.71	3.90	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.796.37.02.31	41.43	8.17	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2202.03.796.37.02.35	0.38	2.09	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2202.03.112.10.01.28	1.45	27.50	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for hiring of professional services
		2202.03.789.36.02.28	0.36	6.76	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने

131 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
					की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for hiring of professional services
		2202.03.796.37.02.28	0.19	3.40	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for hiring of professional services
		2203.00.112.05.09.36	2943.08	455.00	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2203.00.789.08.01.36	195.32	30.00	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	2203.00.796.08.01.36	97.07	15.00	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2552.00.146.01.01.36	208.32	32.33	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
11	(आईआईटीएस) Supp. to Indian Institutes of Technology (IITs)	2552.00.789.97.01.36	13.81	2.13	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2552.00.796.09.03.36	6.87	1.07	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2203.00.112.05.19.31	272.91	99.98	सामान्य सहायता अनुदान में अधिक आवश्यकता होने के कारण Due to more requirement under Grants-in-aid-General
		2203.00.789.08.11.31	18.09	14.36	सामान्य सहायता अनुदान में अधिक आवश्यकता होने के कारण Due to more requirement under Grants-in-aid-General
		2203.00.796.08.11.31	9.00	7.66	सामान्य सहायता अनुदान में अधिक आवश्यकता होने के कारण Due to more requirement under Grants-in-aid-General
12	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)	2203.00.003.12.00.34	444.00	96.00	छात्रवृत्ति/प्रशिक्षुता की दरों में संशोधनराशि के कारण Due to revision in rates of scholarships/apprenticeships

132 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
	National Apprenticeship Training Scheme (NATS)	2203.00.789.84.00.34	102.00	48.00	छात्रवृत्ति/प्रशिक्षुता की दरों में संशोधनराशि के कारण Due to revision in rates of scholarships/apprenticeships
		2203.00.796.84.00.34	54.00	6.00	छात्रवृत्ति/प्रशिक्षुता की दरों में संशोधनराशि के कारण Due to revision in rates of scholarships/apprenticeships
		2203.00.112.79.01.35	10.94	3.24	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.789.09.01.35	0.72	0.52	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
	भारतीय प्रबंध संस्थान	2203.00.796.09.01.35	0.34	0.24	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
13	(आईआईएमएस) Indian Institutes of Management (IIMs)	2203.00.112.79.04.31	54.62	1.62	ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु For repayment of interest of loans
		2203.00.789.09.04.31	3.68	0.26	ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु For repayment of interest of loans
		2203.00.796.09.04.31	1.70	0.12	ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु For repayment of interest of loans
		2203.00.112.79.05.31	127.65	7.85	ऋण के मूलधनराशि की अदायगी के लिए For repayment of principal of loans
		2203.00.789.09.05.31	8.60	1.25	ऋण के मूलधनराशि की अदायगी के लिए For repayment of principal of loans
		2203.00.796.09.05.31	3.96	0.58	ऋण के मूलधनराशि की अदायगी के लिए For repayment of principal of loans
14	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान मुंबई	2203.00.112.16.01.36	15.12	11.66	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries

133 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
	National Institute for Industrial Engineering, Mumbai	2203.00.789.10.01.36	1.40	1.07	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2203.00.796.10.01.36	0.93	0.67	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2203.00.003.02.00.31	13.50	14.40	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2203.00.003.02.00.35	10.35	27.45	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
15	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	2203.00.789.01.00.31	1.09	0.96	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
	National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)	2203.00.789.01.00.35	0.83	1.83	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.796.01.00.31	0.41	0.64	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2203.00.796.01.00.35	0.32	1.22	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses

134 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण	2203.00.003.05.00.35	2.18	0.50	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
16	बोर्ड, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and	बम्बई, कलकत्ता, नपुर और चेन्नई Board of pprenticeship ining, Bombay,	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses		
	Chennai	2203.00.796.02.00.35	0.06	0.14	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.112.88.06.31	1500.00	4.45	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2203.00.112.88.06.35	512.58	99.92	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
17	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता	2203.00.112.88.06.36	1627.29	209.86	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
17	Support to National Institute of Technology (NITs) & IIEST	2203.00.789.81.06.31	117.96	0.35	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2203.00.789.81.06.35	40.52	95.98	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.789.81.06.36	127.98	16.51	capital expenses वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries

135 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
		2203.00.796.81.06.31	67.24	0.20	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2203.00.796.81.06.35	22.90	42.10	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.796.81.06.36	72.93	9.43	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
		2203.00.112.88.03.31	106.80	11.57	ऋण के मूलधनराशि की अदायगी के लिए For repayment of principal of loans
		2203.00.789.81.03.31	8.40	0.91	ऋण के मूलधनराशि की अदायगी के लिए For repayment of principal of loans
		2203.00.796.81.03.31	4.80	0.52	ऋण के मूलधनराशि की अदायगी के लिए For repayment of principal of loans
	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों	2203.00.112.85.01.36	327.85	5.22	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
18	(आईआईएसईआर) को सहायता Support to Indian Institute (s) of	2203.00.789.78.01.36	25.51	0.41	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
	Science Education & Research (IISER)	2203.00.796.78.01.36	10.84	0.17	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्तता की आवश्यकता Additionality required for payment of Salaries
19	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सहायता Support to Indian	2203.00.112.81.01.35	45.17	31.47	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
	Institute(s) of Information Technology (IIITs)	2203.00.789.14.01.35	4.05	2.86	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional

136 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
					requirement of funds for capital expenses
		2203.00.796.72.01.35	1.94	1.43	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.112.82.03.35	26.09	13.50	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2203.00.789.72.03.35	2.01	1.05	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
20	एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सिहित अन्य संस्थानों को	2203.00.796.73.03.35	0.90	0.45	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
20	सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar	2552.00.146.31.01.35	27.86	8.10	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
	Kokrajhar	2552.00.789.06.04.35	2.18	0.63	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
		2552.00.796.16.05.35	0.96	0.27	पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of funds for capital expenses
21	प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- उषा)	2202.03.102.30.01.31	18.21	3.45	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to

137 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. Sl. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15-digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन र्विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियां Remarks
	Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha				pension, DA, arrear & committed liabilities
	Abhiyan(PM- USHA)	2202.03.789.37.01.31	4.34	0.82	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2202.03.796.38.01.31	2.45	0.47	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
		2202.03.102.30.01.28	3.64	1.46	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for hiring of professional services
		2202.03.789.37.01.28	0.87	0.35	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for hiring of professional services
		2202.03.796.38.01.28	0.49	0.19	पेशेवर सेवाओं को किराये पर लेने की अधिक आवश्यकता के कारण Due to more requirement for hiring of professional services

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Electronics and Information Technology

मांग संख्या –27 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Demand No. 27 – Ministry of Electronics and Information Technology

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI. No.	Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	Budget Estimates 2024-25	राशि Amount of Re- appropriation	Remarks
1	इलेक्ट्रानिक शासन कार्यक्रम Electronic Governance Programme	2852.07.102.02.02.31	18.50	6.00	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with additional expenses for externally aided projects
2	राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क National Knowledge Network	2552.00.172.27.00.31	24.00	26.00	परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए
3	Network	2852.07.789.11.01.31	20.00	20.00	To meet with the operational expenses
4		2852.07.796.11.01.31	19.51	18.49	
5	इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपी एस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स) Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)	2852.07.102.04.00.35	100.00	50.00	अनुमोदन प्रक्रिया के तहत नई परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with additional expenses in respect of new projects under approval process.
6	आईटी/आईटीईएस उद्योगों को प्रोत्साहन Promotion of IT and ITeS Industries	2852.07.102.05.00.31	74.00	6.22	चालू और नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with additional expenses in respect of ongoing and new projects

139 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI. No.	Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	Budget Estimates 2024-25	राशि Amount of Re- appropriation	Remarks
7	आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबी टी में अनुसंधान एवं विकास	2552.00.172.30.00.31	110.00	6.00	चाल् और नई परियोजनाओं के लिए
8	R&D in Information Technology, Electronics and CCBT	2852.07.102.06.00.31	862.75	24.78	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with
9		2852.07.789.13.00.31	95.00	3.00	additional expenses in respect of ongoing and new projects
10		2852.07.796.13.00.31	75.00	4.00	and non projects
11	डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना (डिजिटल भुगतान के अलावा) Promotion of Digital Transactions (excluding Digital Payments)	2852.07.102.15.00.31	0.62	1.00	वितीय धोखाधड़ी पर एक नई परियोजना से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with the additional expenses relating to a new project on financial fraud
12	भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम Modified Programme for Development of Semiconductor and Display Manufacturing Ecosystem in India	2852.07.102.13.01.35	0.65	0.85	सेमी कंडक्टर परियोजनाओं से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with the additional expenses relating to semiconductor projects
13	उन्नत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक) Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)	2852.07.188.01.00.31	10.00	2.00	परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए To meet with the operational expenses
14	एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (SAMEER)	2852.07.188.02.00.31	30.00	5.00	आईआईटी और स्टार्ट- अप के साथ सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए To meet with the expenses relating to collaborative

140 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/	लेखा का शीर्ष Head of Account	बजट अनुमान Budget	पुन विंनियोजन की राशि	टिप्पणियाँ Remarks
No.	Programme	(15 digit)	Estimates 2024-25	Amount of Reappropriation	
					research projects with IITs and Start- ups
15		2852.07.188.02.00.35	50.00	5.00	समीर, कोलकाता में उत्कृष्टता केंद्र में विभिन्न उपकरणों की
					आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet with the requirement of various equipment at Centre of Excellence at SAMEER, Kolkata
16	डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (डीआईसी) Digital India Corporation (DIC)	2852.07.188.04.00.35	0.75	0.25	हाईवेयर की मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Additional fund is required to meet the demands for hardware.
17		2852.07.188.04.00.36	8.25	0.25	अतिरिक्त जनशक्ति की लागत को पूरा करने के लिए To meet the cost of additional manpower.
18	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई) Unique Identification Authority of India	3454.02.206.01.09.35	110.00	12.90	आईटी उपकरणों आदि की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet with the additional expenses for procurement of IT Equipment, etc
19	साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन और एनसीसीसी) Cyber Security (CERT-In & NCCC)	4859.02.004.17.17.71	144.95	0.04	कुछ अतिरिक्त आईसीटी व्यय को पूरा करने के लिए To meet some additional ICT expenses
20	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5475.00.001.01.30.52	0.50	0.50	मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए

141 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI.	Name of the Scheme/	Head of Account	Budget	राशि	Remarks
No.	Programme	(15 digit)	Estimates 2024-25	Amount of Re-	
			2024-23	appropriation	
	(सचिवालय आर्थिक सेवाएं)				धनराशि की अतिरिक्त
	Ministry of Electronics				आवश्यकता को पूरा
	and Information Technology				करने के लिए
	(Secretariat Economic				To meet additional
	Services)				requirement of funds
	,				for procurement of
					machineries & equipment
21		5475.00.001.01.30.72	6.90	1.00	प्रमुख सिविल कार्यों के
		0 17 0100100 = 10 = 10017 =	0.00		त्रिए निधियों की
					अतिरिक्त आवश्यकता को
					पूरा करने के लिए
					To meet additional
					requirement of funds
22		E 47E 00 0E2 07 04 74	100.00	5.00	for major civil works
22	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	5475.00.052.07.01.71	100.00	5.90	अतिरिक्त आईसीटी व्यय
	National Informatics				को पूरा करने के लिए
	Centre				To meet additional
					requirement of funds
					for ICT expenses

वित्त मंत्रालय Ministry of Finance

मांग संख्या 31-व्यय विभाग Demand No.31-Department of Expenditure

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

(करोड़ में ₹ in crore)

	1			•	(कराइ न र मा टा छा ट)
1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का शीर्ष	बजट	पुन	टिप्पणियाँ
Sl. No.	Name of the Scheme/	Head of Account	अनुमान	र्विनियोजन की	Remarks
	Programme		Budget	राशि	
			Estimates 2024-25	Amount of Re- appropriation	
1.	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.31.06.52	1.09	0.40	वस्तु शीर्ष "मशीनरी और उपकरण" के तहत एक नए 125 केवीए जनरेटर सेट की खरीद के लिए। For procurement of a new 125KVA Generator set under Object Head "Machinery and Equipment".

अन्लग्नक/Annexure

मंत्रालय का नाम – वित्त मंत्रालय Name of Ministry – Ministry of Finance

मांग संख्या 42 – राज्यों को अंतरण Demand No. 42 – Transfers to States

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

		T -		_	(बराइ न र मा टाराट)
1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विंनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	Grants for Health Sector स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	3601.07.106.03.00.31	2059.45	300.35	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हेतु Requirement of additional funds for Health Sector

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries

मांग संख्या-45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Demand No. 45 - Ministry of Food Processing Industries

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during FY 2024-25

(करोड़ में ₹ in crore)

क्र.सं. Sl.	योजना/ कार्यक्रम का	लेखा का शीर्ष Head of Account	बजट अनुमान 2024-25	पुनर्विनियोग की	टिप्पणियां Remarks
No.	नाम Name of the Scheme/Programme	(15 digit)	Budget Estimates 2024-25	राशि Amount of RE- appropriation	Remarks
1.	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम	3601.06.101.76.10.31 (One time)	632.05	86.52	'सामान्य सहायता अनुदान' के अंतर्गत
2.	उन्नयन (पीएम एफएमई) योजना	3601.06.789.65.10.31 (One time)	71.75	8.22	अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए
3.	PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme	3601.06.796.68.10.31 (One time)	37.20	4.26	To meet additional requirement under 'Grants-in-aid – General'

अनुलग्नक/Annexure

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health & Family Welfare

मांग संख्या 46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग Demand No. 46 - Department of Health & Family Welfare

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का	लेखा का	बजट अनुमान	पुन र्विनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI. No.	नाम Name of the Scheme/ Programme	शीर्ष Head of Account (15 digit)	Budget Estimates 2024-25	राशि Amount of Re- appropriation	Remarks
1	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना Central	2210.01.103.24.01.19	0.80	6.73	एमसीटीसी की कंप्यूटरीकरण परियोजना के कारण Due to computerization
	Government				project of MCTC

144 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		-			
1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI. No.	नाम Name of the Scheme/ Programme	शीर्ष Head of Account (15 digit)	Budget Estimates 2024-25	राशि Amount of Re- appropriation	Remarks
	Health Scheme				
2	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम National Mental Health Programme	2210.06.101.34.01.31	0.005	0.1550	केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत नियुक्त ठेका कर्मचारी को वेतन भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि।
	g				Funds required for payment of remuneration to contractual staff hired under Central Mental Health Authority.
3	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम National Mental Health Programme	2210.06.101.34.01.35	0.01	0.05	केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत नियुक्त ठेका कर्मचारी को वेतन भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि।
					Funds required for purchase of computer equipment for use of contractual staff hired under Central Mental Health Authority.
4	एआईआईएच और पीएच, कोलकाता	4210.04.112.01.00.52	0.10	0.22	मशीनरी और आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद
	AIIH&PH, Kolkata				Procurement of Machinery and essential Laboratory equipment.

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs

मांग संख्या 50- कैबिनेट Demand No. 50 - Cabinet

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI.	नाम Name of the	शीर्ष	Budget	राशि	Remarks
No.	Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	Estimates 2024-25	Amount of Reappropriation	
1	मंत्रिपरिषद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार- सिनर्जी परियोजना का कार्यालय Council of Ministers Office of Principal Scientific Advisor- Synergy Project	2013.00.106.03.02.35	3.00	1.50	एसईटीएस, चेन्नई में नए कार्यालय स्थान के निर्माण के कारण अतिरिक्त व्यय। Excess expenditure due to creation of new office space at SETS, Chennai.
2	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय Office of Principal Scientific Advisor	4075.00.001.01.06.71	0.06	0.05	डेस्कटॉप/लैपटॉप, प्रिंटर आदि की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the expenditure for purchase of desktop/laptop, printer etc.

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs

मांग संख्या 51- पुलिस Demand No. 51 - Police

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1			1 4	1 -	(कराड़ म र in Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन	टिप्पणियाँ
SI.	का नाम Name	शीर्ष	Budget	र्विनियोजन	Remarks
No.	of the Scheme/	Head of Account	Estimates 2024-25	की राशि	
	Programme	(15 digit)	2024-23	Amount of	
				Re-	
				appropriat	
				ion	
1	पुलिस बलों का	2055.00.115.08.00.35	1.45	7.05	वस्तु- शीर्ष "पूंजीगत आसितियों के
_	_				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	आधुनिकीकरण				सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत
	राज्य पुलिस				अतिरिक्त धनराशि आवश्यकता को पूरा
	संगठन को वस्तु				करने के लिए।
	रूप में सहायता				To meet additional requirement of
					fund under object head "Grants for
	Modernisation				creation of capital assets".
	of Police				
	Forces				
	Assistance to				
	state police organisation in				
	kind				
	Rina				
2	एसपीजी	4055.00.206.03.00.71	3.00	5.00	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार
					(आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत
	SPG				, , ,
	51.5				अतिरिक्त धनराशि आवश्यकता को पूरा
					करने के लिए।
					To meet additional requirement of
					fund under object head "Information Computer,"
					"Information Computer, Telecommunication (ICT)
					Equipment".
					Equipment".

147 अनुदानों की पूरक मांगें, 2024-2025 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriat ion	टिप्पणियाँ Remarks
3	सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल Central Detective Training School	4055.00.210.04.01.52	1.22	1.00	वस्तु-शीर्ष "मशीनरी और उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of fund under Object Head "Machinery & Equipment".
4	सीमा सुरक्षा बल SSB	4055.00.213.04.00.71	17.00	12.00	वस्तु-शीर्ष "सूचना कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of fund under object head "Information Computer, Telecommunication (ICT) Equipment".
5	सीमा सुरक्षा बल SSB	4055.00.213.05.00.52	2.00	0.65	वस्तु-शीर्ष "मशीनरी और उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement of fund under object head Object Head "Machinery & Equipment".

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय Ministry of Housing and Urban Affairs

मांग संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय Demand No. 60 - Ministry of Housing and Urban Affairs

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि	3475.00.108.10.05.26	6.00	2.00	अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिए
	PM SVANidhi				For Additional Fund Requirement
2	सम्पदा निदेशालय	2216.05.001.08.01.19	0.065	0.10	अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के
	Directorate Of Estates				लिए For Additional Fund Requirement

सूचना और प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information & Broadcasting

मांग संख्या 61-सूचना और प्रसारण मंत्रालय Demand No. 61- Ministry of Information & Broadcasting

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं	योजना/ कार्यक्रम का	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियाँ
•	नाम Name of the	शीर्ष	Budget	राशि	Remarks
SI. No.	Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	Estimates 2024-25	Amount of Reappropriation	
1.	भारतीय जनसंचार संस्थान Indian Institute of Mass Communication	2220.60.003.01.01.35	10.00	28.19	वस्तु- शीर्ष "पूंजीगत सृजन के सृजन के लिए अनुदान" के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement of fund under object head "Grants for Creation of Capital Assets".

जल शक्ति मंत्रालय Ministry of Jal Shakti

मांग संख्या – 62 - जल संसाधनराशि, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग Demand No. 62 – Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

क्र.सं	योजना/ कार्यक्रम	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की	टिप्पणियां
SI. No.	का नाम Name of the Scheme/Program me	Head of Account (15 digit)	2024-25 Budget Estimates 2024-25	राशि Amount of RE- appropriation	Remarks
1.	नौवहन महानिदेशालय - ई- शासन Directorate General of Shipping — E-Governance	5052.80.800.09.99.71	0.50	1.50	स्चना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment

पेयजल और स्वच्छता विभाग Department of Drinking Water and Sanitation

मांग संख्या और नाम: 63 - पेयजल और स्वच्छता विभाग Demand No. & Name: 63 - Department of Drinking Water and Sanitation

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विंनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	जल जीवन मिशन Jal Jeevan Mission	2215.01.102.19.01.35	14.00	1.74	पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of Additional funds under Jal Jeevan Mission as Grants for Creation of Capital Assets
2	जल जीवन मिशन Jal Jeevan Mission	2215.01.102.19.01.35	14.00	2.41	पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Requirement of Additional funds under Jal Jeevan Mission as Grants for Creation of Capital Assets

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour and Employment

मांग संख्या -64 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Demand No. 64 – Ministry of Labour and Employment

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विंनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	रोजगार महानिदेशालय Directorate General of Employment	4250.00.201.18.07.72	5.00	9.00	भवन और संरचनाएँ वस्तु शीर्ष के अंतर्गत रांची के नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर के भवन के लंबित कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी Additional funds were required under the object head Building and Structures to complete the pending Building work for National Career Service Centre (NCSC) at Ranchi.

विधि और न्याय मंत्रालय Ministry of Law and Justice

मांग संख्या 65 - विधि और न्याय मंत्रालय Demand No. 65 - Ministry of Law and Justice

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	(कराइम र III Crore)
क्रं.स.	योजना/कार्यक्रम का	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन	टिप्पणी
SI.	नाम	Head of Account	वित्त वर्ष-	की राशि	Remarks
No.	Name of the	(15 digit)	2024-25	Amount of Re-	
	Scheme/	, ,	Budget Estimate	appropriation	
	Programme		F.Y-2024-25		
1	सचिवालय Secretariat	4075.00.001.01.22.72	0.10	0.09	केन्द्रीय लॉन, जैसलमेर हाउस, न्याय विभाग में स्थापित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा बनाने के लिए भवन और संरचना में ₹ 9,32,000/- की प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए। То meet committed liability of ₹ 9,32,000/- under Building and Structure towards making of a statue of Dr. B.R. Ambedkar installed in the Central Lawn, Jaisalmer House, Department of Justice.
2	सचिवालय Secretariat	4075.00.001.01.21.71	0.36	0.70	एमईआईटीवाई के दिशानिर्देशों के तहत आईसीटी अनुसार विधायी विभाग में ई-ऑफिस के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना के विकास हेतु। For development of IT Infrastructure under ICT for full -fledged implementation of eoffice in LD as per MEITY guidelines.
3	न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदान Grant for Infrastructural facilities for Judiciary	2014.00.104.01.00.35	2.00	5.00	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख की भुगतान देयता को पूरा करने हेतु। For meeting payment liability of UT of Ladakh.

खान मंत्रालय Ministry of Mines

मांग संख्या -69 खान मंत्रालय Demand No. 69 – Ministry of Mines

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

(करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	सचिवालय मुख्य, खान Secretariat Proper, Mines	5475.00.001.01.01.71	0.30	0.06	वस्तु शीर्ष सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर के तहत मूल प्रावधान के 20% तक धनराशि की वृद्धि। Augmentation of funds by 20% of original provision under the object head Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment.

अनुलग्नक/Annexure

पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

मांग संख्या 72 - पंचायती राज मंत्रालय Demand No.72 - MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

			1		(कराइन राग टा गर)
1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन र्विनियोजन की	टिप्पणियाँ
SI.	Name of the Scheme/	शीर्ष	Budget	राशि	Remarks
No.	Programme	Head of Account	Estimates	Amount of Re-	
		(15 digit)	2024-25	appropriation	
		(0 /			
1	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	3601.06.101.63.01.31	235.43	90.33	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के
	Rashtriya Gram Swaraj				अंतर्गत सामान्य सहायता
	Abhiyan				अनुदान के रूप में अतिरिक्त
					धनराशि की आवश्यकता
					Requirement of
					Additional funds under
					Rashtriya Gram Swaraj
					Abhiyan is Grant in-aid
					General.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय Ministry of Petroleum & Natural Gas

मांग संख्या –76 मांग का नाम Demand No. 76 – Name of Demand

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

(करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	भूमि की खरीद के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान Payment to ISPRL for purchase of land	4802.03.101.02.00.78	0.01	50.74	मेंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से भूमि की खरीद। Purchase of land from Mangalore Special Economic Zone Limited (MSEZL).

अनुलग्नक/ Annexure

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय Ministry of Ports, Shipping & Waterways

मांग संख्या-78 - पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय Demand No. 78 - Ministry of Ports, Shipping & Waterways

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

क्र.सं. Sl. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान 2024-25 Budget Estimates 2024-25	पुनर्विनियोग की राशि Amount of RE- appropriation	टिप्पणियां Remarks
1.	नौवहन महानिदेशालय - ई- शासन Directorate General of Shipping – E-Governance	5052.80.800.09.99.71	0.50	1.50	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment

ग्रामीण विकास मंत्रालय Ministry of Rural Development

मांग संख्या और नाम 87. ग्रामीण विकास विभाग Demand No & Name 87. Department of Rural Development

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

				_	(करोड़ में ₹ in Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन र्विनियोजन की राशि	टिप्पणियाँ
SI.	Name of the Scheme/ Programme	યાષ Head of Account	Budget	का साथ Amount of	Remarks
No.	1 Togi annine		Estimates	Re-	
		(15 digit)	2024-25	appropriation	
1.	2501 – ग्रामीण विकास के	2501.06.102.02.08.28 -	2.00	2.04	दीनदयाल अंत्योदय
	लिए विशेष कार्यक्रम) / 2501-	व्यावसायिक सेवाएं /			योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण
	Special program for Rural	Professional Services			आजीविका मिशन
	Development Development				(डीएवाई-एनआरएलएम) के
	1				, ,
					अंतर्गत व्यावसायिक
					सेवाओं के लिए अतिरिक्त
					धनराशि की आवश्यकता
					Additional fund
					required towards
					Professional Services
					under Deendayal Antyodaya Yojana-
					National Rural
					Livelihoods Mission
					(DAY-NRLM).
2.	"2515"- अन्य ग्रामीण विकास	2515.00.800.25.99.19-	11.5	1.50	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों
	कार्यक्रम (प्रमुख शीर्ष)/	डिजिटल उपकरण/			के लिए प्रबंधनराशि
	2515-Other Rural	Digital Equipment			सहायता और जिला
	Development				नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़
	Programme (Major Head)				बनाने के अंतर्गत डिजिटल
					उपकरणों के लिए अतिरिक्त
					धनराशि की आवश्यकता
					Additional fund
					required towards
					Digital equipment
					under Management
					Support to Rural
					Development Programs
					and Strengthening of District Planning
					Process.
					110008.

कौशल विकास और उधमशीलता मंत्रालय Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

मांग संख्या -92 कौशल विकास और उधमशीलता मंत्रालय Demand No. 92 – Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	(कराड़ में < III Crore)
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन	टिप्पणियाँ
SI. No.	का नाम	शीर्ष	Budget	की राशि	Remarks
	Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	Estimates 2024-25	Amount of Re- appropriation	
1	कौशल विकास	4250.00.001.01.13.7	0.63	0.50	प्रधान मंत्री कौशल विकास
	काशल विकास और उधमशीलता मंत्रालय – सचिवालय Ministry of Skill Development & Entrepreneurshi p – Secretariat	1	0.63	0.30	योजना (पीएमकेवीवाई) में निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर वस्तु शीर्ष के अंतर्गत पुन विनियोजन किया गया था, जो एक नया विकास कार्य था और पहले इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। Re-appropriation was done under the object head—Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment to meet expenditure in respect of setting up of monitoring cell in Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana(PMKVY) which was a new
					development and was not envisaged earlier.

अंतरिक्ष विभाग Department of Space

मांग संख्या – 95 - अंतरिक्ष Demand No. 95 – Space

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. SI. No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा का शीर्ष Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-25	पुन विंनियोजन की राशि Amount of Re- appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - इसरो केन्द्रों में सामान्य सिविल कार्य - भूमि Space Technology - General Civil Works at ISRO Centres - Land	5402.00.101.80.00.78	1.00	0.20	अदालती आदेशों के आधार पर भूमि अधिग्रहण मूल याचिका (एल.ए.ओ.पी.) मामलों का भुगतान करने के लिए धनराशि का पुनर्विनियोजन। Reappropriation of funds towards honoring the Land Acquisition Original Petition (LAOP) cases based on court orders.

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel

मांग संख्या -97 इस्पात मंत्रालय Demand No. 97 – Ministry of Steel

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

1	2	3	4	5	(कराइ में \ III Crore)
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा का	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन	टिप्पणियाँ
SI.	Name of the Scheme/	शीर्ष	Budget	की राशि	Remarks
No.	Programme	Head of Account	Estimates 2024-25	Amount of Re-	
		(15 digit)		appropriation	
1	सचिवालय	5475.00.001.01.12.52	0.37	0.10	आवश्यक उपकरण
	VII 44IVI 4				·
	Secretariat				खरीदने के लिए वस्तु
					शीर्ष मशीनरी और
					उपकरण के अंतर्गत
					पुनर्विनियोग किया
					गया
					To purchase the required equipment
					re-appropriation was
					done under the object
					head Machinery and Equipment.
2	भारत में वाणिज्यिक पोतों	2852.06.102.27.02.33	6.00	1.00	योजना के तहत
	की फ्लैगिंग				प्रावधानों में वृद्धि के
					कारण वस्तु शीर्ष
	Flagging of Merchant Ships in India				सब्सिडी के तहत
	Ships in maia				पुनर्विनियोग किया गया
					Re-appropriation was done under the object
					head subsidies as the
					provisions under the
					scheme were increased
					mcreased

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/ Ministry of Women and Child Development

मांग संख्या-101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Demand No. 101 – Ministry of Women and Child Development

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदो को दर्शाने वाला विवरण। Statement showing items requiring Report to Parliament during F.Y. 2024-25

(करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम	लेखा का शीर्ष	बजट	पुन र्विनियोजन की राशि	टिप्पणियाँ
SI. No.	का नाम Name of the Scheme/	સાય Head of Account	अनुमान Budget	का सारा Amount of	Remarks
	Programme	(15 digit)	Estimates	Re-	
			2024-25	appropriation	
1	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधनराशि प्राधिकरण (कारा) /Central Adoption Resource Authority (CARA)	2235.02.102.43.02.35 – पूंजीगतआस्तियों के सृजन के लिए अनुदान/ Grants for Creation of Capital Assets	1.20	20.70	भवन का नवीकरण के लिए एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए To meet the expenditure for payment of NBCC Services Limited for renovation of Building

अनुलग्नक/ Annexure

युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय Ministry of Youth Affairs and Sports

मांग संख्या **102 - युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय** – **Demand No. 102 -** Ministry of Youth Affairs and Sports

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसद को रिपोर्ट की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-25

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	लेखा का शीर्ष	बजट अनुमान	पुन विंनियोजन की	टिप्पणियां
Sl.	का नाम	Head of Account	Budget	राशि	Remarks
No	Name of the		Estimates	Amount of Re-	
	Scheme/		2024-25	appropriation	
	Programme				
1	राष्ट्रीय खेल	2552.00.274.23.01.35	81.00	100.00	निर्माण गतिविधियों की
	विश्वविद्यालय				अधिक मांग के कारण
	National Sports				Due to more demand for
	University				construction activities
2	सचिवालय	4250.00.001.01.21.71	0.77	0.75	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार
	Secretariat				(आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत
					अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा
					करने के लिए
					Due to additional
					requirement of funds in
					information, Computer
					and Telecommunication
					(ICT) equipment